खण्ड-203, अंक-10
सोमवार, 9 चैत्र, शक संवत् 1881
(30 मार्च, 1959 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 203 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, ३० मार्च, १९५९

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३४०

अक्षयवर्रासिह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन ,श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री

गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री

बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धोसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद सुलेमान अबमी, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुनन्तेजबहादुरसिंह, श्री
रघुराजसिंह चौधरी, श्री
रघुवीरराम, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राजकिशोर राव श्री,
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)

रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
ब्रजगोपाल सक्सेना, श्री
ब्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द , डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल भुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त कांडपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह बिसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री, श्री महावीरसिंह भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, ३० मार्च, १९५९

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

बस्ती जिले में धान का खराब बीज

१---श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जिला बस्ती में सन् १९५८ की खरीफ की फसल में कोई खराब धान का बीज सरकार द्वारा दिया गया ?

सहकारिता मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)---जी नहीं। सरकारी बीज गोदाम से घटिया किस्म का बीज नहीं बांटा गया। कुछ स्थानों पर अर्ली पैडी के स्थान पर लेट पैडी का बीज बंट गया। पूरे मामले की जांच हो रही है। कुछ अफसर मुअत्तल हैं। जब तक जांच न पूरी हो जाय तब तक कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

२---श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या सहकारिता मन्त्री ने उसकी बाबत तकावी की वसूली नहीं की जाय, ऐसा आश्वासन अपने बस्ती के दौरे में १९५८-५९ के द्वितीय वर्ष में दिया था ? अगर हां, तो क्या उस तकावी के रुपये की वसूली रोक दी गयी है ?

श्री मोहनलाल गौतम---जी नहीं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जहां लेट पैडी की जगह अर्ली पैडी का बीज बोया गया तो फसल को कितना नुकसान हुआ ?

श्री मोहनलाल गौतम---अध्यक्ष महोदय, यह सूचना कई बार दी जा चुकी है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या यह देखते हुए कि धान नहीं उगा मंत्री जी तकावी में छूट देने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहनलाल गौतम---अध्यक्ष महोदय, तकावी का लफ्ज बड़ा गलत इस्तेमाल हो रहा है इसलिये कंफ्यूजन है। तकावी उस वक्त दी गयी थी जब फसल खराब हो गयी थी अर्ली पैडी की। उस वक्त लेट पैडी की पौध खरीदकर लगवा दी गयी थी तो उसके मुल्तवी करने या माफ करने का सवाल नहीं उठता।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---क्या यह सही है कि अगहनी के बजाय भदई का बीज बांट दिया गया उससे फसल खराब हो गयी और उसकी कीमत भी वसूल की जा रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम---मैं कह चुका हूं कि वह रद्द की जा चुकी है और उसकी तारीख मैं दे चुका हूं।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस मामले की जांच कब से की जा रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम---यह जब मैं गया था तो उस समय डिप्टी डायरेक्टर ऐग्रीकल्चर के सुपुर्द जांच कर दी गयी थी। उसकी रिपोर्ट आ गयी है और चार्जशीट फ्रेम हो गयी है। उसकी मंजूरी गवर्नमेंट से मिल चुकी है। जिन लोगों का कसूर है उनको दी जा चुकी है और उनके जवाब आने पर कार्यवाही होगी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कौन-कौन अधिकारी मुअत्तिल हैं और कब से हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम---इसकी सूचना मैं कई बार दे चुका हूं। डिडिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकल्चर आफिसर्स, बस्ती, गोरखपुर तथा असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकल्चर आफिसर गोरखपुर हैं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह पैडी किस अफसर ने सप्लाई की थी, कानपुर के किसी अफसर ने या हेड क्वार्टर से और इसमें क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम---अध्यक्ष महोदय, किस अफसर की जिम्मेदारी है, यह मैं कैसे कह सकता हूं क्योंकि अभी जांच हो रही है।

श्री अध्यक्ष---आप यही जवाब दे सकते हैं।

श्री मोहनलाल गौतम---जी हां, बाद में मैं जवाब दे दूंगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---क्या यह सही है कि दौरे के सिलसिले में जब वह तशरीफ ले गये थे तो जनसंघ ने शिकायत की थी और जगदीश पाठक पर मुकद्दमा चलाया गया ?

श्री मोहनलाल गौतम---किस व्यक्ति पर क्या मुकद्दमा चलाया गया, इसकी मुझे कोई सूचना नहीं है।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वसूली के स्टे से क्या मतलब है---यानी माफ कर दिया गया है या कुछ दिन के लिये मुल्तवी कर दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष---इसका अर्थ मैं समझता हूं स्पष्ट है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वसूली कब से रोकी गयी है ?

श्री मोहनलाल गौतम---उसकी तारीखों की सूचना मैं इस सदन में दे चुका हूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---माननीय मंत्री जी ने जिन चार्जेज का हवाला दिया है क्या वे उनकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहनलाल गौतम---अध्यक्ष महोदय, जांच के दौरान में इस तरह की सूचना देना मुनासिब नहीं होगा।

पुलिस कर्मचारियों को खादी की वर्दी देने का विचार

३---श्री गौरीराम गुप्त** (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या पुलिस विभाग के कर्मचारियों को खद्दर की वर्दी देने का विचार सरकार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों ?

गृह मंत्री के सभा सचिव (श्री इस्तफा हुसैन)---जी हां। अभी प्रयोग के तौर पर कुछ ग्राम-चौकीदारों को खादी का कोट व साफा देने की दिशा में कुछ प्रारम्भिक निर्णय किये गये हैं। इसमें कितना अतिरिक्त व्यय होगा यह सूचना एकत्रित की जा रही है।

यदि उक्त प्रयोग सफल रहा तो पुलिस विभाग के अन्य कर्मचारियों को भी खादी की वर्दी देने के बारे में विचार किया जायेगा।

श्री गौरीराम गुप्त---क्या सरकार को मालूम है कि सन् १९३८-३९ में सरकार ने एलान किया था कि पुलिस वालों को खादी की वर्दी दी जायगी ?

श्री इस्तफा हुसैन---इस समय मेरे पास सूचना नहीं है ।

श्री दीनदयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो वर्दी देने का विचार है उसका रंग भी तय कर दिया गया है कि क्या होगा ?

श्री इस्तफा हुसैन---मैंने निवेदन किया कि अभी तो प्रारम्भिक रूप में इसका निर्णय किया गया है । अभी उसमें खर्च इत्यादि की सब बातों का पता नहीं है ।

श्री गौरीराम गुप्त---क्या सरकार कांस्टेबुलों और हेडकांस्टेबुलों को भी खादी की वर्दी देने का विचार करेगी ?

श्री इस्तफा हुसैन---अभी मैंने उत्तर में निवेदन किया कि केवल कुछ विलेज चौकीदार के बारे में कुछ निर्णय किया गया है । जब प्रयोग हो जायगा और सफलता मिलेगी उसके बाद औरों के वास्ते विचार होगा ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह प्रारम्भिक कार्यवाही कब से प्रारम्भ की गयी और उसमें कितनी प्रगति हुई है ?

श्री इस्तफा हुसैन---यह ठीक तो नहीं बता सकता कि कौन-सी तारीख से प्रारम्भिक कार्यवाही शुरू की गई और उसमें क्या प्रगति हुई । इसके बारे में मैंने निवेदन किया कि अभी सब आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं कि कितना खर्च होगा खादी की वर्दी के बनाने में, पहले की वर्दी के मुकाबिले में । इन सब बातों की जांच की जा रही है ।

तारांकित प्रश्न

हरिजन केन सुपरवाइजर्स

*१---**श्री गनेशीलाल चौधरी** (जिला सीतापुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में इस समय कितने केन सुपरवाइजर काम कर रहे हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम---गन्ना विभाग के अन्तर्गत प्रदेश में इस समय ९८१ सुपरवाइजर काम कर रहे हैं ।

*२---**श्री गनेशीलाल चौधरी**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इनमें से कितने हरिजन हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम---इन सुपरवाइजरों में ४५ हरिजन हैं ।

श्री गनेशीलाल चौधरी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या कारण है कि अब तक हरिजनों की पूरी सुरक्षित जगहें भरी नहीं जा सकीं ?

श्री मोहनलाल गौतम---क्योंकि वह लोग आते नहीं हैं । १९५७-५८ में ४५ स्थानों के लिये हमने दरख्वास्तें मांगी थीं । १२ आदमियों ने दरख्वास्तें दीं । सब को बुलाया गया । सात आये और सातों चुन लिये गये । चार उसमें से काम पर आये और तीन आये ही नहीं और खबर भी नहीं दी ।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---मंत्री जी ने बताया कि हरिजनों के प्रार्थना-पत्र आते नहीं हैं । तो क्या सरकार हरिजनों को इसकी पूरी जानकारी हो सके इसके लिये हरिजन कल्याण विभाग के जरिये से जिलों में इसकी सूचना देने की कृपा करेगी ?

श्री मोहनलाल गौतम---अगर कोई ऐसी योजना हो जिसमें उनको सूचना दी जा सके तो उस पर विचार हो सकता है ।

*३-५—श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—[१३ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

सहकारिता के कानून में परिवर्तन की आवश्यकता

*६—श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहकारिता को लोकप्रिय बनाने के लिये सहकारिता के मौजूदा कानून को परिवर्तन करने की कोई व्यवस्था की जायेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां। पूरा प्रयत्न किया जा रहा है कि शीघ्र से शीघ्र यह विधेयक सदन में आ जाय।

*७—श्री विश्रामराय (अनुपस्थित)—क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि के विकास को तीव्रतर करने के लिये सन् १९५८-५९ में अब तक कौन-कौन विशेष कार्य हुये हैं?

श्री मोहनलाल गौतम—कृषि विकास के कार्य का संबंध कृषि विभाग के अतिरिक्त सहकारिता, नियोजन, सिंचाई, माल तथा अन्य विभागों से भी है। सभी विभागों में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १९५८-५९ के लक्ष्यों को पूरा करने का पूर्ण प्रयत्न किया गया, जिसकी सूचना बजट बहस के दौरान में दी जा चुकी है। विशेष कार्य खरीफ और रबी आन्दोलनों का चालू होना था, जिसकी प्रगति का ब्योरा भी बजटकी बहस के दौरान में दिया जा चुका है।

इलाहाबाद में मछलियों के लिए कोल्ड स्टेरेज

*८—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि प्रदेश में किन-किन जिलों में मछली इत्यादि को रखने के लिये कोल्ड स्टोरेज (cold storage) बनाये गये हैं?

श्री मोहनलाल गौतम—मछली के रखने के लिये इस समय एक कोल्ड स्टोरेज इलाहाबाद में बनाया गया है।

*९—श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)—[मुख्य मंत्री से संबंधित अठारहवें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ७६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*१०—११—श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—[१३ अप्रैल, १९५९ के लिए स्थगित किये गये।]

नमी के कारण रबी बीज के वजन में बढ़ती

*१२—श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मई और जून में जब सहकारी समितियों के बीज भंडार में रबी का बीज (गेहूं, चना, जौ आदि का) काश्तकारों से लेकर रखा जाता है उस वक्त जो वजन में होता है उससे प्रतिमन कितना नमी के कारण अक्तूबर तक जब, तक कि काश्तकारों को दुबारा बोने के लिये दिया जाया करता है, तब तक बढ़ जाया करता है?

श्री मोहनलाल गौतम—यदि घुन, पई, चूहे इत्यादि से क्षति न हो तो किसानों से बीज लेकर मई-जून में रखने के समय से अक्तूबर में काश्तकारों को दुबारा बोने के लिये देने के समय तक नमी के कारण औसतन ३ छटांक प्रति मन वृद्धि हो सकती है।

कृषि उपज बढ़ाने के लिए ऋण की आवश्यकता

*१३—श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केंद्रीय सरकार ने सन् १९५९-६० ई० के आय-व्यय के वर्ष में कृषि की उपज बढ़ाने के लिये कितनी धनराशि ऋण के रूप में दी है?

श्री मोहनलाल गौतम—अभी कुछ नहीं दिया है।

बुलन्दशहर जिले में सप्लाई दफ्तर के इन्सपेक्टर

*१४—**श्री छत्तरसिंह** (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बुलन्दशहर जिले के सप्लाई दफ्तर में कुल कितने इंस्पेक्टर हैं और उनके कार्य-काल की अवधि बुलन्दशहर जिले में क्या है ?

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री महावीर सिंह)—केवल तीन इंसपेक्टर हैं। दो के कार्य-काल की अवधि करीब ११ वर्ष तथा एक की १३ वर्ष है।

श्री छत्तरसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इनके इतने अधिक दिनों तक रहने का विशेष कारण क्या है ?

श्री महावीरसिंह—नान गजटेड स्टाफ के हैं ये।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि यह इंसपेक्टर उसी जिले के रहने वाले हैं और इसके बावजूद इतने दिनों तक वहां क्यों बने हुए हैं ?

श्री महावीरसिंह—जी हां, उसी जिले के हैं और जैसा मैंने बताया कि नान गजटेड स्टाफ के हैं ये इसलिये यह प्रश्न पैदा नहीं हुआ था।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन सप्लाई इंसपेक्टरों के बारे में जैसी शिकायतें प्रदेश में आ रही हैं उसको देखते हुए इनके स्थानान्तरण के बारे में सरकार की नीति क्या है ?

श्री अध्यक्ष—अभी नीति के बारे में तो उन्होंने बता दिया।

*१५—**श्री रामस्वरूप वर्मा**—[१३ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

टाउन एरियाओं में हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटीज की आवश्यकता

*१६—**श्री गौरीराम गुप्त**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह टाउन एरियाओं में भी हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटीज बनाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मोहनलाल गौतम—किसी भी टाउन एरिया के निवासी यदि चाहें तो हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटी का संगठन कर सकते हैं। टाउन एरियाओं में हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटीज बनाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

श्री गौरीराम गुप्त—क्या सरकार तत्काल कोई ऐसी योजना बनायेगी कि जिससे कि टाउन एरिया की हाउसिंग कमेटी बनाने पर उन लोगों को मकान बनाने के लिये रुपया कर्जे के रूप में मिल सके ?

श्री मोहनलाल गौतम—अध्यक्ष महोदय, यह विषय विशेषकर हाउसिंग डिपार्टमेंट का है। अगर हमको रुपया मिले तो हम दे सकते हैं, इतना हम कर सकते हैं।

*१७—**श्री ब्रजनारायण तिवारी** (जिला देवरिया) **तथा श्री यशपालसिंह** (जिला सहारनपुर)—[१३ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

गन्ने के उत्पादन व्यय के लिए जांच समिति कायम करने की मांग

*१८—**श्री ब्रजनारायण तिवारी**—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि गन्ने के उत्पादन-व्यय की जांच के लिये (कि अन्य देशों के मुकाबले गन्ने की उपज कम है) कोई जांच समिति बैठाने का सुझाव केंद्रीय सरकार को देने का इस वर्ष वह विचार कर रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम---जी नहीं ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---क्या सरकार के सामने यह विचाराधीन नहीं है कि प्रदेश का इतना बड़ा व्यवसाय गन्ने का है और उसकी उपज कम है, तो उसके लिये कोई समिति क्यों नहीं बैठायी जाती है कि क्यों उपज कम है ?

श्री मोहनलाल गौतम---इस पर केंद्रीय सरकार विचार कर रही है और उन्होंने इस पर काम किया है।

श्री गेंदासिंह---क्या इस की जानकारी सहकारिता मंत्री जी को है कि केंद्रीय सरकार ने जिस समिति की स्थापना की थी, उसकी रिपोर्ट भी प्रस्तुत हो चुकी और उसने कोई अन्दाजा लगा लिया है ?

श्री मोहनलाल गौतम---मुझे जो जानकारी है वह यह है कि सेंट्रल शुगर केन कमेटी ने एक एडहाक कमेटी श्री वेंकटाराव की अध्यक्षता में वहां पर बनाई। उसके आगे मुझे सूचना की आवश्यकता है।

श्री गेंदासिंह---इसमें सरकार को क्या दिक्कत है यदि वह स्वतः उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादकों की इस मांग को सामने रख कर खुद जांच कर लें कि गन्ने का लागत मूल्य क्या है ?

श्री मोहनलाल गौतम---जो कमेटी केंद्र में बनी है उससे अगर हमको कोई और ज्यादा जानकारी की जरूरत हो, या कुछ फैलने को देखने की जरूरत हो तो वह सवाल उठ सकता है। इसलिये अभी तो उनका इंतजार करना होगा।

*१९-२०---**श्री गजेन्द्रसिंह** (जिला इटावा)---[१३ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

*२१-२३---**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी** (जिला बस्ती) तथा **श्री गनेशीलाल चौधरी**---[१३ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

आटा मिलों की सूजी तथा मैदा

*२४---**श्री देवकीनन्दन विभव** (जिला आगरा) (अनुपस्थित)---क्या सरकार को विदित है कि आटा मिलों को सरकार द्वारा जो गेहूं, मैदा, सूजी और आटा बनाने के लिये दिया जाता है उसमें से आटा और सूजी जिस प्रतिशत से निकाला जाना नियत है उससे अधिक निकाला जाता है ?

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)---जी नहीं।

*२५-२६---**श्री गनेशचन्द्र काछी**---[१३ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

खीरी उपनिवेश योजनान्तर्गत कृषि उपज पर व्यय

*२७---**श्री बंशीधर शुक्ल** (जिला खीरी)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि खीरी उपनिवेश योजना में जो ७,३४५ एकड़ जमीन तोड़वाने और सात सौ के करीब खेतिहर आबाद करने में जो ६१,२०,७८६ रुपया खर्च किया है इसका व्योरा क्या है ?

श्री मोहनलाल गौतम---खीरी उपनिवेशन योजना के अन्तर्गत ६१,२०,७८९ रु० के खर्च का व्योरा संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ९८४ पर)

*२८---श्री बंशीधर शुक्ल---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस योजना से कितनी वेश की पैदावार बढ़ी ?

श्री मोहनलाल गौतम---खीरी उपनिवेश योजना के फलस्वरूप देश में अन्न के उत्पादन में कम से कम ६,००० टन वार्षिक की वृद्धि हुई है।

श्री बंशीधर शुक्ल---क्या सरकार बतलायेगी कि जो जमीन तोड़ी गई, उसके लिये ४,०६,८०६ रुपया खर्च किया और उसमें से ३,५६,८०५ रुपया केवल ट्रैक्टर आदि के लिये खर्चा किया, तो इसकी क्या जरूरत है जब कि सिर्फ ७,३४५ एकड़ जमीन ही तोड़ी गई ?

श्री अध्यक्ष---आप ऐसा सवाल पूछिये जिससे आपको कुछ जानकारी हो सके।

श्री बंशीधर शुक्ल---मैं यह जानना चाहता हूं कि जब आपने इतना रुपया जमीन के तोड़ने में खर्च किया तो ट्रैक्टरों के खरीदने की क्या आवश्यकता पड़ी ?

श्री मोहनलाल गौतम---क्योंकि जमीन बगैर टैक्टर के नहीं तोड़ सकते ।

श्री गेंदासिंह---यह जो जमीन तोड़ी गई तो उस पर फी एकड़ क्या खर्चा पड़ा ?

श्री मोहनलाल गौतम---यह तो तालिका में दिया हुआ है। माननीय सदस्य हिसाब लगा सकते हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या माननीय मंत्री जी स्वयं सदन के सदस्यों की सुविधा के लिये हिसाब लगाकर यह बता सकते हैं कि कुल जमीन की तुड़वाई में वह इनमें से किन-किन आइटम्स को शामिल करते हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम---यह लम्बा-चौड़ा हिसाब है। इसमें इस वक्त जरा भी गलती हो जायगी तो मेरे लिये मुनासिब नहीं होगा। सदस्य महोदय अपने आप हिसाब लगाने की कृपा करें।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जितने परिवार वहां पर खेती करने के लिये बसाये गये थे वह सब आज तक वहां पर हैं या उनमें से कुछ भाग भी गये ?

श्री मोहनलाल गौतम---इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी। वे भाग भी गये यह मुझे मालूम नहीं है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि उन्होंने जो ६ हजार टन वार्षिक वृद्धि बताई तो वह जो जमीन तोड़ी गई उसकी कुल पैदावार है या और किसी आधार पर यह हिसाब लगाया है ?

श्री मोहनलाल गौतम---जो वहां पैदा हुआ वही है।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि जो यह कालोनी में पैदावार हुई है वह मैदान की पैदावार के औसत से कम है ?

श्री मोहनलाल गौतम---इस सूचना के लिये धन्यवाद है, मुझे तो कुछ याद नहीं है।

श्री भीखालाल---क्या माननीय मंत्री जो बतायेंगे कि कि ६,००० टन पैदावार जो बढ़ी है उसमें कुल खाद्यान्न ही है या गन्ने की पैदावार भी शामिल है ?

श्री मोहनलाल गौतम---अगर मेरा उत्तर सुन लिया गया होता तो प्रश्न नहीं उठता। उसमें है कि खीरी पुनर्वास योजना के फलस्वरूप देश में अन्न के उत्पादन में कम से कम ६,००० टन वार्षिक की वृद्धि हुई है।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह ६१,२०,७८६ रुपया जो है उसमें भूमि का मूल्य भी शामिल है? अगर है तो वह कितना है?

श्री मोहनलाल गौतम---उसमें भूमि का मूल्य नहीं है। यह वह जमीन है जो खाली पड़ी हुई थी, उसको तोड़ा गया है।

श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला बलिया)---क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जो जमीन तोड़ी गयी है उसपर खर्चा ज्यादा पड़ रहा है इसलिये सरकार जमीन तुड़वाने की स्कीम को बन्द कर रही है?

श्री मोहनलाल गौतम---यह प्रश्न उठता नहीं है। जितना रुपया हमको योजना के लिये मिलता है उसके हिसाब से जमीन नयी तुड़वा लेते हैं।

श्री बंशीधर शुक्ल---क्या सरकार बतायेगी कि जो यह खर्चा किया गया है ले आउट, डिमार्केशन, डौलबन्दी इत्यादि में और १,३०,००० रुपया इसमें खर्च किया गया है तो कितनी मेड़ें बंधी हैं, कितना डिमार्केशन हुआ है और कितनी जमीन वैसे ही पड़ी हुई है?

श्री अध्यक्ष---इतना ब्योरा मंत्री जी से नहीं पूछा जा सकता।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)---क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो ४,०९,८०९ रुपया जमीन के तुड़वाने में खर्च हुआ है---और मदें तो अलग-अलग दी गयी हैं---यह रुपया किस तरह से खर्च हुआ है?

श्री मोहनलाल गौतम---जमीन की तुड़ाई के माने तो साफ हैं, उसका विस्तार इस वक्त मेरे पास नहीं है।

बृजमनगंज छाया खंड में धान के बीज में खराबी की शिकायत

*२९---**श्री गौरीराम गुप्त**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले में फरेंदा तहसील के बृजमनगंज छाया खंड के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम के कितने एकड़ में बोने के लिये बृजमनगंज सीड स्टोर कृषि विभाग की तरफ से १९५७-५८ में कितना धान दिया गया?

श्री मोहनलाल गौतम---सन् १९५७-५८ में बजमनगंज कषि बीज गोदाम नहीं खुला था। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*३०---**श्री गौरीराम गुप्त**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपरोक्त सीड स्टोर से जो धान किसान खेत में बोने के लिये ले गये थे खेतों में उस धान की फसल कुछ भी पैदा नहीं हुई?

श्री मोहनलाल गौतम---प्रश्न नहीं उठता।

श्री गौरीराम गुप्त---क्या सरकार को मालूम है कि जो धान १९५८-५९ में दिया गया था उससे कतई खेती में कुछ नहीं पैदा हुआ, तो सरकार किसानों पर जो बीज का बकाया है उसे माफ करने की कृपा करेगी?

श्री मोहनलाल गौतम---यह प्रश्न १९५८-५९ से सम्बन्ध रखता है, दूसरा सवाल है, मुझे इस समय कुछ मालूम नहीं है।

*३१-३२---**श्री बुलाकीराम** (जिला हरदोई)---[१३ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

रहट बनाने के लिए लोहे के कोटे में वृद्धि

*३३—कुमारी कमलकुमारी गोईंदी (जिला इलाहाबाद)—क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वह रहटों के लिये लोहे का Permit देने की व्यवस्था करने पर विचार करेंगे ?

श्री महावीरसिंह—जी हां। ऐसे आदेश जारी किये गये हैं कि जो स्वीकृत फैब्रीकेटर रहट बना रहे हों या रहट बनाने पर तैयार हों उनको कुछ अधिक लोहे का कोटा इस कार्य के लिये दिया जाये।

कुमारी कमलकुमारी गोईंदी—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कहां-कहां पर फैब्रीकेटेड रहट बने हैं ?

श्री महावीरसिंह—नोटिस की आवश्यकता है।

कुमारी कमलकुमारी गोईंदी—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में किस-किस फैक्टरी को रहट बनाने के लिये लोहे का कोटा दिया गया ?

श्री महावीरसिंह—नोटिस की आवश्यकता है।

रबी की फसल का अनाज खरीदने का विचार

*३४—श्री शमसुल इस्लाम (जिला एटा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आने वाली फसल रबी में सरकार गेहूं, जौ, मटर, चना, अरहर, सरसों, किस-किस रेट पर खरीदेगी ?

श्री महावीरसिंह—रबी फसल के अनाजों की खरीदारी का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

*३५—श्री शमसुल इस्लाम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कौन-कौन रबी के अनाजों को सरकार नहीं खरीदेगी ?

श्री महावीरसिंह—यह प्रश्न अभी नहीं उठता।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इधर हाल में रबी के गल्ले को खरीदने के लिये रेट निर्धारित करने के लिये कोई बैठक की गई ?

श्री महावीरसिंह—विचार तो बराबर जारी है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—सरकार ने क्या रेट तय किये, इसकी सूचना वह कब तक दे सकेगी ?

श्री महावीरसिंह—शीघ्र ही।

जिला सहकारी बैंक, आजमगढ़ में कुप्रबन्ध

*३६—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश, आजमगढ़ ने लाखों रुपया अनियमित ढंग से रखने, खर्च करने आदि के कारण जिला कोआपरेटिव बैंक आजमगढ़ को सरकार के प्रबंध में शीघ्र कर लेने के लिये हाल ही में कोई पत्र लिखा है ? यदि हां, तो उस पर कौन-सी कार्यवाही की गई ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी नहीं, जिलाधीश, आजमगढ़ ने ऐसा कोई पत्र नहीं लिखा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश, आजमगढ़ ने इस कोआपरेटिव बैंक के खिलाफ कुछ और प्रकार के शिकायती पत्र लिखे हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में आपकी इजाजत से मैं थोड़ी-सी जानकारी करा दूं। जिला सहकारी बैंक, आजमगढ़ का प्रबंध इधर कुछ दिनों से बिगड़ा हुआ है। बैंक के हिसाब-किताब काफी दिनों से अपूर्ण पड़े हैं। सन् १९५६–५७ व १९५७–५८ की "बैलेन्स शीट" अभी तक नहीं बन पाई है जिसके फलस्वरूप बैंक का आडिट भी नहीं हो पाया। हिसाब-किताब अपूर्ण होने के कारण समितियां अपने हिसाब का मिलान बैंक की किताबों से नहीं कर पाईं। समितियों की साख प्रत्येक वर्ष बैंक द्वारा निश्चित नहीं की जाती। बैंक के कर्मचारियों ने अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया। उनकी लापरवाही के कारण ही हिसाब-किताब में गड़बड़ी हुई है। संचालक मंडल को हिसाब-किताब चेक कराने के लिये काफी लिखा जा चुका है। उप अनुबंधक, सहकारी समितियां, गोरखपुर ने संचालक मंडल के ऊपर कुछ आरोप लगाये हैं। जिलाधीश, आजमगढ़ जो इस बैंक के पदेन सभापति हैं, इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि बैंक का हिसाब शीघ्रातिशीघ्र ठीक हो जाय। हिसाब-किताब ठीक किया जा रहा है। ज्योंही हिसाब-किताब पूरा हो जावेगा, बैंक का आडिट होगा जिससे समस्त त्रुटियां मालूम हो सकें।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हिसाब-किताब की गड़बड़ी किस सन् से है ?

श्री मोहनलाल गौतम—वह तो आडिट के बाद ही पता चलेगा।

श्री श्री कृष्णदत्त पालीलाल—क्या मंत्रीजी बतलाने की कृपा करेंगे कि विभाग के अधिकारी ने जो आरोप लगाये हैं वे क्या हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—जैसा मैंने कहा कि अभी हिसाब-किताब नहीं हुआ है इसलिये उसको अभी न बताना ही ज्यादा अच्छा होगा।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—जैसा कि अभी बताया गया कि वहां के कर्मचारियों के कारण यह अनियमितताएं हैं, इस बात को ध्यान में रख कर क्या सरकार जब तक कि उसकी जांच न हो तब तक उन कर्मचारियों को सस्पेंड करके इसकी जांच करायेगी ?

श्री मोहनलाल गौतम—जो कुछ जरूरी समझा जा रहा है वह होगा और किया जा रहा है।

बंगाली कालोनी, जिला नैनीताल के तालाबों में पानी की कमी से मछलियों का मरना

*३७—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि बंगाली कालोनी, जिला नैनीताल में मत्स्य-पालन हेतु बने चार तालाबों में डाली गई सभी मछलियां मर गईं ?

श्री मोहनलाल गौतम—बंगाली कालोनी, जिला नैनीताल के तालाबों में डाली गई अधिकतर मछलियों के बच्चों के मरने की सूचना मिली है।

*३८—श्री नारायणदत्त तिवारी (अनुपस्थित)—क्या इस दुर्घटना का मुख्य कारण तालाबों में पानी की सप्लाई व्यवस्था न होना था ?

श्री मोहनलाल गौतम—पानी की कमी के कारण यह दुर्घटना हुई।

*३९—श्री नारायणदत्त तिवारी (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस स्थिति के निराकरण-हेतु वह क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम—निकट के नहरों तथा जलकूप से पानी लाने की व्यवस्था की जा रही है।

गोंडा जिले में सरकारी बीज भंडारों से बीज वितरण

*४०—**श्री गंगाप्रसाद** (जिला गोंडा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कि जिला गोंडा में अक्तूबर और सितम्बर सन् १९५८ ई० में कितना मन बीज गेहूं, जौ, मटर, किसानों को बेसिक राजकीय बीज भंडार से दिया गया और वहां कुल कितने राजकीय बीज भंडार हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—वितरित बीज की मात्रा २५,३०३ मन। राजकीय बीज भंडारों की संख्या २१।

श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कितने मन गेहूं, कितने मन चना और कितने मन मटर वितरण किया गया ?

श्री मोहनलाल गौतम—गेहूं १९,५११ मन, जौ २,४७४ मन, मटर ३,३१८ मन, कुल २५,३०३ मन हैं।

श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितने मन गेहूं, मटर और चना नगद दाम पर किस भाव से बेंचा गया है ?

श्री मोहनलाल गौतम—राजकीय बीज भंडारों का सवाल था। नगद का कायदा यह है कि वह अलग रखा हुआ है। तकावी दी जाती है और वह ले ली जाती है। उसका हिसाब दूसरा है।

श्री गंगाप्रसाद—राजकीय बीज भंडार से नगद दाम पर किस भाव बेचा गया है ?

श्री मोहनलाल गौतम—सूचना की आवश्यकता है। आम तौर से इस वर्ष गेहूं नगद दाम पर वह दिया गया था जो बाहर से मंगाया था और वह २० रुपये कुछ पैसे के हिसाब से दिया गया था जो बाजार भाव से बहुत कम है।

लार कस्बे में सस्ते अनाज की वितरण-व्यवस्था

*४१—**श्री अब्दुल रऊफ लारी**—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि लार, जिला देवरिया के सस्ते गले की दूकानों पर जो कार्ड (परिचय-पत्र) बटा है वह चेयरमैन टाउन एरिया की तरफ से बाटा गया था ? यदि हां, तो क्या वह चल रहा है या बन्द कर दिया गया ? यदि बन्द कर दिया गया, तो क्यों ?

श्री महावीरसिंह—जी नहीं। प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

*४२—**श्री अब्दुल रऊफ लारी**—क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त दूकानदारों को रोजाना कितना चावल और गेहूं बेचने की आज्ञा है ?

श्री महावीरसिंह—गेहूं और चावल मिलाकर ३० मन।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या २ नवम्बर, १९५८ को सर्किल इंसपेक्टर, श्री दीपनारायणसिंह जी की मौजूदगी में टाउन एरिया कमेटी की कोई मीटिंग होकर यह तय पाया कि परिचय पत्र टाउन एरिया कमेटी के द्वारा बाट कर गल्ला बंटवाया जाय ?

श्री महावीरसिंह—सूचना की आवश्यकता है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—आज जिस कार्ड पर गल्ला बट रहा है क्या उस पर सच्चिदानन्द, जिला कांग्रस कमटी, के मंत्री की मोहर लगी है ?

श्री महावीरसिंह---चार सस्ते गल्ले की दूकानें हैं। उनमें दो में ऐसा है कि सच्चिदानन्द त्रिपाठी की रबरवाली मुहर के दस्तखतों से कार्ड बांटे गये हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---बाकी दो दूकानों में जिनके लिये सरकार की तरफ से 'जी नहीं' उत्तर दिया गया है उनके परिचय-पत्र किनकी तरफ से दिये गये हैं ?

श्री महावीरसिंह---दूकानों की तरफ से ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या यह देखते हुये कि अभी मुरादाबाद में भी ऐसे ही कार्ड बंटे थे, सरकार ने ऐसे आदेश दिये हैं कि ऐसे कार्ड हर जिले में माने जावें जिन पर कांग्रेसवालों की मुहर हो ?

श्री महावीरसिंह---मुरादाबाद की कोई बात नहीं है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार ने वे कार्ड देखे हैं जिनके शीर्षक में से टाउन एरिया का नाम काटकर बांटे गये हैं और जो मेरे पास मौजूद हैं ?

श्री महावीरसिंह---मैंने अर्ज किया कि चार दूकानें हैं जिनमें से एक ने कार्ड नहीं छपवाये और टाउन एरिया वालों पर अपने दस्तखत करा के बांटे हैं। शायद इसीलिये गलतफहमी हो रही है ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि विभिन्न दूकानों पर गैरसरकारी लोगों की समिति ३ या ५ आदमियों की वहां के डी०एस० ओ० ने बना दी और उन्होंने जनता की सुविधा की दृष्टि से ये कार्ड बंटवाये थे ?

श्री महावीरसिंह---नोटिस की आवश्यकता है ।

कुंवर श्रीपालसिंह---जिन कांग्रेस अधिकारी की मुहर से ये कार्ड बांटे गये उन्हें सरकार की ओर से यह मान्यता या आदेश मिले था उन्होंने अपनी तबियत से किया है ?

श्री महावीरसिंह---सहूलियत की दृष्टि से किया गया ।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन मंत्री जी के नाम की मुहर लगी है उनके नाम से कार्ड बटवाने के लिये अधिकार सरकार ने दिया है या किसने ?

श्री महावीरसिंह---जनता की सहूलियत के लिये वहीं स्थानीय इंतजाम किया गया ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि केवल एक ही राजनीतिक पार्टी की सहूलियत के लिये यह सुविधा दी गई या प्रदेश भर में और किसी राजनीतिक पार्टी की सहूलियत के लिये भी यह सुविधा दी गई है ?

श्री महावीरसिंह---दूकानदारों ने जनता की सहूलियत के लिये ऐसा किया। आम प्रश्न नहीं उठता है ।

देवरिया जिले में गंधी से धान को क्षति

*४३---**श्री उग्रसेन** (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १३६६ फसली के खरीफ में धान, बाजरा, अगहनी आदि फसलों पर देवरिया जनपद में कितने गांवों में गंधी मक्खियों द्वारा प्रति तहसील क्षति पहुंची है ?

श्री मोहनलाल गौतम—

तहसील	गांवों की संख्या
देवरिया	२३३
सलेमपुर	१२७
पडरौना	४८४
हाटा	३२७

उपरोक्त आंकड़े केवल धान की फसल पर हुये प्रकोप के हैं। बाजरे इत्यादि की फसल पर मक्खियां नुकसान नहीं पहुंचातीं ।

*४४—**श्री उग्रसेन** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया जनपद को उक्त आपदा से बचाने के लिये सरकार ने किसानों की कौन-कौन सी सहायता की ?

श्री मोहनलाल गौतम—बी०एच०सी० डस्ट काफी मात्रा में ३ रुपया प्रति एकड़ की दर से आपदा-ग्रस्त खेतों में छिड़काने के हेतु उपलब्ध किया गया, जबकि सरकारी खर्च ५ रुपया प्रति एकड़ होता है। जिनके पास पैसे का अभाव था उनके खेतों में यह कार्य उधार भी किया गया। Technical सहायता हेतु १० प्लान्ट प्रोटेक्शन असिस्टेन्ट और कृषि एवं विकास विभाग के सभी अधीनस्थ वर्ग कर्मचारियों की सेवायें संपूर्ण आपत्तिकाल में किसानों को अर्पित रहीं ।

मजखाली का फार्म

* ५—**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मजखाली, जिला अल्मोड़ा में फार्म कब व कितने में खरीदा गया ? उपरोक्त फार्म के रख-रखाव, मरम्मत आदि में गत ३ वर्षों में कितना-कितना खर्च किया गया ?

*४६—मजखाली फार्म में १९५७ से अब तक क्या-क्या और कितना-कितना बीज आज तक बोया गया और उसमें फसल दर फसल कितना-कितना अनाज अलग-अलग किस्म का पैदा हुआ ?

श्री मोहनलाल गौतम—सूचना एकत्रित की जा रही है। प्राप्त होने पर उत्तर दिया जायेगा ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या मंत्री जी इस बात का भी पता लगावेंगे कि इस फार्म के लिये पहले ३०,००० रुपये में बहुत लोगों से खरीदने के लिये कहा गया था लेकिन उन्होंने नहीं खरीदा और सरकार ने ५०,००० रु० में खरीद लिया ?

(उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री जी इस बात का भी पता लगावेंगे कि यह फार्म इस समय घाटे में चल रहा है ?

श्री मोहनलाल गौतम—यह सभी सूचना सामने आ जायेगी। इतनी चीजें इकट्ठा करने में कुछ समय लगता ही है ।

भरारी तथा सैतपुर के कृषि यांत्रिक फार्म

*४७—**श्री गज्जूराम** (जिला झांसी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायगी कि भरारी तथा सैतपुर, झांसी एग्रीकल्चर तथा डेरी फार्म में १९५६ से १९५८ तक सरकार का कितना धन व्यय हुआ है और कितनी आय ?

श्री मोहनलाल गौतम—भरारी तथा सैतपुर राजकीय कृषि यांत्रिक फार्मों का व्यय तथा आय का विवरण संलग्न तालिका में दिया है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ९८५ पर)

बदायूं जिले में गेहूं के बीज का वितरण

*४८—श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)—क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बदायूं में चालू वर्ष में कितना गेहूं का बीज आबपाशी के क्षेत्र वाला बांटा गया और कितना गेहूं का बीज बिना आबपाशी के क्षेत्र वाला बांटा गया ?

श्री मोहनलाल गौतम—बदायूं जिले में कुल १,१६,१४६ मन गेहूं का बीज १९५८-५९ में बांटा गया, जिसका विवरण इस प्रकार है—

(१ सिंचित और असिंचित दोनों प्रकार के क्षेत्रों में उग सकने वाले किस्मों की वितरित मात्रा— १,१०,१५७ मन । २ सिंचित क्षेत्र में उग सकने वाले किस्मों की वितरित मात्रा— ५,९८९ मन । अधिकतर ग्रामों में थोड़ी बहुत सिंचाई तथा असिंचित दोनों प्रकार की भूमि होती है । ज्यादातर मात्रा वह थी जो दोनों प्रकार की भूमि में उग सकती है और कुछ विशेष किस्में वह भी बांटी गईं जो केवल सिंचित क्षेत्र में हो सकती हैं ।

प्रतापगढ़ जिले में राजकीय कृषि फार्म पर व्यय

*४९—श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ जिले के सरकारी कृषि फार्म पर सन् १९५५-५६, १९५६-५७ तथा १९५७-५८ में कितना खर्च हुआ और उससे कितनी आदमनी हुई ?

श्री मोहनलाल गौतम—आवश्यक सूचना निम्न प्रकार है :

वर्ष			आय	व्यय
			रु०	रु०
१९५५-५६	..	..	९१,४०६	८८,४४४
१९५६-५७	..	..	६०,९९८	६३,६६७
१९५७-५८	..	..	७५,३८०	७३,६५०

*५०—श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (अनुपस्थित)—क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ के सरकारी कृषि फार्म पर कितने अधिकारी तथा कर्मचारी हैं और उनको प्रतिमास कुल कितना वेतन देना पड़ता है ?

श्री मोहनलाल गौतम—प्रतापगढ़ फार्म पर एक अधिकारी तथा १२ कर्मचारी हैं और उनको ९३२ रु० ५० नये पैसे प्रतिमास देना पड़ता है ।

*५१—श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (अनुपस्थित)—क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ कृषि फार्म में कार्य के लिये कितने बैल रक्खे गये हैं और क्या कोई दूध देने वाले जानवर भी हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—इस फार्म पर केवल ७ जोड़ी बैलों की हैं । दूध देने वाला जानवर कोई भी नहीं है ।

गोंडा जिले के सहकारी भट्ठों का ईंटा

*५२—श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में कितने ईंटों के भट्ठे कोआपरेटिव विभाग द्वारा कहां-कहां इस वर्ष चलाये जा रहे हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम--जिला गोंडा में इस वर्ष ७ सहकारी भट्टे निम्न लिखित स्थानों पर चलाये जा रहे हैं :

१--गोंडा
२--चरौली (परसपुर)
३--बभनान
४--मनकापुर
५--बलरामपुर
६--कौवापुर
७--पचपेडवां

*५३--**श्री गंगाप्रसाद**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में ईंटों के भट्ठों (कोआपरेटिव विभाग) में सन् १९५६-५७ और सन् १९५७-५८ में कितना काम हुआ, किस दर से ईंटा बिका, कितना लाख ईंटा बनाया गया और कितना बच गया है ?

श्री मोहनलाल गौतम--जिला गोंडा के सहकारी भट्ठे में १९५६-५७ में १,८७,६९,००० ईंटा बना और बिकने के बाद साल के अन्त में ९०,६३,००० ईंटा बच गया १९५७-१९५८ में १,९९,३१,००० बना और १,२३,२५,००० ईंटा बच गया।

ईंटा निर्धारित दर पर और इससे भी कम दर पर बिका।

श्री गंगाप्रसाद--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो ७ सहकारी भट्टे चल रहे हैं उनमें कितने मजदूर काम कर रहे हैं और उन्हें दैनिक मजदूरी क्या दी जाती है ?

श्री मोहनलाल गौतम--ये सहकारी भट्टे वहीं के आदमियों की सहकारिता के आधार पर संगठित किये हुये हैं। वे सरकारी नहीं हैं। इसलिये इसकी सारी सूचना उन्हीं के पास रहती है। अगर मुझे नोटिस मिले तो मैं मंगाकर दे सकता हूं।

श्री देवनारायण भारतीय--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब १९५६-५७ के भट्ठों में से ९० लाख ईंटे बच गयी थीं तो १९५७-५८ में एक करोड़ से ऊपर ईंटें तैयार क्यों करायी गयीं ?

श्री मोहनलाल गौतम--उनकी जिम्मेदारी सरकार पर नहीं है। सहकारी संस्थायें अपने भट्ठों को बनायें या बिगाड़ें।

श्री गंगाप्रसाद--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह ईंटें किस रेट पर बेची गयीं ? कितने लाख अव्वल, कितने लाख दोयम, पीली और गुडिया उन भट्ठों से तैयार हुई ?

श्री मोहनलाल गौतम--अगर यह प्रश्न लिखकर पूछा जायगा तो मैं सब की सूचना दे दूंगा।

सहकारी बीज भंडार, तालबेहट का बकाया।

*५४--**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी** (जिला झांसी)--क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी बीज भंडार, तालबेहट (जिला झांसी) का दिसम्बर, १९५८ तक रबी और खरीफ का बीज अथवा बीज का रुपया कितना-कितना किन-किन लोगों पर बकाया है और आज तक वसूल न होने का क्या कारण है ?

श्री मोहनलाल गौतम--एक सूची† मेज पर रखी है। वसूली न होने का कारण फसलों की खराबी रही है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि ९ फरवरी को जो सूचना दी गयी थी उसमें बकायादारों के पिता के नाम भी थे लेकिन आज की सूची में पिता के नाम नहीं हैं जिसके कारण पता ही नहीं लगता कि किस-किस को गलत तौर पर बीज दिया गया ?

---

†सूची छापी नहीं गई।

श्री अध्यक्ष---यह सुझाव है, आप प्रश्न पूछिये।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उनके पिता के नाम न देने के क्या कारण हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम---कोई खास कारण तो नहीं है। पहले पिता के नाम की गलती की बात थी, इसलिये मैंने उसके लिये ओरीजनल कागजात मंगाये हैं।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि किशोरी रमण नाम का कोई व्यक्ति ताल बेहट में नहीं है बल्कि तांसो में है ? तालबेहट में उसके पास एक इंच जमीन नहीं है लेकिन उसके नाम ऋण-संख्या ६२ पर ७०६ रुपये का बीज बकाया लिखा हुआ है।

श्री मोहनलाल गौतम---इस विस्तार में मेरे पास सूचना नहीं है। अगर इस प्रकार के विस्तृत प्रश्न लिख कर किये जा सकें तो अच्छा होगा। इन सब बातों की सूचनाओं में सदन का कितना समय खर्च होगा, यह आपके तय करने की बात है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---क्या मंत्री जी माननीय सदस्य के इस प्रश्न को सूचना मान कर इसकी जांच करायेंगे कि गलत आदमियों को बीज क्यों दिया गया जिसकी वजह से अभी तक रुपया वसूल नहीं हुआ ?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने कहा कि अगर आप लिख कर देंगे तो वे जांच करा लेंगे।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि जो यह फसल की खराबी की वजह से माफी की गयी वह उन्हीं आदमियों की की गई या कि पूरे क्षेत्र में ही उसको माफ कर दिया गया है ?

श्री मोहनलाल गौतम---इसकी सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---क्या माननीय मंत्री जी इस बकाया बीज को वसूल करने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहनलाल गौतम---सहकारी संस्थाओं को स्वतंत्रता है कि वे किसी कारण से वसूली मुल्तवी करें या माफ करें।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय मंत्री जी उन संस्थाओं को यह लिखने की कृपा करेंगे कि चूंकि फसल खराब हो गयी है इसलिये उन लोगों को जो बीज दिया गया है वह माफ कर दिया जाय ?

श्री मोहनलाल गौतम---यह प्रश्न बड़ी अज्ञानता से भरा हुआ है। जब तक सरकार उस घाटे की जिम्मेदारी अपने ऊपर न ले तब तक इस प्रकार की कोई आज्ञा वह नहीं दे सकती। इसलिये ऐसी आज्ञा देना मेरे बूते से बाहर है।

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिन किसानों के पास भूमि नहीं थी उनको भी गल्ला दिया गया, इसलिये वसूल नहीं हुआ ?

श्री अध्यक्ष---वह कह चुके हैं कि मेरे पास लिखित भेज दीजिये, मैं इसकी जांच करा लूंगा।

रायबरेली जिले की सहकारी समितियों द्वारा खाद बेंचने की शिकायत

*५५--**श्रीमती राजेन्द्रकुमारी** (जिला हमीरपुर)--क्या यह सत्य है कि रायबरेली जिले की विभागीय अधिकारियों के पास इस वर्ष सहकारी बीज भंडारों द्वारा रबी के बीज वितरण के सम्बन्ध में अनियमितताओं की शिकायतें पहुंची ? यदि हां, तो वह शिकायतें क्या हैं और उस पर जिलाधिकारियों ने क्या कार्यवाही की ?

श्री मोहनलाल गौतम--जी नहीं । अतः शिकायतों पर कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

*५६--**श्रीमती राजेन्द्रकुमारी**--क्या यह सही है कि सरकार के पास तथा जिला अधिकारियों के पास ऐसी शिकायत आई है कि रायबरेली जिले की कुछ सहकारी समितियों द्वारा कानपुर में अधिक कीमत पर खाद (केमिकल) बेची गई है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मोहनलाल गौतम--जी हां । निबन्धक सहकारी समितियों के कार्यालय में एक ऐसी शिकायत प्राप्त हुई है जिसकी प्राप्ति से पहले ही सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, रायबरेली को कुछ संदेह हुआ था और उन्होंने जांच की। जांच से यह मालूम हुआ कि फुरसतगंज, डलमऊ, मेजरगंज, हरचंदपुर, बछरावां तथा महाराजगंज बीज भंडारों ने खाद की बिक्री अपने कागजों में किसानों के नाम अवश्य दिखाई है पर यह खाद व्यापारियों के हाथ बेची गयी है । अतः इस सम्बन्ध में दो सहायक विकास अधिकारी, दो सुपरवाइजर और एक गोदाम प्रबन्धक (गोडाऊन कीपर) को निलम्बित कर दिया गया। जांच अभी हो रही है ।

श्रीमती राजेन्द्रकुमारी--माननीय मंत्री जी यह बतालाने की कृपा करेंगे कि ६ बीज भंडारों के २ ही सुपरवाइजर काम कर रहे थे जिन्हें मुअत्तल किया गया है ?

श्री मोहनलाल गौतम--इसका ब्योरा इस समय मेरे पास नहीं है ।

श्रीमती राजेन्द्र कुमारी--वहां पर ६ बीज भंडार हैं और माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि २ सुपरवाइजर मुअत्तल किये गये हैं, तो शेष ४ के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम--अध्यक्ष महोदय, अगर जांच के नतीजे तक सदन इन्तजार करे तो उसकी कृपा होगी ।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जांच किसके द्वारा करायी जा रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम--यह जांच डिपार्टमेंट के द्वारा ही हो रही है ।

श्रीमती राजेन्द्र कुमारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कित नी कीमत की खाद बेची गयी है ?

श्री मोहनलाल गौतम--यह भी जांच का विषय है ।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो खाद बेची गयी है वह कुल कितना बोरी तादाद में बेची गयी ?

श्री अध्यक्ष--जब उसकी कीमत भी नहीं मालूम है, तो उन्होंने बोरी थोड़े ही गिनी होंगी ?

श्री भीखालाल---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली से कानपुर जाते हुए खाद से लदा हुआ एक ठेला उन्नाव में पकड़ा गया ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री अध्यक्ष---यह तो नया सवाल है । आप लिख कर भेज देंगे तो उसका जवाब वे दे देंगे ।

आजमगढ़ जिला सहकारी विभाग के पुराने अधिकारी

*५७---**श्री तेजबहादुर** (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिला अन्तर्गत सहकारी विभाग में ऐसे कितने अफसर हैं जो तीन वर्ष से अधिक समय से वहां काम कर रहे हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम---सहकारी विभाग के २ कर्मचारी आजमगढ़ जिले में ३ साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं ।

श्री तेजबहादुर---क्या माननीय मंत्री जी उनके नाम बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहनलाल गौतम---श्री मूलचन्द्र उपाध्याय, ६-१२-५३ से और श्री परशुराममणि त्रिपाठी ५४ से काम कर रहे हैं ।

श्री तेजबहादुर---क्या यह सही है कि इनके तबादले हुए थे और फिर रोक दिये गये हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम---जी हां, यह सही है कि तबादला हो गया था और वह जिलाधीश के कहने से रोका गया था ।

श्री तेजबहादुर---क्या फिर तबादला करने का इरादा है ?

श्री मोहनलाल गौतम---तबादला रोकने के लिये अभी कोई फैसला सरकार ने नहीं किया है ।

श्री झारखंडेराय---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ३ साल से अधिक रोकने के क्या विशेष कारण सरकार की निगाह में हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम---यह ३ साल वाली बात ऐसी नहीं है कि जिसका एक्सेप्शन न हो सकता हो, बहुत से केसेज होते हैं । पहले सुपरवाइजर थे फिर इंसपेक्टर हुये, इस तरह की बहुत सी चीजें होती हैं, इसलिये ३ साल को कैद कोई जरूरी नहीं है कि ट्रान्सफर कर ही दिया जाय ।

श्री झारखंडेराय---क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि जिन अफसरों के नाम अभी पढ़े गये उनके खिलाफ काफी गम्भीर शिकायतें इस बीच में प्राप्त हुई हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम---इसके लिये सूचना चाहिये, लेकिन शिकायतें और ट्रान्सफर अलग-अलग चीजें हैं फिर भी अगर माननीय सदस्य मेरे नोटिस में कोई शिकायतें लायेंगे तो मैं उनका स्वागत करूंगा और कार्यवाही भी की जायगी ।

श्री गौरीशकर राय (जिला बलिया)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन २ कर्मचारियों का तबादला रोकने के लिये जिलाधीश ने किन कारणों से सिफारिश की है ?

श्री मोहनलाल गौतम---उन्होंने इसकी जरूरत समझी और कार्य की दृष्टि से उन को हटाना मुनासिब नहीं समझा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सहकारी मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या इन सुपरवाइजर और इंस्पेक्टरों के विरुद्ध लिखित शिकायतें भेजी गई हैं ? यदि हां, तो उनकी जांच किस के द्वारा कराई गई ?

श्री अध्यक्ष--वह तो जवाब दे चुके, उन्होंने कहा कि मैं स्वागत करूंगा कोई शिकायत करेगा तो । आप अन्य बात पूंछें ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि इन २ कोआपरेटिव इंसपेक्टरों के खिलाफ मैंने स्वयं लिखित शिकायत भेजी थी एक मास पहले ? यदि हां, तो किस के द्वारा उन की जांच कराई गई ?

श्री मोहनलाल गौतम--हर एक की बात मैं याद नहीं रख सकता, इतनी कमजोरी अपनी में जाहिर किये देता हूं, लेकिन जितनी शिकायतें आती हैं उन की जांच मैं करा लेता हूं ।

बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में बीज का वितरण

*५८--**श्री रामदास आर्य** (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की ऐसी भूमि जिसकी रबी और खरीफ की फसल के लिये बुवाई के ठीक समय तक पानी भरा रहने के कारण जुताई नहीं हो सकी, कौन-कौन से बीज तैयार कराये हैं जो देर में बोने से ठीक समय पर पक जायें ? क्या ऐसे बीज किसानों को दिये गये हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम--ऐसे बीजों का विवरण संलग्न तालिका में दिया है । यह बीज किसानों को इस साल दिये भी गये हैं ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ९८६-९८७ पर)

श्री रामदास आर्य--क्या मंत्री जी को मालूम है कि यह बीज किन-किन जिलों में वितरित किया गया है ?

श्री मोहनलाल गौतम--कई जगह हुआ है, लम्बी फेहरिस्त है ।

सहकारी संघ, पुखरायां में चुर्क सीमेंट फैक्टरी की बोरियों में सीमेंट की कमी

*५९--**श्री रामस्वरूप वर्मा**--क्या खाद्य मंत्री को ज्ञात है कि जिला कानपुर के अन्तर्गत पुखरायां में चुर्क सीमेंट फैक्टरी, मिर्जापुर की सीमेंट की बोरियां सहकारी संघ पुखरायां में विगत वर्ष खाद्य एवं पूर्ति विभाग के निरीक्षक द्वारा तौली गयी थीं और निश्चित वजन से कम पाई गई थीं ? यदि हां, तो इसका क्या कारण था और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री महावीरसिंह--जी हां । कुछ बोरियां निश्चित वजन (standard weight) से कम तथा कुछ अधिक पाई गईं लेकिन जब सीमेंट कम्पनी से इस मामले में लिखा पढ़ी की गई तो मालूम हुआ कि बोरियों में यह थोड़ी बहुत कमी उतार लदान के कारण से हो जाती है। चुर्क फैक्टरी के विक्रय अधिकारी ने विश्वास दिलाया है कि भविष्य में इसकी विशेष रूप से देखभाल की जायेगी ।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि जो भरी बोरियां तौली गईं वह कितनी कम हुईं ?

श्री महावीर सिंह--रेन्डम चेकिंग में ३२ बोरे देखे गये, जिसमें से ५ बोरे स्टैंडर्ड वेट से ज्यादा थे, स्टैंडर्ड वेट १ मन १४ सेर होना चाहिये । २६ बोरे ऐसे थे जिसमें २ सेर ६ छटांक से ४ सेर तक सीमेंट कम था और एक बोरे में ४ सेर ४ छटांक की कमी थी ।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी कृपया बताएंगे---बोरियों पर एक मन चौदह सेर, एक हंड्रडवेट लिखा था---क्या सरकार ने इस बात को कम्पनी से पूछा है कि जो दाम दिये गये हैं वह एक मन चौदह सेर के दिये गये, इससे जो कम होती है उसके लिये क्या पैसा काट देंगे ?

श्री महावीरसिंह---एक मन चौदह सेर ही स्टैंडर्ड है उसी की कीमत ली जाती है।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि जो बोरियां कम तोल में थीं उनके दाम बेचने वालों को कम देने पड़े ?

श्री महावीरसिंह---यह तो उतार चढ़ाव में कम हुईं। उसमें कोई प्रश्न नहीं पैदा होता।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उतार चढ़ाव में कम हुई, मगर उतार-चढ़ाव में बढ़ कैसे गईं ?

श्री महावीरसिंह---जिस तरीके से घट गई, ऐसे ही बढ़ गई।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चुर्क सीमेंट फैक्टरी की शिकायत चार सेर कमी की बहुत ही गंभीर है, इस सम्बन्ध में अधिकारी को पुनः लिखने की कृपा करेंगे कि भविष्य में वीयर और टीयर को छोड़ कर एक मन चौदह सेर की बोरी निकले ?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि उत्तर में दिया हुआ है थोड़ा-बहुत। माननीय खाद्य मंत्री स्पष्ट कर दें अपने उत्तर को।

श्री महावीरसिंह---उनको लिखा गया है और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि भविष्य में ऐसी शिकायत नहीं मिलेगी।

सस्ते अनाज की दूकानें न रखने वाले देहाती क्षेत्र

*६०---**श्री गोविन्दनारायण तिवारी** (जिला जालौन) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में ऐसे कौन-कौन जिले हैं जो देहाती क्षेत्र में सस्ते गल्ले की दुकानें नहीं खोली गयीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---उत्तर प्रदेश के उन जिलों के नाम जहां देहाती क्षेत्रों में सस्ते गल्ले की दूकानें नही खोली गई हैं, निम्नलिखित हैं:

१---बरेली, २---रामपुर, ३---हरदोई, ४---शाहजहांपुर, ५---पीलीभीत, ६---खीरी-लखीमपुर, ७---हमीरपुर, ८---कानपुर, और ९---लखनऊ।

इलाहाबाद की सस्ते अनाज की दूकानें तथा राज्य में जिलेवार लोहे का कोटा

*६१---**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद मुहल्ला सुलेमसराय में जो सरकारी गल्ले की दूकान है उस पर कितने दिनों से गल्ला नहीं है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---इलाहाबाद के मुहल्ला सुलेम सराय में स्थित सस्ते गल्ले की दूकान पर गल्ला सदैव रहा है। पिछले माह में केवल एक दिन गल्ला न होने के कारण बिक्री नहीं हो सकी।

*६२---**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि १ जनवरी से २ फरवरी, १९५९ तक कितनी दुकानें सरकारी गल्ले की इलाहाबाद में बेइमानी करने के अपराध में दूकानदारों से छीन कर दूसरे दूकानदारों को दी गईं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---दो दुकानें।

*६३---**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद में १५० रुपये की आमदनी पर कितनी सरकारी गल्ले की दुकानें थीं और २५० रुपये की आमदनी पर कितनी बढ़ाई गईं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--- १५० रुपये तक की आय वालों को जब तक राशन दिया जाता था तब इलाहाबाद में ७३ दुकानें थीं। उक्त आय निरोध की सीमा बढ़ जाने पर भी फिलहाल वही दुकानें चल रही हैं परन्तु जनता की सुविधा के लिये उचित संख्या में और दुकानें खोलने का शीघ्र प्रबन्ध किया जा रहा है।

*६४---**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जो लोहे का कोटा १९५७-५८ में इलाहाबाद को दिया गया उसमें कितना-कितना सरकारी इमारतों को दिया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--- सरकारी इमारतों के बनाने के लिये लोहा तथा इस्पात का पृथक प्रपुन्ज (Bulk) कोटा दिया जाता है तथा किसी जिले का सार्वजनिक कोटा ऐसी अपेक्षाओं के लिये नहीं है ? सिवाय उन छोटी अपेक्षाओं को छोड़ कर जो स्थानीय मरम्मत आदि के प्रकार की होती है।

*६५---**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश में १९५७-५८ में कितना-कितना लोहे का कोटा किन-किन जिलों में दिया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---सूचना संलग्न है :

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ९८८-९८९ पर)

बांसगांव तहसील में गजपुर व गिरधरपुर की सस्ते अनाज की दूकानों की जांच

*६६---**श्री मदन पांडेय** (जिला गोरखपुर)--- क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले की बांसगांव तहसील में गजपुर व गिरधरपुर में स्थित सस्ते गल्ले की दूकानों पर गल्ला चोर बाजार में बेचे जाने की शिकायतें ग्रामीणों द्वारा भेजी गईं गत अक्तूबर, नवम्बर, व दिसम्बर मास में सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उन शिकायती पत्रों के सम्बन्ध में सरकार की ओर से क्या किया गया ?

श्री महावीरसिंह---केवल गजपुर में स्थित सस्ते गल्ले की दुकान के विरुद्ध ऐसी शिकायतें गत दिसम्बर माह में प्राप्त हुई थी। जांच करने पर ये शिकायतें निराधार पाई गईं।

गिरधरपुर में स्थित सस्ते गल्ले की दूकान के विरुद्ध ऐसी कोई शिकायत सरकार को नहीं प्राप्त हुई।

*६७---**श्री मदन पांडेय**---क्या सरकार उक्त शिकायती पत्रों की जांच की रिपोर्ट सदन के सम्मुख रखेगी ?

श्री महावीरसिंह---जांच पर शिकायत भेजने वाले कोई प्रमाण प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे, यही रिपोर्ट का सारांश है। पूरी रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखना जनहित में न होगा।

श्री मदन पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी कृपया बताएंगे कि जो शिकायत करने वाले लोग थे उन्हें प्रमाण प्रस्तुत करने के लिये आदेश किसके द्वारा दिया गया और किन-किन नामों से इश्यू हुआ था ?

श्री महावीरसिंह---जांच नायब तहसीलदार के द्वारा हुई थी, और गांव सभा के प्रधान जिन लोगों ने शिकायत की थी, उनको सूचना देने की कोशिश की गई।

श्री मदन पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी मेरे इस तथ्य को सूचना मान कर आवश्यक कार्यवाही करेंगे कि जिन प्रधानों और जिन लोगों ने शिकायतें कीं उनके पास जो जांच करने वाले अधिकारी थे, उन्होंने शिकायतें साबित करने के लिये कोई सूचना नहीं दी, और वह इन्तजार ही कर रहे हैं कि सूचना मिले तो साबित करें ?

श्री महावीरसिंह---ग्राम सभा के प्रधान आये थे, जांच में शामिल हुए थे। अगर कोई और इसके अलावा इन्फार्मेशन दें तो कार्यवाही की जा सकती है।

श्री मदन पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि जो प्रधान वहां आये हुये थे उन लोगों ने जो सवाल किया था उसका उत्तर क्या दिया है ?

श्री महावीरसिंह---उत्तर यही दिया था जो अभी जवाब दिया गया।

श्री मदन पांडेय---कृपया उस उत्तर को पढ़ कर सुना दें तो मेहरबानी होगी।

श्री महावीर सिंह---उत्तर पढ़ने की कृपा करें, ६६ और ६७ में है।

श्री अध्यक्ष---६७ में जो दिया है वही उत्तर है।

अतारांकित प्रश्न

खीरी उपनिवेश के अन्तर्गत सम्पूर्णानन्द नगर, वाटर वर्क्स तथा नलकूप पर व्यय

१---**श्री बंशीधर शुक्ल**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि खीरी उपनिवेश के अन्तर्गत सम्पूर्णानन्द नगर के निर्माण तथा वाटरवर्क्स और ट्यूब-वेल में क्रमशः कितना-कितना रुपया खर्च हुआ है ?

श्री मोहनलाल गौतम---सम्पूर्णानन्द नगर के निर्माण तथा वाटर वर्क्स और ट्यूब-वेल के निर्माण में व्यय की गई राशि की सूची है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ९९०-९९१ पर)

भावी कार्य क्रम के सम्बन्ध में जानकारी

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---माननीय मुख्य मंत्री जी यदि सदन के कार्यक्रम की जानकारी करा दें तो कृपा होगी।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, कुछ तो इसमें दिया हुआ है और ब्यौरे के साथ कल सदन को सूचित कर दूंगा।

श्री राजनारायण द्वारा श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष---श्री राजनारायण जी ने श्री बहुगुणा जी के भाषण के सम्बन्ध में यह आक्षेप किया था कि उन्होंने जान-बूझ कर सत्य पर पर्दा डालने के लिये यह कहा था कि प्रदेशीय सरकार से किसी एक बनारस की मिल को जयपुरिया जी को देने में कोई हाथ नहीं है, इत्यादि। मैंने उनका यह भाषण पढ़ा। और जो आक्षेप इन्होंने किया वह भी मैंने देखा। तो दोनों को देखने के बाद मुझे यह प्रतीत होता है कि कोई भी राजनारायण जी ने इसका कोई भी कारण नही बताया और स्पष्टीकरण नहीं दिया इस विषय में कि श्री बहुगुणा जी से किस प्रकार जानबूझ कर असत्य कोई बात कही गई। बल्कि राजनारायण जी ने तो अपने आक्षेप

---

†२१ मार्च, १९५९ की कार्यवाही से।

में यह दिया हुआ है कि जब मिल लिक्वीडेशन में गई थी तो लिक्वीडेटर की ओर से एक दूसरी कलकत्ता की फर्म ने पूरी मिल चलाने के लिये शर्त के मुताबिक रुपया जमा कर दिया था मगर बाद में दूसरी व्यवस्था की गई। यह भी इन्होंने अपने आक्षेप में नहीं लिखा कि दूसरी व्यवस्था की गई तो वह व्यवस्था इस सरकार ने की? यह भी कोई आक्षेप इसमें नहीं है। बहुगुणा जी ने यह कहा कि लिक्वीडेटर और हाई कोर्ट इनके द्वारा ही यह सब चीजें हुई हैं, यह बहुगुणा जी के भाषण में है। तो जो प्रश्न उठाया गया है उस में यह कहीं स्पष्ट नहीं किया गया है कि इस प्रदेश की सरकार ने आज्ञा दे कर यह व्यवस्था की। व्यवस्था दूसरी की गई यह राजनारायण जी केवल कहते हैं और बहुगुणा जी कहते हैं कि वह व्यवस्था किसी दूसरे ने की, प्रदेश की सरकार ने नहीं की। तो जब आक्षेप स्पष्ट नहीं है और उसका कारण भी नहीं बताया कि कहीं से साबित हो कि जानबूझ कर कोई असत्य बात कही गई तो ऐसी अवस्था में मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं इस प्रश्न को उठाने के लिये।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों तथा नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ विषयों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष---अब दो, तीन काम रोको प्रस्ताव थे, एक माननीय झारखंडेराय जी का है और दो माननीय रामस्वरूप बर्मा जी के। मैंने उनको अस्वीकृत कर दिया है। काम-रोको प्रस्ताव के वे विषय नहीं हो सकते, अंशतः अनिश्चितता के कारण और कुछ अनावश्यकता के कारण। लेकिन इसमें झारखंडेराय जी का जो काम रोको प्रस्ताव है उस विषय पर माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने और अन्य कुछ सदस्यों ने भी नियम ५२ के अनुसार एक अविलम्बनीय महत्व का विषय समझ कर जानकारी प्राप्त करने के लिये वक्तव्य देने के लिए सरकार से मांग की है। उसमें से मैं माननीय त्रिलोकीसिंह जी की जो सूचना है उसको पढ़े देता हूं और फिर मंत्री जी आज या अगर वह समय चाहते हैं उसकी जानकारी हासिल करने के लिये तो किसी अन्य दिन वक्तव्य देंगे।

"मैं प्रक्रिया नियमावली की धारा ५२ के अन्तर्गत निम्नांकित अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय गृह मंत्री का ध्यान अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से आकृष्ट करना चाहता हूं---

गत सप्ताह होली के अवसर पर मुबारकपुर, जिला आजमगढ़ व बहराइच में हुये साम्प्रदायिक दंगे तथा मुबारकपुर में उसके बाद पुलिस द्वारा लोगों के घरों में घुस कर अकारण निरपराध व्यक्तियों को पीटना एवं कुछ व्यक्तियों के सामान लूट लेना जिसकी अनेक शिकायतें सरकार के उच्च अधिकारियों को भी प्राप्त हो चुकी हैं। और आशा करता हूं कि आवश्यक सूचना वे सदन को देने की कृपा करेंगे।'

(गृह मंत्री से) आज देना चाहते हैं आप वक्तव्य?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---मान्यवर, जो सूचना उपलब्ध है आपकी आज्ञा से दे दूं कुछ।

माननीय त्रिलोकीसिंह जी के इस संकेत में आजमगढ़ और बहराइच दो स्थानों के विषय में जानकारी हासिल करने के लिये आग्रह किया गया है। आजमगढ़ के सम्बन्ध में यह निवेदन करना है कि बहुत ही खेद साम्प्रदायिक दंगा वहां होली के अवसर पर हुआ। २५ मार्च को होली का जलूस निकला हुआ था और इस बार रमजान के महीने में होली पड़ गयी थी और यह जलूस घूमता हुआ और रंग फेंकता हुआ अजन्ती मस्जिद की क्रासिंग के पास पहुंचा। कहा जाता है कि यह जलूस रंग फेंक रहा था और इसने जो रंग फेंका उससे कुछ मुसलमान भाइयों पर रंग पड़ा और कुछ रंग मस्जिद की दीवाल के कुछ हिस्से पर भी पड़ा। इससे मुसलमानों में क्षोभ उत्पन्न हुआ और इस जलूस के ऊपर ऊपर से कुछ डेले चलने लगे। इन डेलों के चलने का नतीजा

[श्रीकमलापति त्रिपाठी]

यह हुआ कि २४ आदमी उसमें घायल हुये। जो घायल हुये उनमें से ७ को गहरी चोट आयी थी। उनको सदर अस्पताल उपचार के लिये भेजा गया। इनमें से २ की हालत खराब है।

वहां तहसीलदार व मैजिस्ट्रेट थे ड्यूटी पर और वह उस घटना की खबर पाकर एस०ओ० मुबारकपुर के साथ स्थान पर पहुंचे और वहां उन्होंने १२ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। एस० डी० एम० सर्किल आफिसर और एक और मैजिस्ट्रेट भी २ घंटे के अन्दर वहां पहुंच गये और शांति स्थापित करने की चेष्टा की। एफ०आई०आर० २५ तारीख की शाम को लिखायी गयी। उसमें एक खासी लम्बी लिस्ट थी जिनको कि नामजद किया गया था। इनमें से २९ आदमी गिरफ्तार किये गये २६ और २७ मार्च को। २६ को कोई घटना दिन भर नहीं हुई। २७ को कुछ लोग बाकी रह गये थे गिरफ्तारी के लिये। उनकी गिरफ्तारी की चेष्टा पुलिस की ओर से हो रही थी सुबह के वक्त जब पुलिस के ऊपर कुछ लोगों ने आक्रमण किया और दस्तन्दाजी गिरफ्तारी में की जिसमें एक सब इंस्पेक्टर, एक हेडकांस्टेबिल और ४ कांस्टेबिल घायल हुये। फिर पुलिस को भी बल प्रयोग करना पड़ा और गिरफ्तारियां उन्होंने कीं, जिनमें २५ आदमी तो गिरफ्तार हुये २५ मार्च के इंसीडेंट पर, ७४ आदमियों को दफा १०७ ११७ के अन्दर गिरफ्तार किया गया और २८ आदमी गिरफ्तार किये गये रायटिंग और पुलिस पर आक्रमण करने के जुर्म में। इस प्रकार यह गिरफ्तारियां हुईं। उनमें से ७० आदमी शाम को एस०डी०एम० द्वारा जाती मुचलके पर छोड़ दिये गये। अभी ७-८ आदमियों की गिरफ्तारी उसमें बाकी है। जो ७१ आदमी जेल भेजे गये उनमें ४८ को चोटें थीं। अधिकतर चोटें साधारण थीं। एक फ्रैक्चर का केस है और १ के ऊपर सूजन है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वहां २६ तारीख को भी रहे और २७ को भी कई घंटे वहां रहे। दफा १४४ वहां लगा दी गयी है जिसमें हथियार लेकर के चलने, या मीटिंग्स वगैरह करने या अफवाहें फैलाने की मनाही कर दी गयी है। मुबारकपुर कस्बे के ५ मील के इर्द गिर्द पीस कमेटी भी शांति स्थापन के लिये स्थापित कर दी गयी है और वहां पी० ए० सी० की एक बैटेलियन पोस्टेड है और अब वहां शांति है।

यह बात सही है कि माननीय मुख्य मंत्री जी को २९ तारीख को मुबारकपुर के तीन निवासियों की ओर से एक आवेदन पत्र दिया गया जिसमें यह कहा गया कि पुलिस ने २७ तारीख को लोगों को मारा पीटा व घरों में घुस कर लूटपाट भी की। यह शिकायत २९ तारीख को माननीय मुख्य मंत्री जी के पास पहुंची। इस विषय की जांच करने के लिये कलेक्टर ने एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को नियुक्त कर दिया है जिसकी कि इंक्वायरी जारी है।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---क्या माननीय गृह मंत्री बतलायेंगे कि इस शांति कमेटी की स्थापना के बाद वहां इसका क्या असर हुआ और इस समय वहां क्या दशा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---सूचना यह मिली है कि शांति समिति के स्थापित हो जाने से वहां लोगों में परस्पर विश्वास बढ़ा है। कलेक्टर ने भी वहां लोगों से घूम कर बातचीत की है और अब वहां शांति है और बहुत सी दूकानें वगैरह भी खुल गयी है।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---माननीय मंत्री की सूचना के अनुसार जो ४८ व्यक्तियों को चोटें आईं, जो मेरे हिसाब से गलत हैं, वे किस प्रकार की चोटें पहुंची हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी---जो लोग गिरफ्तार किये गये २७ तारीख को और जिनकी गिरफ्तारी के वक्त पर रेजिस्टेंस किया गया तथा दस्तन्दाजी की गयी और गिरफ्तारी में पुलिस पर आक्रमण भी किया गया और उसके प्रतिरोध में गिरफ्तारियां पुलिस ने कीं तो बल के प्रयोग में निस्संदेह उसी में चोटें आई होंगी।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिन दर्जनों ७० वर्ष के बूढ़ों के, जिनके सर पर एक भी बाल काल नहीं रह गया है, तलुवों तथा पैरों पर पचासियों लाठियों की चोटें हैं वे कहां से लगी हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इस प्रकार की जो शिकायतें आई हैं माननीय गृह मंत्री जी के पास उनकी इंक्वायरी ए० डी० एम० के द्वारा जारी है, और उसकी रिपोर्ट आने पर कुछ कहा जा सकता है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--क्या गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जो जुलूस निकला था उसके साथ जो तहसीलदार तथा पुलिस अथारिटीज के लोग ड्यूटी पर लगाये गये थे वे जुलूस के साथ नहीं थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जुलूस के साथ थे या नहीं थे इसकी सूचना मेरे पास नहीं है । लेकिन वहां मुबारकपुर के हेडक्वार्टर पर वे लोग मौजूद थे और जब घटना हुई है उस उस वक्त भी वे मौजूद थे ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--क्या माननीय गृह मंत्री पुलिस के जो चोटें आई हैं उसकी मेडिकल रिपोर्ट सदन के समक्ष रखने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--वक्तव्य के स्पष्टीकरण की बात आप पूछ सकते हैं । मेडिकल रिपोर्ट पेश नहीं की जा सकती ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--ऐसे वृद्ध लोगों की, जिनके पैरों में ज्यादा चोटें आई हैं, उनकी संख्या क्या है और उनके सम्बन्ध में क्या मेडिकल रिपोर्ट आ गयी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मैंने निवेदन किया कि पुलिस के द्वारा २७ तारीख को लूटपाट करने तथा मारपीट करने के सम्बन्ध में मुबारकपुर के जिन तीन आदमियों ने शिकायत आदरणीय मुख्य मंत्री जी के पास भेजी थी उसके ऊपर ए० डी० एम० के द्वारा जांच हो रही है और शीघ्र ही रिपोर्ट आ जायगी ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--क्या यह सत्य है कि २८ तारीख को मैंने, आजमगढ़ प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य माननीय विश्रामराय जी ने और तेजबहादुर सिंह जी ने एक ज्वाइंट टेलीग्राम माननीय मुख्य मंत्री और माननीय गृह मंत्री को इस बात का दिया है कि पुलिस ने वहां निहायत बर्बरता से काम लिया है और एक गर्भवती स्त्री को उसके पति को और उसके ससुर को मारा है और उसका गर्भपात भी हो गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां, ये शिकायतें और लोगों ने भी की थीं और माननीय चन्द्रजीत जी का भी तार आया और उन्हीं सबको आधार बना कर तुरन्त उसकी इन्क्वायरी के आदेश दिये जा चुके हैं।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--अब इसके विषय में अधिक प्रश्न नहीं होने चाहिये।

श्री झारखंडेराय--मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हम लोगों ने जो कामरोको प्रस्ताव दिया था उसको आपने स्वीकार नहीं किया, मैं समझता था कि यह विषय बहुत निश्चित था लेकिन आपकी कृपा उस पर नहीं हुई । मैं चाहता हूं कि उस पर और सवाल पूछने दिये जायं । हम लोगों ने अपनी आंखों से सब चीज देखी है जेल के भीतर और जेल के बाहर । इसलिये आप मेरी बात सुन लीजिये । मैं बहुत कम बोलता हूं । मेरा खून खौल रहा है । मेरे खून में आग लगी हुई है । मैंने जो वहां अपनी आंखों से देखा है वह अपनी पूरी २५ साल की पोलिटिकल लाइफ में नहीं देखा । मैं चाहता हूं कि इसकी पूरी जांच हो ।

श्री अध्यक्ष--जांच तो वे कर ही रहे हैं ।

श्री झारखंडेराय---आप कृपा करके और समय दें ताकि पूरी चीज सामने आ सके।

श्री अध्यक्ष---अगर आपका खून खौलता है यहां पर तो ऐसे गरम वातावरण में जब आप बात करेंगे तो बाहर लोगों का आपकी बातों से और खून खौलेगा। जब वे कह रहे हैं कि इन्क्वायरी की जो रिपोर्ट आयेगी वह सदन के सामने रखेंगे तो उस वक्त आपको मौका हो सकता है कहने का कि गवर्नमेन्ट ने उचित कार्यवाही की या नहीं। जब इन्क्वायरी की बात वे कह चुके हैं तो मैं समझता हूं कि खून खौलाना तो उचित नहीं होगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल यही निवेदन करना चाहता हूं निहायत शांति के साथ कि ी ग ी और खून खौलने की बात के साथ नहीं, कि क्या जांच हो जाने पर उसकी रिपोर्ट सदन के सामने रखी जायगी और सदन को उस पर विचार करने का अवसर दिया जायगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मान्यवर, इन्क्वायरी की जो रिपोर्ट आयेगी वह आपका आदेश होगा तो सदन के सामने रख दूंगा। अब उस पर विचार करने का अवसर देना चाहिये या नहीं, जब प्रश्न उठेगा तो देखा जायगा क्योंकि ऐसे प्रश्नों पर विचार का अवसर देकर कदाचित् सार्वजनिक हित के विरुद्ध होता हो। तो आपसे निवेदन करूंगा कि .....

श्री झारखंडे राय---श्रीमन्, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जबकि वहां के जिलाधीश ने पूरे मामले की जांच की है और कल एक बजे खुद जेल के अन्दर घायलों को देख चुके हैं, तमाम मामलों की जांच उन्होंने खुद कुछ हद तक की है और मुझे मालूम हुआ कि कल शाम वाली गाड़ी से उन्होंने स्पेशल मैसेन्जर से अपनी रिपोर्ट भेजी है तो अब एडिशनल मैजिस्ट्रेट या कोई भी अन्य अधिकारी क्या जांच करेगा और ऐसी जांच से क्या फायदा होगा ?

श्री अध्यक्ष---उनका तो जवाब यह था कि माननीय मुख्य मंत्री जी के पास और उनके पास जो शिकायतें आयी हैं उनको जांच के लिये भेजा है और वे जिन शिकायतों का आपने जिक्र किया है उन्हीं के बारे में है।

श्री उग्रसेन---एक सवाल करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, अब अधिक प्रश्नों क. मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---मैं केवल यह जानना चाहता था कि बहराइच की रिपोर्ट सदन में पेश की जायगी या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---बहराइच में भी २५ तारीख को होली के अवसर पर एक घटना हुई। वहां एक क्लाक टावर है, घंटाघर जिसे शायद कहते हैं, वहां प्रातःकाल होली का उत्सव शुरू हुआ साढ़े १० बजे के करीब। वहां एक सज्जन से, जिनका नाम लेने की कदाचित् आवश्यकता न हो, उनसे और कुछ आदमियों से कहा सुनी हो गयी रंग फेंकने के सिलसिले में। फिर घंटाघर के कम्पाउन्ड के ऊपर ढेले पड़े। ढेले आये और वहीं कम्पाउन्ड के सामने मस्जिद है उस पर से ढेले घंटाघर के कम्पाउन्ड के भीतर आये और उसके आसपास जो मकान हैं वहां से भी ढेले चलने लगे। खबर मिलते ही पुलिस तुरन्त वहां पहुंच गई और उसने ३७ व्यक्तियों को दफा १५१ में गिरफ्तार किया और उसका प्रभाव अच्छा हुआ और भीड़ डिसपर्स हो गई। पुलिस की पैट्रोलिंग जारी है और वहां शांति है। २६ तारीख को हिन्दुओं ने हड़ताल की इस ढेले बाजी के विरुद्ध और होली मिलन के उत्सव में व्याख्यान वगैरह हुये जिनके प्रतिरोध में उन्होंने हड़ताल की और शांति के साथ वह हड़ताल बीत गई और वहां अब किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है। जब ढेले चल रहे थे तो उस समय पुलिस आ गई थी पुलिस वालों के चार आदमियों के कुछ चोटें आईं। एक रायट केस रजिस्टर हो चुका है और उसकी तफतीश जारी है। २५ तारीख को जो लोग गिरफ्तार किये गये थे वह सब एस० डी० एम० द्वारा जमानत पर रिहा किये जा चुके हैं।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वहां अमन कमेटी कायम की गई है या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अब वहां शांति है और सभी लोग मिल कर शांति की व्यवस्था कर रहे हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि साम्प्रदायिक भावना वाले लोगों ने यह देखकर कि उनके लोग अलग अलग पार्टियों में बंट गये हैं, उनको इकट्ठा किया जाय, इसलिये यह भावना भड़काई कि मजहब के नाम पर लोग एकत्रित होकर फिर से वही पुरानी बातें कर सकें ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह तो कहना मान्यवर कुछ इस समय कदाचित् कठिन है। लेकिन यह जरूर है कि यह जो इंसीडेंट्स थे वह रंग फेंकने और मस्जिद के सामने ले फेंकने के हुये।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—श्रीमन्, मैं यह जानना चाहूंगा कि लखनऊ में भी कुछ हुआ था उसके बारे में मंत्री जी ने कोई सूचना नहीं दी ?

श्री अध्यक्ष—उसके बारे में कोई प्रश्न सदन के सामने नहीं था।

कुंवर श्रीपालसिंह—श्रीमन्, यहां तो गोली तक चली थी।

श्री अध्यक्ष—आपका मतलब यह है कि त्रिलोकीसिंह जी मजबूत हैं, वह सब गोलियां पी गये। (हंसी)

श्री उग्रसेन—क्या मंत्री जी बहराइच कांड की जुडिशियल जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या मंत्री जी देश की एकता बनाये रखने के लिये कोई डेंजर न पड़े, इस बात को देखते हुये इसकी विशेष सी० आई० डी० पुलिस द्वारा जांच करायेंगे और जो साजिश हो रही है उसको रोकने के लिये कोई प्रयत्न करने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सरकार इस सम्बन्ध में सतर्क है और अपने उत्तरदायित्व का पालन कर रही है और करेगी।

श्री झारखंडेराय—क्या मंत्री जी इन दोनों कांडों की जांच किसी ऐसी कमेटी द्वारा कराने की कृपा करेंगे जिसमें माननीय सदन के सभी पार्टियों के सदस्य हों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जो जांच उचित और आवश्यक समझी गई वह कराई जा रही है।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि होली के अवसर पर जो लखनऊ आदि स्थानों पर घटनायें हुई हैं उनको देखते हुये वह किसी विशेष कमेटी को बिठाने जा रहे हैं ताकि आयन्दा ऐसी घटनायें न हों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—आशा करता हूं सरकार की सद्भाव का और प्रेम का वातावरण उत्पन्न करने में और उसको बनाये रखने में सबकी सहायता मिलेगी और कोई राजनीतिक दल ऐसे प्रश्नों के उपस्थित होने पर लाभ उठाने की चेष्टा नहीं करेगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय गृह मंत्री जी आजमगढ़ की घटना के सम्बन्ध में इस बात को ध्यान में रखते हुये कि वहां बहुत गम्भीर आरोप लगाये गये हैं जिसमें लाश तक को हटाने की बात है वहां की जनता को आश्वस्त करने के लिये वहां की जांच कम से कम कमिश्नर की हैसियत के अधिकारी से करायेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---वहां ए० डी० एम० जांच कर रहे हैं और उनकी जांच के बाद, उनका रिपोर्ट आने पर ही कुछ सोचा जा सकता है अगर आवश्यकता होगी तो।

श्री सारखंडेराय---मुझे दुःख है इस बात का कि इधर से मांग हुई, प्रार्थना की गई कि माननीय सदस्यों का फैक्ट इसका जांच करे जबकि हम लोग वहां देख कर आये हैं। और हम लोग वही हैसियत रखते हैं जो कोई भी माननीय सदस्य इस सदन में बैठने वाला रखता है।

श्री अध्यक्ष---आप प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री सारखंडेराय---इस तरह की झूठ और गलत रिपोर्ट को हम सुनने के लिये तैयार नहीं हैं। सरकार का यह जो रवैया है यह इस सरकार को डुबा देगा और जल्दी डुबा देगा। यह ऐसे अधिकारियों पर विश्वास रखती है जो इसको अन्धकार में रखते हैं और इनको खंदक में ले जायेंगे। इसके विरोध में हम सदन का त्याग करते हैं।

(इसके पश्चात् साम्यवादी दल के सदस्य सदन से बाहर चले गये)

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---यह मुबारकपुर का बहुत ही गम्भीर विषय था। मेरे पास भी दो तीन तार आये हुये थे। गम्भीर आरोप थे और बड़ा आवश्यक विषय था लेकिन श्रीमन्, आपने उस पर पाबन्दी लगा दी और माननीय मंत्री जी ने कोई संतोष, जनक सूचना नहीं दी। मैं इसके विरोध में दस मिनट के लिये सदन का परित्याग करता हूं।

(समाजवादी दल के सदस्य इसके पश्चात् सदन के बाहर चले गये)

श्री रामसुन्दर पांडेय---एक सवाल करना चाहता था, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष---अब वह सवाल तो समाप्त हो गया। आप कृपा कर बैठ जाइये। अब दूसरा कार्य शुरू होगा।

श्री गेंदासिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार

***श्री बेचनराम गुप्त** (जिला वाराणसी)---अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव पेश करता हूं---"श्री गेंदासिंह के २१ फरवरी, १९५८ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या २५ से २७ तक के सम्बन्ध में विशेषाधिकार समिति की अवहेलना के प्रश्न पर विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम ७० के अन्तर्गत विचार किया जाय"।

श्रीमन् आपको ध्यान होगा माननीय गेंदासिंह जी ने १० फरवरी को तीन २५,२६ और २७ अल्पसूचित तारांकित प्रश्न पूछे थे जिसका उत्तर माननीय माल मंत्री जी ने २१ फरवरी को दिया था। इन प्रश्नों के बारे में माननीय गेंदासिंह जी ने कहा था कि यह प्रश्न ११ फरवरी से लेकर १७ फरवरी तक माननीय माल मंत्री के पास पड़े रहे और उन्होंने उसका उत्तर नहीं दिया इसलिये उन्होंने विशेषाधिकार की अवहेलना की। श्रीमन् आपने फाइल देखी थी और फाइल को देखने के बाद माननीय गेंदासिंह को विश्वास दिलाया कि आपके सचिवालय से यह प्रश्न १७ तारीख को माननीय माल मंत्री के पास भेजे गये और माननीय माल मंत्री ने २१ तारीख को इनका उत्तर दिया, किन्तु माननीय गेंदा सिंह को इस पर विश्वास नहीं हुआ। श्रीमन् ने माननीय गेंदासिंह को फाइल भी दिखलाई और फाइल देख करके वह आये भी। सब तरह से उनको विश्वास दिलाया गया मगर माननीय गेंदासिंह बराबर इस बात पर इसरार करते रहे। १० मार्च को उन्होंने कहा कि उनकी आंखों ने अगर धोखा नहीं दिया तो ये प्रश्न ११ तारीख

को माननीय माल मंत्री के पास भेजे गये और १४ तारीख को जवाब के लिये रखे गये। उनको बारहा समझाया गया क्योंकि एक ही पेज पर सब आर्डर हैं। क्लर्क जिसने कि क्वेश्चन को रिसीव किया है माननीय उपाध्यक्ष के आर्डर हैं और १७ तारीख में उन्होंने....

श्री अध्यक्ष—यह मैं उचित समझता हूं कि बहुत संक्षेप में आप यह पहला प्रस्ताव रखेंगे। दूसरा प्रस्ताव जब विचार करने के सम्बन्ध में आयेगा उस पर आप अधिक कह सकेंगे। भेजने तक के वाकयात आप दे दें, यानी समिति के पास प्रश्न क्यों भेजा गया, उस वक्त तक के वाकयात आप इस वक्त दे सकते हैं।

श्री बेचनराम गुप्त—वही मैं बता रहा था। माननीय गेंदासिंह ने इसरार किया कि यह प्रश्न विशेषाधिकार सिमिति के पास भेजा दिया जाय, इसमें बहुत भंडाफोड़ होगा और बहुत से रहस्य का उद्घाटन होगा। इसलिये श्रीमन् ने उचित समझा कि विशेषाधिकार समिति के पास इसको भेज दिया जाय और विशेषाधिकार समिति ने माननीय गेंदासिंह को मौका दिया। उनको जवाबदेही का मौका दिया गया, शहादतें हुईं और शहादतें होने के बाद समिति इस निश्चय पर आयी कि माननीय गेंदासिंह जी दोषी हैं। मैं आशा करता हूं कि सदन इस प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेगा क्योंकि माननीय गेंदासिंह ने माननीय चरण सिंह जी के ऊपर यह भी आक्षेप किया था कि उन्होंने इन प्रश्नों को ११ तारीख से लेकर के १४ तारीख तक दबा रखा था और श्रीमन्, जो कुछ भी माननीय गेंदासिंह जी ने कहा उससे आपके सचिवालय पर आक्षेप पड़ता है। उससे मालूम होता था कि कहीं से कोई गड़बड़ी हुई है, किसी ने फिगर बदले हैं या कोई पन्ना बदल दिया गया है। यह तमाम बातें हैं। यह विशेषाधिकार का प्रश्न श्रीमन्, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर एक माननीय सदस्य दूसरे माननीय सदस्य के ऊपर आक्षेप करे....

श्री अध्यक्ष—यह तो मैं समझता हूं कि आप मैरिट्स में जाना शुरू कर रहे हैं। विचार किया जाय, इतना ही प्रश्न है इस वक्त।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—श्रीमन्, उचित है कि जिस समय इस प्रश्न पर विचार हो तो मैं बाहर रहूं। तो जिस समय आप मुझे अवसर देने की कृपा करेंगे कुछ सुनने का उस वक्त मैं हाजिर हो जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष—इस वक्त तो प्रश्न ऐसा है कि प्रतिवेदन पर विचार किया जाय और यही प्रस्ताव है। जिस वक्त दूसरा प्रस्ताव उस पर विचार के लिये आयेगा उस वक्त आप बाहर जायं। इस वक्त तो विचार किया जाय या न किया जाय यही प्रश्न सामने है। तो इस वक्त आपके रहने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं समझता हूं किसी को आपत्ति नहीं होगी ?

(किसी ने आपत्ति नहीं की)

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय बेचनराम जी ने प्रस्तुत किया है उसके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव पर विचार न किया जाय। वह स्थगित कर दिया जाय और दुबारा फिर उसी विशेषाधिकार समिति के पास पुनर्विचार के लिये भेज दिया जाय। उसका कारण यह है कि यदि आप उस दिन की कार्यवाही के देखें और आप ने स्वयं जो निवेदन किया था, उसकी ओर ध्यान दें, सदन के सदस्य भी उस ओर ध्यान दें तो यह मालूम होगा कि विशेषाधिकार समिति को दो प्रश्नों पर विचार करना था। एक तो यह कि माननीय गेंदासिंह जी ने जो आरोप लगाया है माननीय चरण सिंह जी के ऊपर वह सही है या गलत है, जानबूझ कर गलत जवाब देने का और दूसरा यह कि गेंदासिंह जी के आरोप में यह तो उसका अन्तिम भाग था, चरम सीमा थी। गेंदासिंह जी का एक आरोप यह था कि प्रश्नों का जवाब देने में देर की जाती है, नियमों का उल्लंघन किया जाता है। तो गेंदासिंह जी के इस आरोप के सम्बन्ध में जो किसी

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

व्यक्ति के सम्बन्ध में नहीं था बल्कि प्रश्नों का उत्तर देने में जो नियमों का उल्लंघन किया जाता है उसके सम्बन्ध में था और जिस विषय में सदन के सब सदस्य समान रूप से यह आशा करते हैं कि उनकी इस कठिनाई को दूर किया जाय, इस बात पर समिति ने कोई विचार नहीं किया है। इसलिये इस बात पर भी समिति विचार कर के अपना प्रतिवेदन फिर प्रस्तुत करे। मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि इसको फिर से वहां भेज दिया जाय और आशा करता हूं कि सदन के सब माननीय सदस्य, माननीय बेचन राम जी गुप्त और इस सदन के नेता इसको स्वीकार करेंगे।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव नेता स्वतंत्र प्रगतिशील ने रखा है उसमें बहुत कुछ तथ्य मालूम होता है हालांकि मैं बहुत दुःख के साथ यह कहना चाहता हूं कि इसको पुनः विशेषाधिकार समिति के समक्ष भेजने से कोई लाभ नहीं होगा उसका कारण मान्यवर, यह है कि विशेषाधिकार के अवहेलना की जितनी कार्यवाही है वह एक प्रकार से फौजदारी की कार्यवाही है यानी पहले जो इल्जाम लगाया जाता है उसमें प्रासिक्यूशन की एविडेन्स पहले होती है और उसके बाद सफाई होती है। जो रिपोर्ट मिली है उसके देखने से यह मालूम होता है कि पहले सफाई मांगी और उसके बाद प्रासिक्यूशन से सबूत। इस तरह से यह मामला उलट दिया गया है। मैं बहुत नम्रता पूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि यह सदन उचित समझे और मान्यवर भी उचित समझें तो इसको इस डाइरेक्शन के साथ समिति को भेज दें कि यह क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, क्योंकि ब्रीच आफ प्रिविलेज की जांच क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है, तो इसके लिये वही प्रोसीजर अडाप्ट करें। यह नहीं कि गाड़ी आगे और घोड़ा पीछे।

मान्यवर ने यह फैसला किया कि इसमें प्राइमाफेसी मेक आउट होती है। तो उस पर एविडेन्स होनी चाहिए। फिर जिस तरह यह अभियोग बना और जिसके खिलाफ बना उससे सबूत मांगा जाय। इसलिये अगर यह सदन मुनासिब समझे तो इस हिदायत के साथ समिति को यह मामला फिर जाय कि वह इसको क्रिमिनल प्रोसीडिंग की तरह से देख कर कार्यवाही करे। मैं समझता हूं इस प्रकार से भेजने में फायदा होगा लेकिन अगर यह सदन यह हिदायत नहीं देता है तो मुझे आशा नहीं है कि इस सिलसिले में कोई लाभ होगा। यदि आप जरूरी समझें तो इस सिलसिले में प्रमाण पेश कर सकता हूं कि ब्रीच आफ प्रिविलेज की जितनी प्रोसीडिंग हैं वह क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, उसमें उसी तरह से ऐन्क्वायरी होनी चाहिये जैसे कि क्रिमिनल केस में होती है।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)-- मान्यवर, यह जो बेचनराम गुप्त जी ने प्रतिवेदन इस सदन के सामने प्रस्तुत किया है उसकी सारी मीटिंगों की कार्यवाही को पढ़ने के बाद तथा माननीय त्रिलोकी सिंह जी और पालीवाल जी को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि यह सारी कार्यवाही, जो ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ था, वह सब सदन के समक्ष हुआ था। उस पर सदन विचार कर सकता है। इस सदन के सामने एक ही विषय है जिस पर विचार करना है। वह यह है १० या ११ तारीख को माननीय चरण सिंह, माल मंत्री के यहां वह प्रश्न चले गये या नहीं या ११ तारीख से लेकर १७ तारीख तक किसी दफ्तर में वे पड़े रहे। माननीय अध्यक्ष ने स्पष्ट निर्देश दिया था और बताया था कि हमारे दफ्तर से १७ तारीख को माननीय माल मंत्री के पास भेज दिये गये थे। उसके बाद गेंदासिंह जी फिर जिद करते रहे और कहा कि ये प्रश्न उनके यहां पड़े रहे। माननीय अध्यक्ष के स्पष्ट करने पर भी उन्होंने जांच करने की मांग की थी। मैं मानता हूं कि यह क्रिमिनल प्रोसीडिंग है जैसा कि त्रिलोकीसिंह जी ने कहा लेकिन जब सारी वस्तु स्थिति स्पष्ट हो गई है उससे केवल एक तथ्य की ही जानकारी करनी है। समिति ने उस पर अपना निर्णय दिया है। वह यह है कि ११ तारीख से लेकर १७ तारीख तक ये प्रश्न माननीय माल मंत्री जी के यहां पड़े रहे या आप के दफ्तर में पड़े रहे। अगर आप के दफ्तर में पड़े रहे तो उन्होंने आप के दफ्तर के लोगों पर आरोप

लगाया कि उन्होंने जानबूझ कर छिपाया और उनके द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना की गई और यदि ये माल मंत्री के यहां पड़े रहे और आप के दफ्तर में ७ दिन के बाद आये तो उनके विरुद्ध आरोप है। अतः केवल एक ही विषय पर निर्णय करना है और उसके विषय में ही समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। उसमें एक ही बात पर विवेचन है कि इस प्रकार से वह ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ है या नहीं और किसी तथ्य पर इससे प्रकाश नहीं पड़ता है। मैं समझता हूं यह एक ऐसा विषय है जिस पर सदन को निर्णय करना है और तुरन्त ही अपना निर्णय करना चाहिये। इसलिये मैं यह समझता हूं कि बेचनराम जी गुप्त ने जो विचारार्थ प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---अब इस विषय में और अधिक समय लेने की आवश्यकता नहीं मालूम होती।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---माननीय अध्यक्ष, मैं थोड़े में ही निवेदन करना चाहता हूं। मैं नेता विरोधीदल और पालीवाल जी का समर्थन करते हुये यह कहना चाहता हूं कि जो विशेषाधिकार समिति ने इस प्रश्न की जांच की, मान्यवर ने जो प्रश्न उनके सामने रखा था उसके बारे में नहीं जांचा गया और जो टर्म्स आफ रेफ़रेंस कमेटी के सामने थे, अगर आपकी इजाजत हो तो पढ़ दूं। श्रीमन् ने खुद कहा था---"इसमें जो प्रदर्शन में विशेषाधिकार की अवहेलना कही जा सकती है। एक तो हमारे असेम्बली के दफ्तर पर आक्षेप है और दूसरे माल मंत्री जी के दफ्तर के ऊपर भी थोड़े बहुत अंश में है, और अगर दूसरा मामला भी ले लिया जाय कि जो सूचना मंत्री जी के पास आयी थी उस को उन्होंने गलत तौर से बयान किया, यह कथन भी शामिल कर लें, तो उनकी सचाई के ऊपर भी थोड़ी-सी छींटाकशी दिखायी देती है। माननीय गेंदा सिंह जी भी चाहते हैं कि इस मामले को विशेषाधिकार समित में भेज दिया जाय।

फिर मान्यवर ने कहा कि "कथित घटना में तो दोनों ही तरफ उठ सकता है, मैं किसी मामले को भेज सकता हूं"

तो मान्यवर, जो रिपोर्ट है उसको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि जिस चीज की जांच होनी थी वह नहीं हुई। फिर प्रक्रिया नियमावली के नियम २६६ की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें यह है कि—

"समिति द्वारा प्रश्न की जांच---साक्ष्य के प्रकाश में और उस मामले की परिस्थितियों के अनुसार समिति उस समय प्रश्न की जांच करेगी और इस बात का निर्णय करेगी क्या किसी विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है, तथा यह देखेगी कि किस प्रकार की अवहेलना हुई है और किन परिस्थितियों के कारण हुई है और ऐसी सिफारिशें करेगी जिन्हें वह ठीक समझे।"

मुझे दुःख है, जैसा कि नेता विरोधी दल ने कहा कि बर्डेन आफ प्रूफ गेंदा सिंह जी पर लाई नहीं करता, लेकिन यहां कहा गया कि गेंदा सिंह जी को सबूत देना चाहिए। तो यह सारी प्रोसीडिंग्स बिलकुल गलत है और इस तरह से जो विशेषाधिकार समिति बनी हुई है, अगर यह प्रश्न फिर से रेफर होता है तो दूसरे डायरेक्शंस के साथ होना चाहिए, क्योंकि जो टर्म्स आफ रेफरेंस हमने रखे थे उनके अनुसार कोई जांच नहीं हुई और जिस प्रकार जांच करनी चाहिये थी वह नहीं की गई है। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि सदन इसको पुनः दूसरे डायरेक्शंस के साथ विशेषाधिकार समिति में भेजे।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने समिति का प्रतिवेदन पढ़ा। मुझे खेद है कि समिति ने जिन विषयों को लेकर सदन के सामने यह प्रश्न उपस्थित करने के लिये कहा है, अगर उनको ध्यान से देखा जाय तो यह स्पष्ट हो जायगा कि यह प्रश्न सदन के सामने नहीं आना चाहिए। बहुत-सी कानूनी बारीकियां मैं छोड़े देता हूं....

श्री अध्यक्ष---इस वक्त प्रश्न यह है कि इस पर विचार किया जाय या नहीं, उसी पर कहिये।

श्री रामस्वरूप वर्मा---मैं इसलिये बारीकियों को छोड़े देता हूं। मैं तो यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट इस काबिल ही नहीं है कि इस सदन में आये। इसमें पृष्ठ ५ पर जो लिखा है कि "माननीय गेंदा सिंह जी ने उस व्यक्ति का नाम बताने से इन्कार किया। माननीय गेंदा सिंह को यह भी बताया गया कि तथ्य को छिपाना तथा उस व्यक्ति का नाम न बताना इस समिति का अवमान है, परन्तु फिर भी माननीय गेंदा सिंह जी ने उस व्यक्ति का नाम नहीं बताया जिसने उनको सूचना दी थी"। तो यह सर्वमान्य तरीका है और प्रदेश और देश का कानून है कि अगर अभियुक्त कोई बात बताने से इन्कार करे तो उस को बाध्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन कमेटी की स्पष्ट राय थी कि इस तरह से भी अवमान किया...

श्री अध्यक्ष---आप तो मेरिट्स में जा रहे हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा---इसलिये कार्यवाही जो है वह नियमतः नहीं है और ऐसी कमजोरियां रहीं जिससे सही तरीके से विचार नहीं हो पाया। तो जो समिति की रिपोर्ट हमारे पास है वह इतनी उपयुक्त नहीं है कि उसके हिसाब से कोई प्रश्न यहां उठाया जाय या सदन उस पर विचार करे। इसलिए मान्यवर, आप ही सदन के सामने इस पर विचार करने के लिए आज्ञा न दें।

श्री अध्यक्ष---मेरी आज्ञा देने का सवाल नहीं है। प्रस्ताव सदन के सामने है।

श्री बेचनराम गुप्त---अध्यक्ष महोदय, जो आप ने आदेश दिया था उसको थोड़ा-सा हाउस में पढ़ देना चाहता हूं---"प्रक्रिया नियमावली के नियम ६७ के अनुसार विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द किया जाय" और यह आदेश दिया कि "इस बात की जांच की जाय कि आया ये प्रश्न फरवरी की ११ तारीख को माननीय माल मंत्री के पास भेजे गये थे या १७ तारीख को और यदि किसी प्रकार की अवहेलना हुई है तो किसने की है---माननीय गेंदा सिंह जी ने या माल मंत्री जी ने"। श्रीमन्, जो आदेश आप ने दिया था उसका समिति ने पालन किया है और उसके बाहर समिति नहीं गयी है। माननीय गेंदा सिंह जी को भी काफी मौका दिया गया कि वे अपना सबूत दाखिल करें। उनका कहना था कि प्रश्न ११ तारीख को माल मंत्री जी के पास भेजे गये और १७ तारीख तक उनके पास पड़े रहे इसलिये सबूत का बार उनके ऊपर ही था और उनको मौका दिया गया कि साबित करें। इस प्रश्न को फिर से समिति के पास भेजने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। समिति ने इस पर अच्छी तरह से विचार कर लिया है, माननीय गेंदा सिंह जी को भी मौका दिया है और कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस पर विचार किया जाय।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---श्रीमन्, मैं एक जानकारी करा देना चाहता हूं कि यह प्रश्न श्री शांतिप्रपन्न शर्मा की तरफ से उठा था, गेंदा सिंह जी की तरफ से नहीं उठा था इसलिये सबूत का बार शर्मा जी के ऊपर होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---अब बोलने का कोई अवसर नहीं है।

पहले जो संशोधन आया है कि यह प्रतिवेदन पुनर्विचार के लिये विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाय, उसपर राय ले लूंगा और बाद में यदि वह स्वीकृत हुआ तो डाइरेक्शन का प्रश्न ले लूंगा।

प्रश्न यह है कि यह प्रतिवेदन विशेषाधिकार समिति के पास फिर से पुनर्विचार के लिये भेजा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और श्री गौरी शंकर राय द्वारा विभाजन की मांग पर घंटी बजाई गई।)

श्री प्रतापसिंह---श्रीमन्, सदन में ह्विपिंग की जा रही है जो कि नियम के विरुद्ध है।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि बहुत-सी चीजें इस विषय में नहीं हुआ करती जो कि हो रही हैं। ह्विपिंग भी नहीं होती है और साधारणतः डिवीजन भी नहीं होता है।

(घंटी बंद होने पर प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि श्री गेंदा सिंह के २१ फरवरी, १९५८ के अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न संख्या २५ से २७ तक के सम्बन्ध में विशेषाधिकार समिति की अवहेलना के प्रश्न पर विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम ७० के अन्तर्गत विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

***श्री बेचनराम गुप्त**---श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि श्री गेंदा सिंह के २१ फरवरी, १९५८ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या २५ से २७ तक के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन को स्वीकार किया जाय तथा श्री गेंदा सिंह को प्रतिवेदन में उल्लिखित दण्ड दिया जाय।

श्रीमन्, गेंदा सिंह जी ने यह कहा था कि १० तारीख को उन्होंने अल्पसूचित तारांकित प्रश्न दिये थे और १७ तारीख तक माल मंत्री के पास रहे। आगे चल कर उन्होंने यह भी कहा कि यह प्रश्न उन्होंने (मंत्री जी ने) छिपा रखे जवाब देने से। इस सम्बन्ध में श्रीमन् ने उनको आश्वासन दिया था कि श्रीमान् ने फाइल को देख लिया है और उनको भी फाइल दिखला दी गई थी मगर फिर भी गेंदा सिंह जी ने यह निवेदन किया कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को भेज दिया जाय। इसमें बहुत से भंडा-फोड़ होंगे, बहुत से रहस्योद्घाटन होंगे। जो कुछ भी गेंदासिंह जी ने सदन में कहा उससे समिति की राय में श्रीमान् के सचिवालय पर आक्षेप होता है। श्रीमान् जी ने भी जिस समय इस प्रश्न को समिति के सुपुर्द किया था, मेज़ पार्लियामेन्ट्री प्रैक्टिस से एक पैसेज कोट किया था :---

"Both Houses will treat as breaches of their privileges, not only acts directly tending to obstruct their officers in the execution of their duty, but also any conduct which may send to deter them from doing their duty in the future."

दूसरी सब से बड़ी बात यह है कि केवल गलत बयानी कर देना ही समिति की राय में विशेषाधिकार का प्रश्न न होता लेकिन कोई माननीय सदस्य यदि सदन के सामने कोई स्टेटमेंट दें जिससे किसी माननीय सदस्य के ऊपर आक्षेप होता हो और उससे सदन गुमराह होता हो तो वह स्टेटमेंट विशेषाधिकार की अवहेलना की परिधि में आ जाता है। कई रूलिंग्स माननीय नारायणदत्त तिवारी जी ने समिति के सामने पेश की थीं, उन पर समिति ने गौर किया और उसके बाद समिति ने दूसरी ही रूलिंग कोट की है।

इसलिये केवल गलत बयानी कर देने का ही प्रश्न सदन के सामने नहीं है। उन्होंने सदन को बताया कि ११ तारीख को वे प्रश्न भेजे गये और १७ तारीख तक माननीय मंत्री जी ने उनको डाल रक्खा। यह बात उन्होंने आखिर तक कही। उन्होंने केवल इतनी ही गलत बयानी नहीं की लेकिन इसके बाद भी उन्होंने जिसे हठधर्मिता कहते हैं, उससे काम लिया। वे बार-बार कहते रहे और जोर देते रहे कि इसको विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया जाय जहां बहुत से रहस्यों का उद्घाटन होगा। उससे स्पीकर महोदय के ऊपर भी आक्षेप होता है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बेचनराम गुप्त]

और माल मंत्री की हैसियत से नहीं तो एक सदस्य की हैसियत से माननीय चरण सिंह जी के ऊपर भी आक्षेप होता है। इसके अलावा एक रूलिंग और भी है —

"If a statement has been made in the House which a member considers effects his character as a member and as a late Minister, he is entitled to bring forward a resolution on the subject as a matter of privilege."

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए समिति इस निर्णय पर पहुंची है कि माननीय गेंदासिंह अपराधी हैं तथा उनकी भर्त्सना की जाय और अगर वे अपनी गलती महसूस करें तो उनको क्षमा कर दिया जाय।

श्री त्रिलोकीसिंह---अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव विशेषाधिकार समिति के स्थानापन्न सभापति बनारस जिले के माननीय सदस्य ने पेश किया है, मैं उसमें यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि इस प्रतिवेदन पर किसी प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

इस प्रकार के संशोधन को पेश करने का मेरा मतलब बिलकुल साफ है कि जिस रूप में विशेषाधिकार समिति द्वारा सिफारिश इस सदन में की गई है, उसे यह सदन स्वीकार न करे और इस मामले को वहीं पर खत्म कर दे। मान्यवर इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों को याद होगा कि जिस समय यह प्रश्न उठा था मैंने निवेदन किया था कि किसी विशेष कार्यवाही की कोई आवश्यकता नहीं है, किन्तु दुर्भाग्यवश मेरी बात स्वीकार नहीं की गयी। मैं बहुत नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस समिति ने जो काम इसके सुपुर्द किया गया था, यही नहीं कि उसने उसे खूबी से अंजाम नहीं दिया बल्कि जो रिफरेंस उसको दिया गया था, शायद उसको पढ़ने का भी कष्ट गवारा नहीं किया। मैं मान्यवर की आज्ञा से उस सम्बोधन को पढ़ देना चाहता हूं —

"यदि माननीय गेंदासिंह जी यह सिद्ध करने में समर्थ हो सकें कि इसमें गड़बड़ हुई है और रहस्य खुल जाता है तो कमेटी निर्णय करेगी कि किसने विशेषाधिकार की अवहेलना की और दंड भी देने की बात वह बतायेगी। किन्तु यदि यह बात गलत पायी गयी तो माननीय गेंदासिंह जी के बारे में वह लिखेगी कि उन्होंने जो यहां बार-बार कहा है उससे सदन का अवमान हुआ है (ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ है) या नहीं हुआ है और यदि हुआ है तो क्या दंड देना उचित होगा। जितने चार्ज अभी सदन में और कल माननीय गेंदासिंह जी ने लगाये हैं उनके बारे में और अपनी रिपोर्ट विशेषाधिकार की अवहेलना के विषय में प्रस्तुत करें। माननीय सदस्यों को याद होगा कि जब इस प्रश्न को आजमगढ़ जिला के एक सदस्य ने उठाया था तो उसे उठाने की आज्ञा मान्यवर ने नहीं दी थी। बाद में उसी प्रश्न को देहरादून जिला के एक माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया और उसके ऊपर यह सम्बोधन प्रीविलेज कमेटी को गया। मैं यह कहना चाहता हूं, कि सर्वप्रथम इस कमेटी की सिफारिशें बुनियादी तौर पर इस काबिल नहीं हैं कि उन पर गौर किया जाय। प्रिवीलेज के मामले में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं, फौजदारी के तौर पर कार्यवाही होती है। जिसमें एक मेम्बर को सजा दी जा सकती है, जेलखाने तक उसको भेजा जा सकता है और उसको इस सदन से निकाला भी जा सकता है। यह सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं है तो बार सबूत उन लोगों पर होना चाहिये जो इल्जाम लगायें। माननीय गेंदासिंह जी मुल्जिम की हैसियत में थे और कमेटी की रिपोर्ट पढ़ने से यह साबित होता है कि उनको बराबर मुल्जिम की हैसियत से गर्दाना गया और इसी हैसियत से उनके साथ व्यवहार किया गया। फिर मुझे दुख होता है कि इस कमेटी की रिपोर्ट के पृष्ट ३ के दूसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि "माननीय गेंदासिंह को सबूत देने का मौका दिया गया क्योंकि सबूत का भार उनके ऊपर था"।

रिफरेंस होता है कुछ और और प्राइमाफेसी केस की रूलिंग होती है देहरादून के एक माननीय सदस्य की शिकायत पर, लेकिन उनसे कोई सबूत नहीं मांगा गया। जहां तक मुझे याद है उन्होंने ही यह शिकायत की कि माननीय गेंदा सिंह जी ने बार-बार गलतबयानी की है और इसलिये

उन्होंने ब्रीच आफ प्रिविलेज का प्रश्न उठाया। जिन माननीय सदस्यों ने यह अभियोग लगाया उन्होंने अपने अभियोग को सिद्ध करने का कष्ट नहीं गवारा किया बल्कि वे उस पर बिलकुल खामोश रहे। उल्टे श्रीगणेश किया गया यह कहकर कि उसकी सफाई दी जाय। तो मैं बहुत नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह तो मामला बिलकुल पलट गया। प्राइमाफेसी केस मेक आउट हुआ माननीय गेंदा सिंह जी के खिलाफ। उनकी बात अगर ली जाय तो उन्होंने अभियोग लगाया माननीय माल मंत्री के खिलाफ और इस विधान सभा के कार्यालय के खिलाफ। दो तरह की बातें हैं। अब अगर इस पूरी कार्यवाही को पढ़ा जाय तो जो माननीय गेंदा सिंह ने अभियोग लगाया था और जो उनके ऊपर अभियोग लगाया गया था उन्हें सिद्ध करने का अवसर किनको दिया गया यह प्रकट नहीं होता। अजीब प्रोसीजर एडाप्ट किया गया अगर उसे किसी ला कोर्ट में रिफर कर दिया जाय तो सम्भवतः वह सारी प्रोसीडिंग्स को ही रद्द कर दे। कोई तरीका तो एडाप्ट करना चाहिये था क्योंकि यह एक अमरे मुसल्लिमा है कि यह एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग थी।

मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि माननीय गेंदा सिंह जी ने क्या कहा ? उन्होंने कहा कि १० तारीख को एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न की सूचना उन्होंने विधान सभा के कार्यालय को दी, नियम के अनुसार उसका उत्तर तीन दिन के अन्दर मिलना चाहिये लेकिन वह देर से मिली। माननीय गेंदा सिंह ने कहा कि उत्तरों को देने का जो नियम है उसमें जो देरी हुई उसका कारण बताया जाय लेकिन इस प्रश्न पर इस समिति ने तनिक भी ध्यान नहीं दिया कि वह प्रश्न ७ दिन तक कहां पड़े रहे ? जो हमारे सदन के पुराने नियम हैं उनका नियम २३ पृष्ठ ८ पर है। वह मैं अंग्रेजी में ही पढ़े देता हूं :—

"If a member wishes to ask a short notice question, he shall give 3 clear days' notice of such question which shall be forwarded to Government by the Secretary 2 clear days before the date fixed for its answer :

Provided that no question shall be listed as a short notice question unless the Minsiter concerned has agreed to answer it as a short notice question."

यह बहस की जा सकती है महज दलील के लिये, लेकिन मैं दुख के साथ अर्ज करूंगा कि वह दलील कोई अच्छी दलील नहीं होगी कि तीन दिन का शुमार होगा उस दिन से जिस तारीख को विधान सभा के सचिव स्वयं उन्हें मंत्री महोदय के पास भेज दें लेकिन यह जो वाक्य है कि तीन दिन का नोटिस देंगे, यानी १ दिन कार्यालय में रहेगा और २ दिन का मौका दिया जायगा। अगर इसका अर्थ यह लगाया जाय कि विधान सभा के कार्यालय को यह अधिकार प्राप्त था कि वह डेढ मास तक सोता रहे और उसके बाद गवर्नमेंट को भेजता तो मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि ऐसा मतलब नहीं लगाया जा सकता। नियम यह है कि यह १ दिन कार्यालय में रहेगा और उसके दूसरे दिन मंत्री के यहां जायगा और २ दिन की सूचना उनको दी जायगी। एक माननीय सदस्य इस प्रकार के प्रश्न की सूचना देते हैं और वह ७ दिन तक कहां पड़ी रही और क्यों उन पर कार्यवाही नहीं की गई ? माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा था कि अगर यह मामला प्रिविलेज कमेटी के सुपुर्द किया जाय तो बहुत से रहस्योद्घाटन होंगे। परन्तु उस रहस्य के बारे में किसी तरह की जांच कराने की कोई कोशिश नहीं की गई कि किन साहब की गफलत से यह हुआ, उनके पास बेशुमार काम था या उनको फुरसत न रही हो यह हो सकता है ऐसे कारणों से देर हुई हो, लेकिन इस मामले में कमेटी बिलकुल चुप रही। और जिस तरह की भाषा कमेटी ने इस्तेमाल की उसे देखकर मुझे दुख हुआ जैसे "समिति ने इस विचार से असहमति प्रकट की क्योंकि समिति की राय में माननीय अध्यक्ष के इस कथन पर कि उन्होंने रिकार्ड को देख लिया है और माननीय गेंदा सिंह को भी दिखला दिया गया है जिससे बखूबी साबित है कि ये प्रश्न माननीय माल मंत्री के पास फरवरी की तारीख १७ को भेजे गये परन्तु माननीय गेंदा सिंह का माननीय अध्यक्ष की बातों को स्वीकार न करना और

[श्री त्रिलोकीसिंह]

बार-बार यह इसरार करना कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेज दिया जाय तो बहुत कुछ भंडाफोड़ या रहस्योद्घाटन होगा, माननीय अध्यक्ष के सचिवालय पर आक्षेप है"। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आक्षेप है तो क्या गलत है ? सात दिन के वे प्रश्न कहां पड़े रहे इस नियम का उल्लंघन करने के लिये, कौन-सा अधिकारी जिम्मेदार था ? क्यों उस अधिकारी की जिम्मेदारी के बारे में कमेटी ने जांच नहीं की ? कमेटी बिल्कुल एक तरफा चली गई। एक राय उसने बना ली। मान्यवर ने रूलिंग दी कि प्राइमाफेसी केस है, वह समझी कि इसके मानी हैं कि चार्ज मेक आउट हो गया। अब जरूरत नहीं है किसी शहादत की। यूनाइटेड किंगडम, हाउस आफ कामंस के नियम जो इस आदरणीय सदन के ऊपर भी लागू हैं विशेषाधिकार की अवहेलना के सिलसिले में उन नियमों का अगर हम पालन करें तो सबसे पहले यह बात मालूम हो जायेगी कि कमेटी बैठी थी एक राय को बना कर और बस वही एक नतीजा निकाला ....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह अनुचित शब्द हैं यह कहना कि समिति राय बना कर बैठी थी। कमेटी के वक्तव्य को आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं उसकी नीयत के ऊपर नहीं हमला कर सकते।

श्री त्रिलोकीसिंह—मान्यवर का यदि यह खयाल है कि मैंने नीयत पर हमला किया तो मुझे उस पर अफसोस है। मैं इतना जरूर अर्ज करूंगा कि कमेटी ने इस बात को बिल्कुल भुला दिया कि सिविल मैटर्स में जो दीवानी के मामले होते हैं वहां नतीजा सामने रख कर सबूत मुहैया किया जाता है और फौजदारी के मामले में पहले सबूत होता है तब चार्ज बनता है। प्रिजम्पशन होता है कि एक्यूज इन्नोसेंट है। यहां उसका बिलकुल उलटा किया गया। इसलिये मुझे कहने में दुख होता है कि कमेटी ने नफ्स मामले को समझा ही नहीं और अगर मैं यह भी कहूं तो गलत नहीं होगा कि गालिबन समझने की कोशिश करने की जरूरत ही उसने नहीं महसूस की। कारण कमेटी के माननीय सदस्य जो इस आदरणीय सदन में संभवतः इस समय उपस्थित होंगे, वे बतलायेंगे और अगर वे बतलायेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं प्रिविलेज के मामले में मान्यवर मैंने अपनी पार्टी के व्हिप से कह दिया है कि हर आदमी स्वतंत्र है, जिसकी जो राय हो करे कोई बंदिश पार्टी की तरफ से नहीं है, क्योंकि यह बात हमारे सदन की है, किसी पार्टी की या किसी एक सदस्य की नहीं है। जो बात भी माकूल कही जायगी मैं इत्मीनान दिलाता हूं मैं उसे स्वीकार करूंगा और अपनी बात को वापस लूंगा, अपनी राय को भी बदलूंगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि सात दिन यह प्रश्न कहां पड़े रहे ? क्यों देर हुई ? इस देर का कौन जिम्मेदार है ? बिनाये मुखासमत, शिकायत की बुनियाद कहां से होती है ? बजाय तीन दिन के ग्यारह दिन में जवाब का प्राप्त होना। जो शिकायत का कारण बना उस कारण के ऊपर बिल्कुल परदा डाला गया। उस पर कोई विचार नहीं किया गया।

अब यह कह दिया गया कि माननीय मंत्री के यहां यह ज्यादा दिन नहीं रहा। तस्लीम। कहा जाता है कि माननीय गेंदासिंह जी को फाइल दिखा दी गई। यह भी बात तस्लीम की जाती है कि माननीय गेंदासिंह जी फाइल को अपने साथ ले गये। दोनों बातें कमेटी के सामने थीं मान्यवर, लेकिन उसके बाद भी कमेटी माननीय गेंदा सिंह जी को मजबूर करती है कि बतलाओ कि किसने तुम्हें इत्तला दी कि यह कहां पड़ी रही फाइल ? गौर करें बात कितनी विरोधी है दोनों। फाइल को देख लिया और देखने के बाद भी सदन में उस बात को दोहराया। फाइल को रक्खा। यह भी नहीं कि सरसरी निगाह से देखा। कमेटी उनसे कहती है कि बतलाइये कि किसने आपको सूचना दी। फंडामेंटल राइट्स, कांस्टीट्यूशन में यह दफा है मान्यवर कि किसी आदमी को मजबूर नहीं किया जायेगा कि वह अपने खिलाफ शहादत दे। यहां मजबूर किया जाता है कि तुम बताओ कि किसने सूचना दी। हमने

तो खुद देखा। उसके बाद किसी सूचना का सवाल नहीं था। सात दिन की देर हुई सवालों में और इस देर होने के बाद अगर किसी के मन में यह संदेह उत्पन्न हो कि यह प्रश्न कहां पड़े रहे तो मैं बड़ी नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं स्वाभाविक बात है खुशामद के लिये। बल्कि मैं समझता हूं इस सदन के जितने भी सदस्य हैं, इधर के और उधर के, उनका कम से कम यह खयाल जरूर है कि जहां तक विधान सभा सचिवालय का सवाल है सारा काम निष्पक्षता से होता है। जहां तक विधान सभा के सचिवालय का सवाल है सारा काम फुरती से होता है, यह बात मानते हैं हम। और मैं समझता हूं मान्यवर, पिछले २२ सालमें जबसे १९३७ में १९३५ के एक्ट के अन्तर्गत नई असेम्बली बनी ऐसा मौका शायद तलाश करने में भी नहीं मिलेगा जब विधान सभा के सचिवालय पर किसी प्रकार का कोई संदेह किसी ओर से प्रकट किया गया हो। साथ ही साथ यह बात भी निर्विवाद है जहां विधान सभा सचिवालय की यह हिस्ट्री रही है कि किसी को उसकी कार्यशैली और निष्पक्षता पर कभी संदेह नहीं रहा वहां सरकार पर बेमतलब भी संदेह रहा है। हर मामले में वह अच्छी से अच्छी बात कहे, १२१ करोड़ रुपये के रेकरिंग ऐक्सपेंसेज का बजट पास किया गया, २४ दिन धूम मची रही, जनरल डिस्कशन हुये, नुक्ताचीनी पर नुक्ताचीनी हुई, वह कहते हैं कोआपरेटिव फार्मिंग करेंगे, वह कहते हैं इधर के लोग कह रहे हैं कि असल बात छिपाई जा रही है। आज भी आपने देखा होगा कि खयाल यह था कि आजमगढ़ जिला की घटना के बारे में बातें छिपायी जा रही हैं। मगर विधान सभा सचिवालय के बारे में किसी को कोई संदेह नहीं है। स्वभावतः ध्यान सरकार की ही तरफ जायगा कि इस देरी की जिम्मेदार सरकार है। इसके लिये किसी दूसरे जरिये से सूचना प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, न इस बात की जरूरत है कि विधान सभा के सचिवालय के किसी कर्मचारी से कुछ चुपके जाकर पूछा जाय।

मैं समझता हूं कि यह उनका कर्त्तव्य है और हमारा भी फर्ज है कि जब कभी कोई दिक्कत हो हम विधान सभा के सचिव को या उनके नीचे के अधिकारियों को अपनी दिक्कत पेश करें, उसका समाधान करने के लिये, और उनका भी कर्त्तव्य है कि वह हमारी दिक्कत को दूर करें। लेकिन यह सहूलियत सरकार के दफ्तर में नहीं हासिल है, उधर किसी फाइल को नहीं देख सकते, सूचना नहीं प्राप्त कर सकते। सूचना प्राप्त करने का सिर्फ जरिया है सवाल पूछिये। और उनके जवाबों के बारे में सभी माननीय सदस्यों का अनुभव है कि आये दिन गलत जवाब दिये जाते हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत है किसी भी सत्र की कार्यवाही को देखा जाय, एक नहीं अनेकों ऐसे मौके होते हैं जब मंत्री जी १०,५ दिन बाद आकर कहते हैं कि अमुक सूचना जो उन्होंने दी थी वह गलत थी। तो यह बात भी माननीय पड़ेगी कि माननीय गेंदा सिंह का यह संशय और अभियोग कि यह प्रश्न माननीय माल मंत्री के यहां पड़े रहे कोई अस्वाभाविक बात नहीं थी।

मैं क्या अर्ज करूं? चार्ज लगाया गया है कि माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा यह रिपोर्ट के सफा ४, पैराग्राफ ३ के बीच के हिस्से में हैं, पढ़ रहा हूं---"माननीय गेंदा सिंह जी ने अपनी जवाबदेही में भी माननीय माल मंत्री के ऊपर आक्षेप किया"। अब हुजूर आप गौर फरमायें कि क्या आक्षेप है।"...कि मालगुजारी विभाग सदैव अधिकारियों को और सब जन-सेवियों को जिसमें विधायक भी शामिल हैं असत्य तथा बढ़ा-चढ़ा कर कहने वाला मानता है। अभियोग किस पर है? मालगुजारी विभाग पर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट पर। क्या अभियोग है कि सदैव अधिकारियों को जो मालगुजारी के संबंध में जो छूट की सिफारिश करते हैं, विभाग बढ़ा-चढ़ा कर कहने वाला तथा असत्य मानता है। यही बात जनसेवियों, जन-सेवकों जिनमें विधायक भी शामिल हैं उनके संबंध में हैं। मैं इस चार्ज को बड़ी नम्रतापूर्वक दोहराता हूं और साबित कर दूंगा जब कभी मौका होगा और एक मिसाल अभी तुरन्त पेश किये देता हूं। बस्ती जिले के कलेक्टर ने यह सिफारिश की.....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इसकी बहस बहुत संक्षेप में होनी चाहिये।

श्री त्रिलोकीसिंह—मुझे मालूम है मान्यवर, लेकिन मैं अर्ज करूं कि प्रिविलेज कमेटी की जब रिपोर्ट आती है हाउस आफ कामन्स में तो एक दिन नहीं दो-दो दिन तक उस पर बहसें हो ती हैं। यह मामला है किसी को सजा देने का और सजा देने के मामले में सफाई देने और बहस करने का पूरा मौका होना चाहिये। ऐसी भी मिसालें हैं कि ऐसे मामलों में बाल की खाल और बिन्दी की चिन्दी तक निकाली गयी है।

श्री अध्यक्ष—यह तो आपके नियम में है उसको देखें। [नियम ७९ यह है—"विशेषाधिकार की अवहेलना विषयक प्रश्नों पर सभी प्रक्रमों में वाद-विवाद संक्षिप्त होगा"। अब उस संक्षिप्तता की कोई हद तो नहीं मुकर्रर है। मैं तो सिर्फ इशारा कर रहा था।

श्री त्रिलोकीसिंह—ठीक है। मेहरबानी, मैं आपका मशकूर हूं, मान्यवर। इसमें यह बड़ी कृपा की आपने। लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूं उस सिलसिले में कि एक जिलाधिकारी जो मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने मौके पर तहकीकात की, लेखपाल, कानूनगो, नायब तहसीलदार, तहसीलदार और डिप्टी कलेक्टर, यही उसके अधिकारी हैं, इनके अलावा जो नानआफिशियल्स हैं। फिर जिनकी फसल बरबाद होती है वे दरख्वास्त देते हैं कि यहां इतना नुकसान हुआ है और फिर उस नुक्सान का तखमीना यह लगाते हैं। मुझे मालूम है मान्यवर, कि जिलाधीश बस्ती ने नुक्सान का तखमीना लगा कर भेज दिया कि इस कदर नुकसान हुआ है। मालगुजारी विभाग से हुक्म जाता है कि फिर से तहकीकात करो, गलत असेसमेंट किया गया है। मान्यवर, फसल कट गई, मंड गई और उसके बाद बिक भी गई। अब असेसमेंट किस बात का? खाली खेत का? लेकिन एक नहीं ऐसी अनेकों मिसालें हैं इस प्रदेश में और इस सदन की कार्यवाही में भी आपको ऐसी मिसालें मिलेंगी कि जब कभी कहा गया कि किसी मुकाम पर १६ आने का नुकसान हुआ है तो उधर से कहा गया कि नहीं इधर की इत्तला गलत है। नुकसान नहीं हुआ है या महज ४ आने या ६ आने का है। इस तरह की एक नहीं अनेकों मिसालें मिलेंगी। मैं समझता हूं कि इसको आक्षेप समझना और यह कहना कि इस सदन के किसी माननीय सदस्य को यह कहने का हक नहीं है कि मालगुजारी विभाग ने जनसेवकों की बात को असल माना, ठीक नहीं है। यदि यह भी तसलीम करें कि यह गलत है तो मैं बहुत नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमें इसके कहने का हक है और हमारे इस हक को कौन छीन सकता है जब तक कि संविधान में कोई संशोधन न किया जाय। तो यह है क्या?

मैंने इसीलिये यह कहा था कि मान्यवर, कि जिस बुनियाद पर कमेटी ने अपनी फाइंडिंग्ज प्रस्तुत की हैं उससे मालूम होता है कि मान लिया गया कि यह अपराधी है और उस पर हर किस्म का चार्ज लगा दिया गया। ५ पन्ने की रिपोर्ट है। एक एक बात को कहा जाय तो काफी वक्त चाहिये। लेकिन मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं कि जितने चार्जेज हैं उनमें एक यह भी है कि श्री गेंदासिंह जी का व्यवहार सदन के सामने कंटूमेंशस और डिसरेस्पेक्टफुल रहा है और इस प्रकार उन्होंने सदन का अवमान किया है। किस प्रकार डिसरिस्पेक्टफुल रहा? कोई सबूत है इसका? मैं अर्ज करना चाहता हूं कि गालिबन कंट्युमेशस शब्द के अर्थ को भी समझने का प्रयत्न नहीं किया गया। एक सरसरी तौर पर चार्ज लगा दिया। इसके सबूत में फरमाया जाता है" इसके अतिरिक्त उनके इस अनुचित आक्षेप से सदन के कार्यालय के अधिकारियों पर भी आक्षेप है जो कि स्पष्ट रूप से सदन का अवमान होता है। कंट्युमेशस क्यों रहा? इसलिये रहा कि समिति का यह भी मत है कि श्री गेंदा सिंह जी ने जानबूझ कर सदन के सामने गलत बयानी की है और सदन को गुमराह किया है।" यानी डेलिबरेटली सदन को उन्होंने मिसलीड किया है। तो जहां तक सदन को गुमराह करने का सवाल है विशेषाधिकार की अवहेलना के लिए उसके लिए साजिश होनी चाहिए। इन दी एबसेन्स आफ कांसपिरेसी गुमराह करना ब्रीच आफ प्रिविलेज नहीं है। कब कांसपिरेसी

की गयी इसको कमेटी एस्टेब्लिश करती कि किस तरह से उन्होंने गुमराह किया और कौन कौन आदमी थे ? मुझे एक इत्तिला मिली और मैं उसे सच मानता हूं । ला कोर्ट में दरख्वास्तें वेरीफिकेशन पर होती हैं और माननीय सदस्यों को अधिकार है कि जो इत्तिला उन्हें मिले वे कह दें, बाद में मालूम हुआ कि वह गलत बात है तो कह सकते हैं कि गलत इत्तला मिली थी । इधर के लोगों को भी यह हक हासिल है । अगर कोई गुमराह होता है तो हो गुमराह । लेकिन जो इत्तिला मिली है उसे हम कहेंगे और वह बगैर कांसपिरेसी के बीच आफ प्रिसिलेज नहीं हो सकता। साजिश होनी जरूरी है जो नहीं है, लेकिन बाइंडिंग है । यह बात समझ के बाहर है।

रिपोर्ट को पढ़ कर मुझे दुख हुआ। अभी पढ़ी है, लेकिन अगर पहले पढ़ लेता तो दो महीने मेरे दिमाग को इंतिहाई परेशानी रहती।

आगे फरमाते हैं "disrespectful conduct in the presence of either House." उनके किस फिकरे से डिसरिस्पेक्ट हुआ ? कोई गुल किया या शोर किया या किसी के बीच में दखल किया जिससे काम न चलने दिया हो या किसी प्रकार इस सदन की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न की हो। जो डिसरिस्पेक्टफुल कंडक्ट की प्रोसीडिंग्स मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस में उद्धत है उनको यदि पढ़ लेने की तकलीफ गवारा की होती तो यह चार्ज नहीं लगाते। कौन सा विहेवियर था उनका कमेटी के सामने जिसको यह कहा जा सकता है कि यह डिस-रिस्पेक्टफुल बिहेवियर था। प्राइमा फेसी चार्ज थे डेढ़ और कमेटी ने बढ़ाना शुरू किया १,२, ३, ४ और ५ । शायद इस बात का लिहाज नहीं रखा कि चार्ज लगाने के पहले कोई सबूत भी होना चाहिये। इसके अतिरिक्त जैसा मैंने कहा, कार्यालय के किसी अधिकारी पर आक्षेप नहीं है क्योंकि किसी मौके पर भी गेंदा सिंह जी ने यह बात नहीं कही कि इस कार्यालय में गोलमोल हुआ है। कमेटी कहती है कि अगर दूर तक देखा जाय तो उलट कर कार्यालय पर आक्षेप आ जाता है। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की बात इस सदन को शोभा नहीं देती और उन लोगों के प्रति जो निष्पक्षतापूर्वक अपनी शक्ति और अक्ल के अनुसार किसी मामले पर कार्य करते हैं, बड़ी ज्यादती है। इस तरह खींचातानी करके यह कहना कि कार्यालय पर भी एक हमला कर दिया सर्वथा निर्मूल है। कौन सा वह फिकरा है, कौन से वे शब्द हैं जिन शब्दों के यह माने लगाये जा सकें ? प्रतिवेदन में यह है कि "जिस समय माननीय गेंदा सिंह की शहादत हो रही थी उस समय उनसे पूछा गया कि क्या वह कृपया उस व्यक्ति का नाम बतावेंगे जिसने उन्हें यह सूचना दी थी कि ये प्रश्न ११ तारीख को माननीय माल मंत्री के पास भेजे गये थे और १४ तारीख तक उनके पास रहे। माननीय गेंदा सिंह जी ने उस व्यक्ति का नाम बताने से इन्कार किया। माननीय गेंदा सिंह को यह भी बतलाया गया कि तथ्य को छिपाना तथा उस व्यक्ति का नाम न बताना इस समिति का अवमान है परन्तु फिर भी माननीय गेंदा सिंह ने उस व्यक्ति का नाम नहीं बताया जिसने उनको सूचना दी थी"। मैं अर्ज करूंगा कि पुराने रूल २३ के अनुसार यह था कि एक दिन दफ्तर में रहेगा। प्रिजम्शन यह नहीं है कि ७ दिन दफ्तर में रहेगा और गेंदा सिंह जी ने यह कहा कि यह दूसरे दिन माननीय माल मंत्री के यहां भेज दिया गया। प्रिजम्शन कि इस नियम का पालन हुआ उनके हक़ में है। यह कभी भी हम स्वप्न में गुमान नहीं कर सकते थे कि विधान सभा सचिवालय नियमों का पालन नहीं करेगा क्योंकि इन नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी श्रीमन्, आप के ऊपर है। आप जहां इस सदन के स्वत्व और अधिकार रक्षक हैं। वहां इस बात के भी जिम्मेदार हैं कि नियमों का पूर्णतया पालन हो और कोई भी कारण नहीं मालूम होता कि एक माननीय सदस्य इस पर सन्देह प्रकट करें कि नियमों का उल्लंघन उनके द्वारा हुआ जिनके ऊपर उनके लागू करने की जिम्मेदारी है। तो यह छींटा उसी तरफ रखा जाय क्योंकि माननीय माल मंत्री इतने बलवान हैं कि उनके ऊपर अगर कोई एक छींटा फेंके तो यकीन मानिये कि एक कहावत के अनुसार उसके ऊपर दस छींटें पड़ेंगे। लेकिन इस प्रकार खींचातानी करना मैं समझता हूं प्रिविलेजेज कमेटी की ज्यादती है।

[श्री त्रिलोकीसिह]

यह भी कहा गया है कि सत्य को छिपाया गया इसलिए कि माननीय गेंदा सिंह जी ने यह नहीं बतलाया कि किस आदमी ने यह इत्तला दी। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मैं एक बयान देता हूं, जो गलत है उसकी सजा भी भुगत लूंगा। क्या यह जरूरी है कि उसका आधार बतलाऊं माननीय उपनेता सदन यहां मौजूद हैं। क्या वह इस बात को कह सकते हैं कि अपना सोर्स आफ इन्फार्मेशन भी डिस्क्लोज करने के लिये मजबूर हैं। तमाम सीक्रेट, कान्फीडेन्शल और टाप सीक्रेट रिपोर्ट्स होती हैं, जो सदन को नहीं दिखायी जा सकतीं, यह सदन का भी नियम है। जर्नलिस्ट एक समाचार पर सजा खा जायगा, प्रिन्टर और पब्लिशर भी सजा खा जायेंगे, अखबार बन्द हो जायगा मगर सोर्स आफ इन्फार्मेशन नहीं बतायेगा। "हिन्दुस्तान टाइम्स" के केस में प्रिवी कौंसिल तक ने यह निर्णय किया कि अपना सोर्स आफ इन्फार्मेशन बतलाना जरूरी नहीं है। यहां क्या है कि बताओ किसने कहा ? नहीं बताया तो सजा कर देंगे। यह कहां का कानून है ? इसके लिये एक नया क्रिमिनल ला और नये रूल्स बनाने पड़ेंगे पेश्तर इसके कि इस रिपोर्ट को यह सदन स्वीकार करे।

फिर एक दूसरा अभियोग लगा दिया कि रेफ्यूजिंग टु ऐन्सर क्वेश्चन। (Refusing to answer question) उन्होंने इंकार नहीं किया। यह कहा कि नहीं बतलायेंगे। ही डिड नाट रेफ्यूज टु ऐन्सर, सर। जवाब दिया। हां, उसमें बिलफुल सप्रेशन आफ ट्रुथ की बात आ सकती है। लेकिन क्रिमिनल कार्यवाही में यह बात नहीं चलती। कमेटी को यह बात इस्टैब्लिश करनी पड़ेगी कि कौन से ट्रुथ का सप्रेशन किया। महज चार्ज पर चार्ज, ठोकर पर ठोकर लेकिन माल मसाला कुछ नहीं। मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे। अगर मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली गयी होती (व्यवधान)। शान्ति-पूर्वक सुनिये। यह ठीक कहा कि गेंदा सिंह जी के कहने से यह मामला प्रिविलेजेज कमेटी को भेजा गया। माननीय सदस्य बनारस जिला और इस समिति के स्थानापन्न सभापति के इस कथन से मैं यह नतीजा निकालता हूं कि उन्होंने इस बात पर भरोसा किया कि गेंदा सिंह जी इकबाली मुलजिम हैं और उनका यह मंशा है कि उन्हें इसी बयान पर सजा दे दी जाय और किसी सबूत के लेने की जरूरत नहीं है। मुझे जहां तक मालूम है वह लायक आदमी हैं और उन्होंने कुछ समय तक वकालत भी की है। उनको वह गौरव प्राप्त है जो बहुत से सदस्यों को प्राप्त नहीं है। लेकिन मेरी समझ में उनका यह कहना नहीं आया कि प्रिविलेज कमेटी में भेज दिया जाय, भेज दिया गया, मामला साबित हो गया, पक्का हो गया, इसी से सजा दे दी जायगी। यह नहीं है, क्योंकि गेंदा सिंह जी ने किसी भी अवसर पर यह तस्लीम नहीं किया है कि उन्होंने ब्रीच आफ प्रिविलेज किया है। यह कहते हैं कि उन्होंने कहा कि भेज दिया जाय। क्या उन्होंने नहीं कहा कि इसमें रहस्योद्घाटन होगा ? सात दिन सवाल कहां पड़े रहे ? कौन जिम्मेदार है ? आया वह जिम्मेदारी माल मंत्री जी की है या नहीं ? जैसा उन्होंने कहा।

श्रीमन्, मैं इसको नम्रतापूर्वक स्वीकार करते हुये कि नियमों के बावजूद आप ने मुझे काफी समय दिया कि मैं अपनी बात पेश करूं, यह अर्ज करूंगा कि जो संशोधन मैंने उपस्थित किया है कि इस प्रतिवेदन पर किसी कार्यवाही की जरूरत नहीं है, उसे आदरणीय सदन स्वीकार करने की कृपा करे।

*श्री अवधेशप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)---मान्यवर, मैं आपकी सेवा में कुछ निवेदन करना चाहता था, किन्तु दुर्भाग्यवश आप की अदम मौजूदगी में मैं आशा करता हूं कि उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात आप तक पहुंचा देगें।

(इस समय १ बज कर ३२ मनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और उपाध्यक्ष श्री राम-नारायण त्रिपाठी पीठासीन हुये।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, माननीय गेंदा सिंह जी के खिलाफ यह आरोप है कि उन्होंने जानबूझ कर सदन में गलतबयानी की जिसके फलस्वरूप माननीय अध्यक्ष महोदय के सचिवालय, उसके अधिकारीवर्ग तथा माल मंत्री जी के ऊपर आक्षेप हुआ और उन्होंने सदन का अवमान किया। मैं यह समझते हुये शायद आप मुझे अधिक समय न दें, मैं यह प्रयास करूंगा कि अपनी बात इसी समय के अन्दर कह दूं। मैं आप का तथा सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि संविधान के अनुसार यह आवश्यक है कि वही प्रिविलेजेज इस सदन के होंगे जो कांस्टीट्यूशन ने दिये हैं और कांस्टीट्यूशन के अनुच्छेद १९४ (४) में इस बात के लिये प्रावीजन रखा है जिसके आधार पर मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय गेंदा सिंह जी ने आपके सचिवालय के अधिकारियों के विरुद्ध एक तो कुछ कहा नहीं और मैं इसको साहस के साथ कहना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आप उसको सुनेंगे जिससे आयन्दा थोड़ी सी कठिनाई दूर हो सके कि आप के सचिवालय के अधिकारियों के जिस भांति संविधान के अनुसार उनके कोई प्रिविलेज नहीं हैं। मैं इसको कहीं अच्छा समझता हूं कि उस बात को सीधे कह सकूं बजाय इसके कि घुमा फिरा कर दस पांच मिनट समय बरबाद करने के बाद मैं हाउस में उस बात को स्पष्ट रूप से न रख सकूं। मैं सीधे कहना चाहता हूं कि आर्टिकिल १९४ के अन्तर्गत आपके सचिवालय के अधिकारियों को कोई प्रिविलेज नहीं है और ऐसी सूरत में हम उनको एक नया प्रिविलेज नहीं दे सकते हैं। मैं यह बहस मानता हूं कि इस चीज को मानकर चलते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—कौन-सा नया प्रिविलेज देने का प्रश्न आपके सामने है ?

श्री अवधेशप्रतापसिंह—मैं इस सिलसिले में चाहता यही था कि श्रीमन् मैं, आपको भी पूर्णतया कनविन्स कर दूंगा केवल प्रार्थना इस बात की है कि समयाभाव के कारण मैं रोका न जाऊं और मैं अपनी पूरी प्रार्थना कर लूं। श्रीमन्, यह कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है पेज थ्री पर उसमें यह है—

> "समिति ने इस विचार से असहमति प्रकट की क्योंकि समिति की राय में माननीय अध्यक्ष के इस कथन पर कि उन्होंने रिकार्ड को देख लिया है और माननीय गेंदा सिंह को भी दिखला दिया गया है जिससे बखूबी साबित है कि ये प्रश्न माननीय माल मंत्री के पास फरवरी की तारीख १७ को भेजे गये, परन्तु माननीय गेंदा सिंह का माननीय अध्यक्ष की बातों को स्वीकार न करना और बार-बार यह इसरार करना कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेज दिया जाय तो बहुत कुछ भंडाफोड़ या रहस्योद्घाटन होगा। माननीय अध्यक्ष के सचिवालय पर आक्षेप है, क्योंकि माननीय गेंदा सिंह की बातों से ऐसा आभास मिलता है कि आफिस में किसी ने फोरजरी की है या किसी ने आंकड़े बदले हैं।"

इसमें मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पृष्ठ १२६ का भी अंश दिया गया है।

अब मैं पहले तो इस जगह यह बतला देना चाहता हूं कि प्रिविलेज जो है वह परसन का होता है न कि किसी सचिवालय का। किसी सेक्रेटेरियेट का कोई प्रिविलेज नहीं हो सकता है। फिर आगे चल कर कमेटी ने पेज फाइव पर लिखा है—

> "इसके अतिरिक्त उनके इस अनुचित आक्षेप से सदन के कार्यालय के अधिकारियों पर भी आक्षेप है जो कि स्पष्ट रूप से सदन का अवमान होता है।"

अब उनका यह कहना था कार्यालय पर है। उसके सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रिविलेज जो है वह परसन का है कोई सेक्रेटेरिएट को प्रिविलेज नहीं हो सकता था और वह कह सकते हैं कि अधिकारियों पर आक्षेप हुआ है। साफ कहते हैं कि कार्यालय के अधिकारियों पर भी आक्षेप है जिससे स्पष्ट रूप से सदन का अपमान होता है। श्रीमन्, इसको देखते हुये मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके लिए आर्टिकिल १९४ श्रीमन् देखें। श्रीमन्,

[श्री अवधेशप्रतापसिंह]

मुझे यह आश्वासन मिल जाता कि मुझे कुछ समय मिल जायगा तो मैं ज्यादा एलेबोरेट रूप में १९४ आर्टिकिल के क्लाजेज को रखता नहीं तो सारांश में रखता।

श्री उपाध्यक्ष—१९४ के क्लाजेज को आप विस्तार से क्यों पढ़ना चाहते हैं ?

श्री अवधेशप्रतापसिंह—मैं श्रीमन्, आर्टिकल १९४ के क्लाज फोर को पढ़ना चाहता हूं :

"194 (4). The provisions of clauses (1), (2) and (3) shall apply in relation to persons who by virtue of this Constitution have the right to speak in, and otherwise to take part in the proceedings, of a House of the Legislature of a State or any committee thereof as they apply in relation to members of that Legislature."

यह तो बिल्कुल साफ है कि यह लफ्ज परसन है। कांस्टीट्यूशन के आर्टिकिल १९४ के क्लाजेज १, २ और ३ में उन्होंने यह बताया कि हमारे पावर्स प्रिविलेजेज इम्यूनिटीज यह सब क्या होंगे ? उसके बाद वह क्लाज (४) में जो कहते हैं वह महज उन लोगों के लिये उसको सीमित करते हैं जो कि इस सदन में बोल सकते हैं या प्रोसीडिंग्स में भाग ले सकते हैं। कांस्टीट्यूशन के किसी भी आर्टिकिल को इंटरप्रेट करने के लिये यह भी लाजिमी होता है कि उसके लेटर्स को, उसकी स्पिरिट को देखा जाय कि उसका असल मकसद क्या है ? मैं पढ़ता नहीं हूं। मैं यह बता रहा हूं आप की सेवा में, यह निवेदन करना चाहता हूं और आप के द्वारा सदन से कि आर्टिकिल १७७ है जिसमें कि ऐडवोकेट जनरल को यह हक है कि वह हाउस में आ सकते हैं, बोल सकते हैं, भाग ले सकते हैं, लेकिन तब भी एक प्रतिबन्ध है कि वह वोट नहीं दे सकते हैं। यह आर्टिकिल १७७ में कोट कर रहा हूं। फिर मैं आर्टिकिल २१२ को कोट करना चाहता हूं जिसके जरिये आप को यह पता होगा, आप की आज्ञा से मैं उस को पढ़ देना चाहता हूं कि आप के अफसरान को उन्होंने इम्यूनिटी दी है कोर्ट से, कोई प्रिविलेज उनका नहीं क्रिएट हुआ है। एडवोकेट जनरल को भी वह पूर्ण अधिकार नहीं दिये गये हैं। उस कांस्टीट्यूशन के बारे में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि महामान्य राज्यपाल को ऐड्रेस करने का अधिकार दिया गया, उनको मैसेज भेजने का अधिकार दिया गया, लेकिन कहीं कोई अधिकार उनको नहीं है जिससे कि वह प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकें। डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का एक अलग स्थान रखा गया है और उसके लिए डेफिनिट और स्पेसिफिक प्राविजन किया गया है। तो यह गलतफहमी न हो और इस कमेटी ने जो एक गलत नतीजे पर पहुंचने का कदम उठाया है उसके सम्बन्ध में मैं इस सदन में साफ कह देना चाहता हूं जिससे कि आइन्दा चल कर फिर कोई ऐसी गलती न हो सके। यह है श्रीमन्, आर्टिकिल २१२, उसका क्लाज (२) में पढ़ रहा हूं –

"No officer or member of the Legislature of a State in whom powers are vested by or under this Constitution for regulating procedure or the conduct of business, or for maintaining order, in the Legislature shall be subject to the jurisdiction of any court in respect of the exercise by him of those powers."

यह उन्होंने कोर्ट से इम्यूनिटी इस जगह दी है आपके आफिसर्स को :—

श्री उपाध्यक्ष—आप की राय में यह कोई प्रिविलेज नहीं है उस आफिसर को ?

श्री अवधेशप्रतापसिंह—श्रीमन्, आपकी सेवा में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसको प्रिविलेज मैं मानता हूं। लेकिन वह प्रिविलेज जोकि महज मेम्बर्स के लिये दिये गये हैं वह प्रिविलेज आप के सचिवालय को नहीं दिये जा सकते हैं जब तक कि श्रीमन्, आप इस सदन में अपना प्रिविलेज खुद न फार्मुलेट करें। कांस्टीट्यूशन के आर्टिकिल १९४ के क्लाज (४) में यह लिखा है कि यह प्रिविलेजेज केवल एक लिमिटेड आदमियों को हैं।

श्री उपाध्यक्ष—उसमें एनी आफिसर में जो परसन है वह तो आ सकता है। सेक्रेटरी है, मार्शल है यह १९४ के (४) में आ जाते हैं। इसलिये अगर आप कुछ श्योर फूटिंग पर आ जायं तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री अवधेशप्रतापसिंह—श्रीमन्, श्योर फूटिंग पर हूं और आप मुझे टाइम दें तो मैं आपको कंविंस कर के छोड़ूंगा। जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वह बिल्कुल सही सवाल आप ने मुझसे दरियापत किया है, मैं यह अर्ज कर दूं कि जो पावर्स ऐंड प्रिविलेजेज हाउस आफ लेजिस्लेचर के हैं वह आर्टिकिल १९४ में दिये गये हैं, लेकिन श्रीमन्, एक प्राविजन ऐसा रखा गया है क्लाज (४) में जोकि इन तीनों क्लाजों को अपनी जगह पर एक लिमिटेड बना देता है। अगर क्लाज (१), (२), (३) होता तो मैं मानता। क्लाज (४) यह कहता है कि एक तरीके से एक रेस्ट्रिक्शन एक प्रतिबन्ध लगाता है और उस प्रतिबन्ध के अन्दर यह आप के अफसरान नहीं आ पाते हैं। अगर यह सदन चाहता है तो मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन आर्टिकिल १९४ (४) पर अगर निगाह डाली जाय तो उसमें यह कहां दिया हुआ है कि सचिव सदन में बोल सकता है। आपका सचिव यहां पर बोल नहीं सकता है। मार्शल भी नहीं बोल सकता है। वह निकाल सकता है, लेकिन बोल नहीं सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—सचिव विधान सभा रोज यहां पर घोषणा करते हैं और कौंसिल की तरफ के सेक्रेटरी की मैसेज देते हैं।

श्री अवधेशप्रतापसिंह—अगर इसमें यह दिया होता कि "टु स्पीक इन दि हाउस या टु टेक पार्ट इन दि प्रोसीडिंग" तो मैं इसको मान लेता।

श्री उपाध्यक्ष—आपका मतलब यह है कि कार्यालय के खिलाफ शिकायत की जा सकती है और उसका कोई प्रिविलेज नहीं है जैसे कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के हैं। आपके विचार से जो लेजिस्लेचर के अफसर हैं या मार्शल हैं, उनके लिये किसी माने में किसी सीमा तक भी, प्रिविलेज नहीं है।

श्री अवधेशप्रतापसिंह—मैं यही तो कहना चाहता हूं कि यह हमारा दुर्भाग्य है। उनके लिये होना चाहिये पर हमारे संविधान में इसके लिये कुछ नहीं कहा गया है। मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के केसेज हमारे यहां तभी लागू होते हैं जब कि हमारे इंडियन कांस्टीट्यूशन में उसका कोई प्राविजन न हो। मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस का उद्धरण इस रिपोर्ट के पेज ३ पर यह दिया हुआ है :—

"Both Houses will treat as breaches of their privileges, not only acts directly tending to obstruct their officers in the execution of their duty, but also any conduct which may tend to deter them from doing their duty in the future."

मैं समझता हूं यह रूलिंग अपनी जगह पर नहीं चिपकती है, लेकिन अगर मान लें कि यह रूलिंग ठीक है तो मैं यह कहता हूं कि मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस का यह प्राविजो यहां लागू नहीं होता जब तक कि हमारे यहां संविधान में १९४ (४) मौजूद हैं। मैं आपसे निवेदन करूं कि हमारे यहां बहुत-सी ऐसी चीजें हुआ करती हैं जैसे रूल्स बनते हैं। एक रूल रिपील किया गया और दूसरा रूल बनाया गया। अब मैं यह कहूंगा कि इन रूल्स में यह दिखाइये कि आपके सेक्रेटरी की कहां पर पावर डिफाइन की गई है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि उनको कोई अधिकार दिये जायं। उनको भी सेफगार्ड मिलना चाहिये। उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। इसको हमको अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिये। बहुत से मौकों पर हम लोग भी बहुत सी गलती करते हैं जिनका हमको अधिकार नहीं है, लेकिन हम यह समझते हैं कि चाहे कोई चीज चिपके या नहीं, लेकिन मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस की रूलिंग हर जगह पर चिपका

[श्री अवधेशप्रतापसिंह]

दी जाती है। वह चीज हाउस आफ़ कामन्स के लिये सही हो सकती है, लेकिन हमसे यहां अगर संविधान के वह खिलाफ है तो हमारे यहां वह चीज नहीं बैठ सकती।

माननीय गेंदा सिंह जी का कहना तो यह था कि १० तारीख को उन्होंने एक प्रश्न दिया और ११ को वह भेज दिया गया। उसके बाद वह मंत्री महोदय के पास रहे तो जहां तक आपके दफ्तर की बात है उसके लिये उनकी कोई शिकायत पैदा नहीं होती है। खामख्वाह प्रिविलेज कमेटी इस बात को लाना चाहती है। स्पीकर साहब यह कहते हैं कि मेरे खिलाफ कोई चीज नहीं है। माननीय गेंदा सिंह जी उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं करते हैं। सचिवालय के अधिकारियों के खिलाफ वह कोई दोष नहीं लगा रहे हैं। इसमें परेशान होने की कोई भी बात नहीं है। आइंदा के लिये यह सदन उनके लिये कोई सेफगार्ड रखे तो मुझे आपत्ति नहीं है। आप बहुत से रूल्स इम्प्रूव करते हैं, लेकिन वे इम्प्रूव नहीं हो पाते हैं।

दूसरी बात यह है कि मेज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस का जिक्र जो इस रिपोर्ट में किया गया है उसको मैं आपकी सेवा में पढ़ चुका हूं।

श्री त्रिलोकीसिंह---मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस को खामख्वाह इसमें घसीटा गया है।

श्री अवधेशप्रतापसिंह---दूसरी जगह कहा जाता है—

"Any disorderly, contumacious or disrespectful conduct in the presence of either House or any Committee thereof, whether by strangers present or by persons attending as parties or witnesses, will constitute a contempt."

यह किसके लिये कहा जा रहा है? अंग्रेजी अगर पढ़नी है, अगर समझनी है, अगर मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस को कोट ही करना है तो उसी जगह पर जहां चस्पां हो वहां करना चाहिये। यह तो कंट्यूमेशस कंडक्ट करने वालों के लिये, विटनेसेज के लिये या उनके लिये जो पार्टी बनकर आवें, उनके लिये है। तीन जगह सब-डिवीजंस कर दिये गये हैं जिस पर वह अपना केस बेस करते हैं। मैं भी अपना केस बेस कर रहा हूं, लेकिन खामख्वाह इस चीज को घुसेड़ दिया गया है, इसको इतना अधिक महत्व न दिया जाय। कोई चीज अगर उत्तर देने के लायक होगी तो मैं देने के लिये तैयार हूं, जैसा कि मैंने कहा कि न कांस्टीट्यूशनल इसमें कोई बात है, न रेफ़रेंस पर कुछ है। मुझे अपनी जगह पर आप और आपके सचिवालय के अधिकारियों पर पूर्ण भरोसा है, मैं इस मामले में गलत न समझा जाऊं कि मैं आक्षेप कर रहा हूं, लेकिन मैं सही पोजीशन बता रहा हूं।

अब दूसरी चीज यह है कि मैं जानना चाहता हूं कि गेंदा सिंह जी का वह कौन सा कंट्यूमेशस और डिस्रेस्पेक्टफुल व्यवहार रहा है, कौन सी चीज कर दी कि इतना हल्ला मच गया? क्या उनको निकाल दिया था और वह निकले नहीं? कभी घसीटा गया? कब उनको बूट लगे, कब पेट में मुक्के मारे गये, कब टांग से घसीटा गया? कौन सी ऐसी चीज थी कि जिससे अभद्र व्यवहार समझा जाय।

एक बात यह कही जाती है कि माननीय गेंदासिंह जी ने जानबूझकर गलत-बयानी की। जब कि जान-बूझकर गलतबयानी उनकी ओर से हुई, यह कहा जाता है तो मैं इसी हाउस की प्रोसीडिंग से यह साबित करना चाहता हूं कि वह जानबूझकर गलत बयानी नहीं थी, बल्कि उनको एक विश्वस्त सूत्र से एक सूचना मिली। तो कसूर उनको जो होता है वह उस स्टेज से शुरू होता है जब माननीय अध्यक्ष ने कहा कि मैंने फाइल देख ली है, वह मेरे दफ्तर में थी और उनको वह फाइल खुद दिखा दी गयी, लेकिन श्रीमन्, इंसान तो इंसान है; मनुष्य से गलती हो सकती है, हर इंसान से गलती हो सकती है। माननीय

गेंदासिंह को एक विश्वास दिलाया गया था जिसको कि उन्होंने स्वीकार किया कि इसी विभाग के कोई लोग थे जिनका नाम उनको बताना भी नहीं चाहिये था और न उन्होंने बताया, और उन्होंने बताया कि बहुत रेस्पांसिबिल सोर्स उनका था और उन्होंने उसका एतबार किया।

श्री उपाध्यक्ष---आपको मौका पूरा मिल रहा है, लेकिन जो बातें कही जा चुकी हैं उनको दोहराने के नियम पर ध्यान न दिया जायगा तो सदन का समय बहुत अधिक व्यय होगा। तो जो नेता विरोधी दल कह चुके हैं उसकी ओर इशारा मात्र कर दें कि मैं उससे सहमत हूं, लेकिन तफसील में जाने की जरूरत नहीं है।

श्री अवधेशप्रतापसिंह---उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो एक शब्द में यह कह सकता हूं कि उन्होंने गलतबयानी की, लेकिन जान-बूझकर नहीं की। मैं यह भी मान लेता हूं कि गलत बयानी जानबूझ कर करने के लिये उनके दिमाग में यह बात तय होनी चाहिये थी कि यह चीज गलत है और उसको सदन में वह बराबर दोहरा रहे हैं। एक गलतफहमी पैदा हुई बावजूद स्पीकर के कहने के और वह दूर नहीं हो सकी। वह कोई रूलिंग नहीं थी? यदि आप कोई फैक्ट्स नैरेट करते हैं तो मैं बाध्य नहीं हूं कि मान ही लूं। हो सकता है कि स्पीकर महोदय कोई चीज ओवरलुक कर गये हों? हो सकता है कि देखने के बाद भी एक चीज उनके दिमाग में जो जमा दी गई थी वह नहीं निकल सकी। मैं कहना चाहता हूं कि गेंदासिंह जी के दिमाग में कोई चीज जरूर थी, नहीं तो वह इसरार न करते कि इसे प्रिविलेज कमेटी के पास भेज दिया जाय। जब वह इसरार कर रहे थे तो उनके दिमाग में डाउट था वर्ना कोई इनसान जुर्म करने के बाद भी यह नहीं कह सकता कि अदालत में मेरे खिलाफ ट्रायल किया जाय जबतक कि वह पागल न हो। किसी के लिये यह कहना कि वह जानबूझ कर प्रिविलेज कमेटी में कोई ऐसी चीज भेजना चाहे जिसका नतीजा १०-१५ दिन के बाद यह होता हो कि वह मुलजिम ठहराया जाय:.....

श्री उपाध्यक्ष---इसमें थोड़ी सी गलतफहमी है। गेंदा सिंह जी के कहने पर यह नहीं भेजा गया था। बेचनराम जी की वजह से यह गलतफहमी पैदा हो गई है।

श्री अवधेशप्रतापसिंह---श्रीमन्, मैं इसको प्रूव कर सकता हूं कि जब उनसे कहा गया तो वह इसरार करते रहे कि इसको प्रिविलेज कमेटी में भेजा जाय। उनके कहने पर गया या नहीं, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। अगर आप चाहें तो मैं दिखा सकता हूं कि इस बात पर वह हमेशा इंसिस्ट करते रहे कि यह मसला प्रिविलेज कमेटी को भेजा जाय, लेकिन मैं अर्ज यह करना चाहता हूं कि उनका मोटिव देखा जाय। सदन इस बात का निर्णय दे कि यह एक डेलीबरेट लाई थी या सिर्फ एकलाई थी। यह गलतबयानी थी या जानबूझ कर गलतबयानी थी। मैं कहता हूं कि जिस नतीजे पर यह कमेटी पहुंची है उससे मैं सहमत नहीं हो पाता।

श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहूंगा इसी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कि इसमें यह स्वीकार किया गया है कि गलतबयानी हम कर सकते हैं सदन में। जहांतक गलतबयानी का प्रश्न है, कोई भी आदमी जो अपनी जिम्मेदारी को समझता है उसपर शुबहा नहीं किया जा सकता, यह सर्वथा अनुचित है। मुझे स्वीकार है कि जहांतक गलत बयानी का प्रश्न है, औचित्य के दृष्टिकोण से यह गलत था, लेकिन जहां तक ब्रीच आफ प्रिविलेज का सवाल उठता है, स्वयं यह कमेटी कहती है कि गलतबयानी हो सकती है। जो वह डिस्क्रिमिनेट करना चाहते थे, डिफरेंशिएट करना चाहते थे, उन्होंने कहा कि जानबूझ कर कहा। मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता केवल यह कहना चाहता हूं कि गुड फेथ में मोटिव बिल्कुल ठीक था, सिर्फ गलतफहमी थी। यह हो सकता है कि उनका यह सही कदम न हो, उन्होंने अपना डिस्क्रीशन ठीक से एक्सरसाइज नहीं किया, लेकिन उसमें बदनियती नहीं थी, मोटिव खराब नहीं

[श्री अवधेशप्रतापसिंह]

था, किसी भी सूरत में यह कहना कि जान बूझ कर गलत कहा यह सर्वथा अनुचित है क्योंकि वह स्वयं अपने लिये मुसीबत बुला रहे हैं। लिहाजा गेंदासिंह जी के ऊपर ब्रीच आफ प्रिविलेज नहीं उठता है।

अब प्रश्न उठता है माननीय माल मंत्री जी का, कि उनके बारे में आक्षेप हो गया है। गेंदासिंह जी जनहित में एक बात पर इसरार करते रहे। जब वह इस प्रश्न को लाये थे और जबकि एक घंटे की या दिन की देरी कोई मायने रखती थी, उस समय अगर थोड़े से क्रोध के आवेश में आकर, भावना के वशीभूत होकर, जिस जिले से वह आते हैं वहां खरीफ और रबी की ऊट नहीं मिल पाई और जहां की रिपोर्ट अपनी जगह पर ठीक नहीं आई थी, उन भावनाओं से प्रेरित होकर गेंदासिंह जी अपने पर संयम न रख सके। उन्होंने जो कुछ माननीय माल मंत्री के लिये कहा वह माननीय चरणसिंह के लिये नहीं कहा। वे अपने को भले ही समझें कि वह कलेक्टिव रेसपांसिबिलिटी के जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन मैं उनको ऐसा मानता हूं। एक न्यूजीलैन्ड का केस इसमें कोट किया गया है कि :

"If a statement has been made in the House which a member considers effects his character as a member and as a late minister, he is entitled to bring forward a resolution on the subject as a matter of privilege."

अभी लेट मिनिस्टर का कोई सवाल नहीं है। ज्यादा मुनासिब होता यदि वह एक्स-मिनिस्टर कहते। मगर अभी वह नौबत नहीं आई है, हो सकता है कि १०,५ दिन में आ जावें। इस सदन में हम उधर के फैक्ट्स को चैलेंज करते हैं और उधर वाले हमारी बातों को चैलेंज करते हैं। उसके बाद बात ब्रीच आफ प्रिविलेज तक नहीं पहुंचती है। दोनों पक्षों को सूचनायें मिलती हैं, मंत्री जी को भी उनके कर्मचारियों से सूचनायें मिलती हैं। दोनों के सोर्स गलत हो सकते हैं। ऐसी सूरत में अगर गलत इत्तिला का सवाल उठ जाय तो वह ब्रीच आफ प्रिविलेज नहीं हो सकता है। इसी तरह से मिनिस्टर लैनावस वायड का केस है इसमें लिखा है :

"I want to know whether a statement can be made by any Member, including myself, that is grossly untrue."

इस पर डिप्टी स्पीकर साहब फरमाते हैं कि :

"Shortly, the answer is 'yes' provided it is not unparliamentary."

उसके सिलसिले में जो आक्षेप मंत्री महोदय पर किया गया था वह कोई साधारण आक्षेप नहीं था। मंत्री महोदय से कहा गया कि उनके दफ्तर में था। उनके पी० ए० का बयान देखा जाय, तो कोई ऐसी चीज नहीं निकलती है। जिससे यह समझा जाय कि उनका आक्षेप ब्रीच आफ प्रिविलेज की कैटेगरी में आता है। ज्यादा से ज्यादा इसकी पोजीशन यह हो सकती है कि गेंदासिंह जी रिपीटीशन करते रहे। जैसे आपने मुझे रोका, मैं मान गया, वैसे ही यह भी मान जाते। अगर वह नहीं मानते तो उनके ऊपर केवल ब्रीच आफ आर्डर या रूल्स का केस हो सकता है। मगर उसे ब्रीच आफ प्रिविलेज की कैटेगरी में लाना दुश्वार होगा। वह भी स्टेज सदन में हो सकती है जबकि हर स्टेज में दोनों तरफ से एक दूसरे को बातें चैलेंज होती रहेंगी और यदि इस प्रकार के प्रश्न प्रिविलेज कमेटी देखती रही तो वह एक अच्छी खासी फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी हो जायगी। मैं कार्यवाही से दिखा सकता हूं कि दोनों ओर से एक दूसरे के द्वारा रखी हुई बातों को चैलेंज किया गया है मगर फर्क सिर्फ इतना है कि झूठा नहीं कहा जाता है। जब तक यह साबित न हो जाय कि किसी ने जानबूझ कर असत्य बात कही है तब तक प्रिविलेज का प्रश्न नहीं उठ सकता। मैंने कई बार देखा कि मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में कुछ त्रुटियां हैं। संविधान की धारा २०८ और १९४ (३) के अनुसार हम अपने रूल्स बना सकते हैं ताकि हमारी प्रिविलेजेज डिफाइन हो जावें ताकि आयन्दा ऐसे मामलों पर जिन पर ब्रीच आफ प्रिविलेज का सवाल नहीं उठता है वे समिति के सामने न जा हैं

अगर इस पर आज माननीय गेंदासिंह दंडित होते हैं तो इस तरह की चीज की कोई इन्तहा नहीं रहेगी, क्योंकि यह ब्रीच आफ प्रिविलेज नहीं है, बल्कि ब्रीच आफ़ आर्डर हो सकता है। हर इंसान को कुछ कमजोरियां होती हैं। हम ज्यादा से ज्यादा यह कह सकते हैं कि माननीय गेंदा सिंह जी की यह कमजोरी थी कि जिस व्यक्ति ने उनको सूचना दी उसका उन्होंने इतना अधिक विश्वास कर लिया जितना कि उन्हें नहीं करना चाहिये था।

इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि यह सदन गम्भीरतापूर्वक और ठंडे दिल से इस विषय को सोचेगा, ताकि कोई ऐसी चीज न होने पावे जो भविष्य में हमारे लिये हानिकारक हो।

समाज कल्याण मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---उपाध्यक्ष महोदय, सत्य तो यह है कि मैं स्वयं इस विषय में बोलना नहीं चाहता था कि उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि इस प्रश्न में सचमुच कुछ सिद्धांतों का प्रश्न आ जाता है। मैं ऐसा भी विश्वास करता हूं कि इसमें सदन में कौन किस ओर बैठता है, इसका भी प्रश्न नहीं रहता है, बल्कि इसके सिद्धांत पर बहुत बड़े सिद्धांतों की बात सदन के सामने आती है। लखनऊ नगर के माननीय सदस्य, विरोधी दल के नेता साहब ने कुछ बातें सदन के सामने रखीं और अभी दूसरे माननीय सदस्य ने कुछ बातें रखीं। मेरा खयाल है कि यह स्वीकार करने में इस सदन को एतराज नहीं होना चाहिये कि विरोधी दल के नेता साहब आज के इस विवाद के लिये तैयार नहीं थे और शायद इस संबंध में वह बहुत अधिक देख नहीं पाये कि इस वक्त हमारे सामने कौन सा विवाद है। यही नहीं, उन्होंने कमेटी की रिपोर्ट के कुछ अंश जरूर पढ़ दिये और जैसा कि उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि उनको वे अंश अच्छे नहीं लगे।

मैं इस संबंध में यह निवेदन करूंगा कि इस विषय में यदि कुछ भी इस सदन से हो सकता है या श्रीमन् के द्वारा हो सकता है तो केवल यह हो सकता है तो मैं अत्यन्त नम्रतापूर्वक किन्तु साग्रह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये। मेरा ऐसा विश्वास है कि जो प्रश्न प्रिविलेज कमेटी के सामने माननीय अध्यक्ष ने भेजा था, उसके संबंध में यह स्पष्ट है कि विरोधीदल के नेता साहब को अधिक ज्ञान नहीं है, जितना कि उनसे अपेक्षित था। वह प्रश्न साफ तौर पर यह था–"मैं इस नियम के अनुसार विशेषाधिकार समिति के पास, किसी मामले को जिसमें प्रिविलेज का सवाल उठाया गया हो, कथित खंड के अनुसार जो दोनों ही तरफ से उठ सकता है, भेज सकता हूं। यदि माननीय गेंदासिंह जी यह सिद्ध करने में असमर्थ हो सके कि इसमें गड़बड़ हुई है और रहस्य खुल जाता है तो कमेटी निर्णय करेगी कि किसने विशेषाधिकार की अवहेलना की और दंड भी देने की बात वह बतायेगी, किन्तु यदि वह बात गलत पायी गयी, तो माननीय गेंदासिंह जी के बारे में वह लिखेगी कि उन्होंने जो यहां बार बार कहा है कि उससे सदन का अवमान हुआ है (ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ है) या नहीं हुआ है। और यदि हुआ है तो क्या दंड उचित होगा।"

श्रीमन्, इसके जिस भाग की ओर मैं विशेषरूप से ध्यान दिलाना चाहता हूं कि प्रिविलेज कमेटी के संबंध में इसमें केवल प्रश्न इतना ही था कि माननीय गेंदासिंह जी ने जिस चीज को बार-बार दुहराया था, वह बात सही है या नहीं और यदि सही है तो उसमें सदन के अवमान का प्रश्न उठता है या नहीं। इस विषय में जो भी तर्क उपस्थित किये जा चुके हैं या जो किये जायेंगे उनसे पूर्व मैं यह उचित समझता हूं कि १२ और १३ मार्च को जो कुछ सदन में हुआ, उस पर सदन दुबारा विचार कर ले। मेरे पास १२ मार्च की रिपोर्ट है और १२ मार्च को यहां जो कुछ इस सदन में हो रहा था, उसके कुछ अंशों को इस सदन में पढ़ देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष ने कहा था श्रीमन्, मैं पेज २ से पढ़ रहा हूं, १२ मार्च, १९५८ की कार्यवाही का उद्धरण। विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचना। मैं वह अंश पढ़ रहा हूं जहां से प्रारम्भ होता है, माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा "एक तो इसमें उनका कहना यह है कि १३ तारीख को उत्तर देना चाहिये था, क्योंकि ११ तारीख को वह प्रश्न भेजा जा चुका था उनके पास। तो एक तो मंत्री जी ने नियम को भंग किया है। पहला तो

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

यह आक्षेप वह बताते हैं । ये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न थे। मेरे दफ्तर की रिपोर्ट यह है कि १७ फरवरी को प्रश्न भेजे गये माननीय माल मंत्री के पास और तारीख २१ को हमारे कार्यालय से जवाब देने को दिन मुकर्रर हुआ। उसी रोज जवाब उन्होंने दिया। तो तीन रोज बाद दिया। अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों के संबंध में नियम यह है कि मंत्री चाहें तो उन्हें स्वीकार करें और चाहें तो वे इन्कार भी कर सकते हैं। उन्होंने उसको स्वीकार किया और जवाब दिया। अगर एक रोज देर भी हो जाय तो कोई विशेषाधिकार का प्रश्न उससे उठता नहीं, क्योंकि जिस चीज को वह स्वयं इन्कार भी कर सकते हैं उसका उत्तर एक दिन बाद भी दिया तो प्रश्न नियम भंग करने का उठता नहीं है, और फिर उनका जो दिन मुकर्रर था वह तीसरे रोज नहीं पड़ता था, क्योंकि मंत्रियों के दिन बंधे हुये हैं कि फलां दिन फलां मंत्री के प्रश्न लिये जावेंगे। तो हमारे दफ्तर के पास अगर १७ को प्रश्नों की स्वीकृति प्राप्त हुई तो तारीख २१ को उन्हें लिस्ट कर दिया। इसमें हमारे दफ्तर की थोड़ी बहुत गलती हो सकती है। २० को वह रख देते और मंत्री जी उस दिन उत्तर दे देते तो एक दिन की देरी का प्रश्न न उठता। दूसरी चीज यह है कि अगर यह भी मान लिया जाय कि एक दिन देरी हो गयी मंत्री जी द्वारा तो भी विशेषाधिकार का प्रश्न उसमें नहीं उठता।"

इसके बाद श्रीमन्, माननीय गेंदासिंह जी ने उठ कर कहा कि कितनी देर होने में विशेषाधिकार का प्रश्न उठ सकता है ।

श्रीमन्, एक शब्द "कंट्यूमेशस" आया है जिसके अर्थ के बारे में सदन में सफाई दे देना चाहता हूं । इसका अर्थ है "आब्स्टीनेट" यानी हठी।

श्री त्रिलोकीसिंह---नो, नो।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---मेरे पास डिक्शनरी है और मैं उसका लीगल अर्थ पढ़ देता हूं । कैसेल्स डिक्शनरी में उसका अर्थ दिया हुआ है---परवर्स, आब्स्टिनेट, स्टबर्न, स्टबर्नली, आपोजिंग लाफुल अथारिटी। आक्सफोर्ड डिक्शनरी में उसका अर्थ है इन सबआर्डिनेट, डिसओबिडिएंट ।

तो मैं प्रार्थना करता हूं कि कंट्यूमेशस शब्द कई बार आया तो जो १२ तारीख की कार्यवाही है उसको सामने रख कर यह दिखाना चाहता हूं कि प्रारम्भ में माननीय गेंदासिंह जी ने जो इस सदन के सामने व्यवहार किया वह कंट्यूमेशस था । जब माननीय गेंदासिंह जी ने यह शब्द कहे तो माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा---"जब मैं बोल रहा हूं तो आप बीच में बोल कर विशेषाधिकार की अवहेलना कर रहे हैं ।" यानी माननीय अध्यक्ष महोदय के कहने पर भी माननीय गेंदासिंह जी बोलते ही रहे । फिर गेंदासिंह जी ने कहा---"मेरी मजबूरी है अध्यक्ष महोदय, जब व्यापक तौर पर सारे मिनिस्टर नियमों की अवहेलना कर रहे हैं तो उनके लिये कोई रास्ता आप बता दीजिये ।"

श्रीमन्, इस भाषा पर भी जरा यह सदन गौर कर ले । इसके बाद श्रीमान ने कहा---"इस प्रकार की नियम की अवहेलना नहीं होती उनके द्वारा जिससे विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठ सके ।" इसके बाद फिर माननीय गेंदासिंह जी ने कहा कि मैंने १० तारीख को प्रश्न दिया था । इस पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा---"मेरे पास यह रिपोर्ट है कि १७ तारीख को यह प्रश्न सरकार को भेजा गया और २१ तारीख को जवाब दिया गया । हमारे दफ्तर में ११ तारीख को आया यह बात सही है ।"

फिर उसके बाद श्रीमन्, आप आगे देखेंगे :

"श्री गेंदासिंह---मैंने प्रश्न १० तारीख को दिये थे और १० तारीख से १७ तारीख तक ये प्रश्न कहां पड़े रहे, यह कृपा कर बतला दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--विधान सभा सचिवालय में रहे। मैंने तहकीकात नहीं की है, लेकिन मेरे कमरे में आकर आप पूछ सकते हैं।

श्री गेंदासिंह--तो मैं आप को सूचना दे सकता हूं ?

श्री अध्यक्ष--सूचना देने की जरूरत नहीं है।

श्री गेंदासिंह--मैं आपकी आज्ञा से हाउस को यह सूचना देना चाहता हूं कि मैंने १० तारीख को प्रश्न दिये और ११ तारीख को वे माननीय मिनिस्टर साहब को पहुंच गये....."

तो श्रीमन्, यह चीजें श्री गेंदासिंह की तरफ से तब कहीं गई हैं जब कि अध्यक्ष महोदय कह चुके थे कि प्रश्न मेरे दफ्तर में दिये जाने के बाद १७ तारीख तक रहे और फिर अध्यक्ष महोदय यह भी कह चुके हैं कि किसी सूचना की आवश्यकता नहीं है आप मेरे कमरे में आयें, परन्तु फिर भी वह सदन को सूचना देने की बात कहते हैं। आगे फिर आप देखें :

"श्री अध्यक्ष--वे तो मेरे दफ्तर में रहे। ऐसी सूचना देने से क्या होता है ?

श्री गेंदासिंह--मैं आप से यह चाहता हूं कि अगर मेरी सूचना गलत है तो मेरे ऊपर कार्यवाही की जाय।

श्री अध्यक्ष--आप कार्यवाही चाहते हैं अपनी तरफ से तो कोई सदस्य इस बात को उठा दे कि आप जान बूझकर गलत बात कह रहे हैं और वह अगर सिद्ध हो जाय और मुझे यकीन हो जाय कि आप जानबूझकर गलत बात कह रहे हैं तो कार्यवाही हो सकती है।"

फिर उसके बाद आप आगे देखें :

"श्री अध्यक्ष--वे दोनों चीजें उसमें नहीं हैं।

श्री गेंदासिंह--१० तारीख से १७ तारीख तक ये प्रश्न कहां रहे ? मेरी जानकारी है कि मिनिस्टर साहब के पास रहे। अगर मिनिस्टर साहब के पास रहे तो उन्होंने ब्रीच आफ प्रिविलेज किया।"

श्रीमन्, यह गौर किया जाय कि ऐसा बार-बार, दो तीन, चार बार बराबर कहा जाता है, जब कि पहले अध्यक्ष महोदय कह चुके हैं कि मेरे दफ्तर में प्रश्न १७ तक रहे। आगे देखें :

"श्री अध्यक्ष--आप जानबूझकर कह रहे हैं कि १७ तारीख तक मिनिस्टर साहब के पास रहे जब कि मैं कहता भी जा रहा हूं कि वे १७ तारीख तक मेरे दफ्तर में रहे। लिहाजा मेरे लिये तो लाचारी है। मैं तहकीकात तो कर सकता हूं अगर आप चाहें तो। लेकिन अगर आप अपनी ही बात पर जोर देते हैं और जानबूझ कर ऐसी बात कहते हैं तो कोई माननीय सदस्य इस प्रश्न को उठा सकते हैं कि आप जानबूझ कर एक घटना को दूसरी तरह से पेश कर रहे हैं।"

फिर उसके बाद माननीय शान्तिप्रपन्न शर्मा जी ने प्रिविलेज का प्रश्न उठा दिया।

इस के बाद मैं सदन का ध्यान १३ तारीख की कार्यवाही की तरफ दिलाऊंगा जो पृष्ठ ६ पर है :

"श्री अध्यक्ष--कल जो माननीय गेंदा सिंह जी ने इसी सदन में ही यह कहा था कि १७ तारीख को माल विभाग में प्रश्न नहीं भेजा गया था, बल्कि ११ को उनके पास मौजूद था बार-बार वह यही कहते थे। उनको बता दिया गया कि १७ फरवरी १९५८ को प्रश्न हमारे दफ्तर से भेजे गये लेकिन इस पर भी वह कहते रहे तो मैंने कह दिया कि आप गलत कह रहे हैं। चूंकि उन्होंने यह कहा था कि मेरे खिलाफ कोई कार्यवाही करना चाहें तो करें, इस पर मैंने कहा कि यह तो कोई सदस्य प्रश्न उठा कर कह सकता है। कार्यवाही का कोई प्रश्न नहीं उठता है। भाषण देने में अगर कोई सदस्य यह बात कह जावे कि उनके खिलाफ कार्यवाही सम्भव

[श्री लक्ष्मीरमण आंचार्य]

हो तो की जावे, इस का मतलब यह नहीं है कि उनकी बात को अमल में लाने के लिये इस प्रकार का प्रस्ताव लाया जाय, और वह उठता भी नहीं है जब तक कि जानबूझकर असत्य समझते हुए असत्य बात कही न गयी हो। वह चैलेंज दे रहे थे ...."

आप गौर करें इन शब्दों पर "वह चैलेंज दे रहे थे" आगे है--"मैंने फाइल को देख लिया था और गेंदासिंह जी को भी बाद में फाइल दिखा दी गई और १७ तारीख को ही उपाध्यक्ष महोदय ने स्वयं प्रश्नों को मंजूर किया था और उसके बाद वे मंत्री जी के पास गये थे और उन्हें यह भी लिखा गया था कि किस तारीख को जवाब उन्हें देना चाहिये, और तदनुसार २१ फरवरी, १९५८ को जवाब दिया गया। यह कल की बात का स्पष्टीकरण है, तो इस में कोई सदन के अवमान का प्रश्न उठता नहीं है।"

यहां पर मैं यह कहना चाहता था कि इस प्रकार अध्यक्ष महोदय ने जिस प्रकार का रवैया लिया उसके बाद श्री गेंदासिंह जी ने जो कुछ कहा उस की ओर सदन ध्यान दे। यहां पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि अवमान का प्रश्न नहीं उठता। उस पर भी वह आगे कहते हैं :

"श्री गेंदासिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि राजस्व मंत्री जी और सदन को संतोष हो जाता है यदि आप कृपा करके इस प्रश्न को विशेषाधिकार समिति में भेज दें। मैं समझता हूं कि इसमें कुछ ऐसे रहस्य खुलेंगे, जिनको मैं चाहता हूं कि खुलें, इसलिये मैंने इसका स्वागत किया।"फिर श्रीमन् :

"श्री अध्यक्ष--अब भी आप चार्ज करते हैं कि यह झूठ बात है।

श्री गेंदासिंह--मैं आपसे निवेदन करता हूं।

श्री अध्यक्ष--अच्छी बात है। मैं इसको उठाने के लिये श्री शांतिप्रपन्न शर्मा जी को इजाजत देता हूं।"

फिर मैं श्रीमन् को यहां ले आऊंगा पृष्ठ संख्या १४ पर। मेरा ऐसा खयाल है श्रीमन्, कि सदन इस कार्यवाही के इस अंग पर ध्यान देगा तो समझ सकेगा। उनका यह कहना कि वह किसी दूसरे का यकीन करके कहते हैं कि फाइल मंत्री जी के पास ११ तारीख को पहुंची, यह गलत है। इसमें यह आया है :

"श्री गेंदासिंह--मैं श्रीमन्, अब इस बात को छोड़ देता हूं और केवल इतना कहना चाहता हूं कि मैं इस बात को पहले स्पष्ट कर दूं कि अभी भी हमारा इरादा कुछ व्यक्तियों के सम्बन्ध में नहीं है। हमारी कुछ धारणायें हैं और अगर उस बात को कहें, जिस बात का कि इल्जाम लगा रहे हैं, अगर वह इल्जाम सही भी है, तब भी हमारा मन नहीं कबूल करेगा कि उस आदमी का इसमें कोई कसूर है या कसूर होगा। तो मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यही आपके बारे में हमारी धारणा है। मैं कहता हूं कि हमारे इन प्रश्नों के सम्बन्ध में जो कुछ भी हुआ है, उससे हम इन्कार नहीं करते, हमारी आंखों ने देखा नहीं था, हमारे कानों ने धोखा दिया है और मैं तो ऐसा समझता हूं कि जो कुछ माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने कहा था उस समय, वही मैं आज भी निवेदन करता हूं कि ११ तारीख को विश्वस्त सूत्र से मालूम हुआ, हमारी आंखों ने धोखा नहीं दिया कि ११ तारीख को हमारे प्रश्न माननीय राजस्व मंत्री के यहां भेजे गये और १४ तारीख को शार्ट नोटिस पर जवाब देने के लिये रखे गये, तो मैं केवल यही कहता हूं और उस बार भी मैंने कहा था कि यह ब्रीच आफ प्रिविलेज हाउस का कन्टेम्प्ट है और नियमों का उल्लंघन है।"

श्रीमन्, इसमें जिन शब्दों की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं वे ये हैं, "हमारी आंखों ने धोखा नहीं दिया।" इसके सम्बन्ध में बाद में प्रश्न किये गये और मैं उन्हें सदन के सामने रक्खूंगा। मैं इसमें केवल यहां तक कहूंगा कि अध्यक्ष महोदय ने

बार-बार कहा कि यह फाइल हमारे दफ्तर में १७ तारीख तक रही। यदि मैं उसको गिन दूं तो उन्होंने सदन के सामने माननीय गेंदासिंह जी से छः बार दोहराया। इसके जवाब में बार-बार माननीय गेंदासिंह जी ने कहा कि नहीं, ११ तारीख को यह प्रश्न वहां पहुंच गये। यही नहीं, उन्होंने यहां तक कहा कि हमारी आंखों ने धोखा नहीं दिया कि ११ तारीख को यह प्रश्न माननीय चौधरी साहब को पहुंच गये और १४ तारीख के लिये लिस्ट किये गये। यानी उन्होंने कोई फाइल देखी, कोई कागज देखा, जिसमें यह प्रश्न ११ तारीख को चौधरी साहब को पहुंच गये थे और १४ तारीख के लिये लिस्ट किये गये थे।

श्रीमन्, माननीय गेंदासिंह जी का कथन इस सदन में इस समय यह है कि उन्होंने कोई चीज़ अपनी आंखों से देखी है। आंखों से देखी हुई चीज़ की बिना पर वह सदन के सामने माननीय मंत्री जी के विरुद्ध एक गम्भीर इल्जाम इस प्रकार का लगाते हैं।

श्रीमन्, जैसा मैंने अभी कहा, इसके सम्बन्ध में माननीय गेंदासिंह जी से प्रश्न किये गये जब कि वह आये, और मैं उसका थोड़ा सा हिस्सा आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। २२ अप्रैल की जो कार्यवाही है उसमें पृष्ठ संख्या ६ पर जहां कि यह करीब-करीब शुरू होता है, दो चीजें हैं, श्रीमन्। मैं यह नहीं कहता कि गेंदासिंह जी के पास कोई सूत्र था, बल्कि जैसा मैंने अभी कहा, उन्होंने स्वयं भी कुछ चीजें देखी थीं। और जो कि इस कमेटी के सदस्य वहां उपस्थित थे उनके मस्तिष्क में यह था कि पूछा जाय क्या सूत्र था। मेरे मस्तिष्क में भी यही था कि उनसे यह पूछा जाय कि वह कौन सी चीज़ थी जो उन्होंने देखी थी। तब श्रीमन्, इससे बहुत स्पष्ट हो जाता है कि वह क्या था जिसकी वजह से प्रेरित होकर माननीय गेंदा सिंह जी इस स्थिति में पहुंच सके और वह यह भी कह सके कि उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से देखा। कुमारी कमल कुमारी गोईंदी, जी ने पूछा :

"माननीय गेंदासिंह जी आपने अपने बयान में जो कहा है कि विश्वस्त सूत्र से हमें मालूम हुआ कि ११ तारीख को प्रश्न गये, वह कौन सा विश्वस्त सूत्र है ?" यह मैं ६ मई की कार्यवाही से पढ़ रहा हूं।

"श्री गेंदासिंह---मैं उस सूत्र को बताना नहीं चाहता।"

"सभापति---कमेटी के सामने आपका यह उत्तरदायित्व है कि आप सच को प्रकट करें, उसे छिपाये नहीं। नहीं तो शायद कमेटी इस ओपीनियन पर पहुंचे कि आपने कन्टेम्प्ट आफ दी कमेटी की। जरा इसको भी आप सोचिये।"

इसका उत्तर आया "सोच कर ही कह रहा हूं। वैसे सही बात तक पहुंचने में जो सहायता मैं कमेटी की कर सकूंगा वह करूंगा। जो विश्वस्त सूत्र मैंने कहा है उसको बताने में मैं असमर्थ हूं। इसे मैं फिर दोहरा रहा हूं। एक बात और मैं इस सिलसिले में कह दूं कि कमेटी हमसे ज्यादा रिसोर्सफुल और अधिकारपूर्ण है। मेरा ऐसा विश्वास है कि अगर कमेटी चाहेगी तो वह चीज छिपेगी नहीं।"

बहुत रोचक बात है कमेटी यह पता लगाये कि कौन सी चिड़िया उड़कर आयी और यह बता गई माननीय गेंदासिंह जी को कि ११ से १४ तारीख तक मंत्री जी के पास यह फाइल रही।

फिर उसके बाद: "मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कमेटी कोई चीज इस मामले में बाकी नहीं रखेगी।" मैं इसके आगे का हिस्सा नहीं पढ़ता।

श्री गेंदासिंह---उसमें कुछ ज्यादा क्लू की बात नहीं है। बहुत संक्षेप में मैं आपसे इतना कह सकता हूं कि यह पता मुझे मेरे दफ्तर में ही लगा। और इतना और कह दूं हमारे सामने अगर फाइल न होती तो मुझे विश्वास न होता।"

[श्री लक्ष्मी रमण आचार्य]

मैं फिर जोर देता हूं यह जो हिस्सा है "इतना और कह दूं कि हमारे सामने अगर फाइल न होती तो मुझे विश्वास न होता।" इसके माने यह हैं कि फाइल में कुछ ऐसी चीज थी जिसका आश्रय लेकर बार-बार माननीय गेंदासिंह जी यह कहते हैं कि फाइल में हमें कुछ न मिला होता तो हम ऐसा कभी नहीं कहते। फिर श्रीमन्, जो उसके आगे का पृष्ठ है :

"श्री गेंदासिंह---मुझे यह सारा पता उसी दिन लग गया था।

श्री लालबहादुर सिंह---यह दफ्तर अध्यक्ष महोदय का था या मंत्री महोदय का?

श्री गेंदासिंह---मैं तो असेम्बली वाला दफ्तर कह रहा हूं जो क्वेश्चन डील करता है।

सभापति---अब एक प्रश्न यह उठता है कि दफ्तर तो बतायेगा नहीं। कोई व्यक्ति ही बतायेगा। तो उस व्यक्ति का नाम आप बता सकते हैं?

श्री गेंदासिंह---नाम नहीं बता सकता।"

फिर उसके बाद :

"जिस समय स्पीकर साहब ने आपके सामने स्पष्टीकरण किया तो क्या आप यह नहीं सोच सके कि उस दफ्तर वाले ने आपको गलत सूचना दी थी किन्हीं कारणों से, क्योंकि स्पीकर साहब ने जांच करके ही सूचना दी थी।"

श्रीमन्, फिर मैं जरा नीचे पढ़ता हूं :

मैंने, श्रीमन्, माननीय गेंदासिंह जी से यह कहा था :

"यह कमेटी ऐसा अनुभव करती है कि हम लोग सभी काफी उत्तरदायी व्यक्ति हैं, काफी सम्माननीय व्यक्ति हैं और हम लोगों के दिल में कोई बात नहीं है। अगर हम किसी प्रकार से आपको यह विश्वास दिला सकें कि ११ से १७ तारीख तक यह प्रश्न वहीं रहे तो आप अपने इस प्रश्न को वापस ले लेंगे?" तो उन्होंने उसका उत्तर दिया था कि हां ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा और इसके बाद में कहा---"स्पीकर साहब से यह मालूम होने पर कि ये प्रश्न १७ तारीख को माननीय चरणसिंह जी के यहां भेजे गये मैंने पुनः दफ्तर से वैरीफाइ करने की कोशिश नहीं की।" इसके बाद कार्यकारी सभापति ने उनसे पूछा कि---"फाइल देखने के बाद आपकी राय में कोई परिवर्तन हुआ?" श्री गेंदासिंह जी न कहा "जी नहीं, मैंने फाइल सरसरी तौर पर देख ली थी।"

फिर सभापति जी ने सचिव, विधान सभा से पूछा कि "किस तारीख को आपने फाइल दिखाई थी?" सचिव ने कहा कि "जिस तारीख को असेम्बली में क्वेश्चन हुआ था।" फिर इसके बाद गेंदासिंह जी ने फाइल वहां कमेटी के सामने भी देखी थी और उनसे कहा गया कि आप फिर इस फाइल को देख लें तो गेंदासिंह जी ने यह उत्तर दिया था कि "जहां तक मुझे याद है, वही है।" इसके आगे उन्होंने कहा "यह तो है ही। मैं तो अब भी कहता हूं कि मैं ऐसे फैक्ट्स रख रहा हूं जिसमें किसी खास व्यक्ति के बारे में कोई बात नहीं है।" मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा था कि क्या आपके ज्ञान में यह चीज है कि कोई फाइल क्वेश्चन के सम्बन्ध में मिनिस्टर साहब के पास अलग से नहीं होती। उसका उन्होंने उत्तर दिया कि "मुझे नहीं मालूम"। लेकिन एक बात उन्होंने आगे कही "मैं बहुत तफसील में नहीं गया, लेकिन जितना गया उससे यह मालूम हुआ कि जो कुछ भी रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने हाउस में कहा उससे उल्टी चीजें हैं।" फिर मैंने उनसे पूछा कि "आपने फाइल तो देखी नहीं?" उस पर गेंदासिंह जी ने कहा था "बिल्कुल आंख से देखी थी।" फिर सभापति जी ने उनसे पूछा कि "आपने किस फाइल को देखा?" तो गेंदासिंह जी ने जवाब दिया "जो जवाब देने के लिये उन्होंने फाइल भेजी थी, उस फाइल को भी मैंने देखा।"

फिर इसके बाद सेक्रेटेरियट वाली फाइल श्री गेंदासिंह जी को दिखालायी गयी। सभापति जी ने उनसे पूछा कि "क्या यह वही फाइल है ?" इस पर उन्होंने जवाब दिया "जी हां, यह वही फाइल है।" फिर इसके बाद मैंने उनसे पूछा कि "इसमें आपको क्या देखकर संशय हुआ ?" इसका उत्तर उन्होंने दिया "इसको देखने के बाद पहले तो स्ट्राइक मुझे यह हुआ कि जो कुछ रेवेन्यू सेक्रेटेरी ने लिखा उसको रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने हाउस में नहीं कहा बल्कि उससे भिन्न बात कही।" इसके बाद, श्रीमन्, गेंदासिंह जी ने एक लम्बा बयान दिया। जिसमें उन्होंने कहा कि चूंकि रेवेन्यू मिनिस्टर का रवैया इस प्रकार का रहा है कि वे इस प्रकार के जवाब देते हैं तो इसलिये मुझे यह खयाल हुआ कि उनका यह जवाब ठीक नहीं है। इसपर मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा कि "तीन चीजें आपने कहीं। एक तो यह कि चूंकि आपके ब्रेन में यह बैक ग्राउन्ड थी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ गलतियां होती हैं और चौधरी चरणसिंह जी उनको शील्ड करने की कोशिश करते हैं, इसलिये आपके दिल में यह खयाल था कि बहुत मुमकिन है कि जो इन्फार्मेशन आपको दी गयी है वह सही है और ११ से १४ तक इस क्वेश्चन को डाल रखा है और उसके बाद जवाब हुआ।

दूसरे आप इस निश्चय पर इसलिये भी पहुंचे कि आपने जब इसको देखा तो रेवेन्यू सेक्रेटरी ने जो इन्फार्मेशन मिनिस्टर को दी थी उसके विरुद्ध चरणसिंह जी ने उत्तर दिया। आपका सस्पिशन और मजबूत हो गया।

तीसरी चीज, जो आपने बतायी कि जो आपने स्पेसिफिक पैराग्राफ्स वगैरह बतलाये थे उनके विरोध में इन्फार्मेशन दी गयी थी और जोर यह कहा गया कि उनके मुताबिक रिपोर्ट आयी हैं और नियम के मुताबिक उन पर कार्यवाही हुई हैं यह भी गलत था।" इसका, श्रीमन्, जो उत्तर उन्होंने दिया है वह मेरे खयाल से कदाचित् आज के विवाद का अन्त कर दे। उसके बाद श्री गेदासिंह जी ने यही कहा "उसके बाद जब उन फाइल्स को देखने की नौबत आयी तो कुछ तो दिखलायी नहीं गयी, लेकिन जो दिखायी गयीं उनको देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि नियम के मुताबिक उन पर कार्यवाही नहीं हुई"

फिर मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा कि "इसके अतिरिक्त कोई चीज आपको इस फाइल में ऐसी मिली जिससे आप इस नतीजे पर पहुंचे हों, इन तीनों चीजों के अतिरिक्त कि यह ११ से १४ तक मिनिस्टर साहब के यहां रही" इसका जवाब है "नहीं, इससे तो मुझे यह मालूम नहीं हुआ।" फिर मैंने उनसे पूछा कि "जिस व्यक्ति ने आपको यह इन्फार्मेशन दी थी आपने उससे कहा कि क्या कोई और फाइल है ?" क्योंकि वह पहले कह चुके थे कि "मेरी आंखें मुझे धोखा नहीं दे सकतीं।" तो जाहिर था कि कुछ आंखों से उन्होंने देखा था। इस सम्बन्ध में मैंने बार-बार पूछा कि कुछ और चीज आपने देखी उसका उत्तर दिया "मैं अर्ज कर दूं कि इसके बाद मैंने दफ्तर में जाना ही बन्द कर दिया।" मैंने उनसे फिर पूछा "क्या आपके व्यक्तिगत ज्ञान में कोई और फाइल सम्भव हो सकती है इन दोनों फाइलों के अतिरिक्त, उसका उत्तर दिया और मेरी पूरी जानकारी होती।" तो फिर उनसे पूछा गया आपको जानकारी नहीं है कि इन दोनों फाइलों के अतिरिक्त कोई और फाइल है और इसके अतिरिक्त और कोई सस्पिशन सर्कम्स टैंसेज आपको नहीं मिले तो उसका उन्होंने उत्तर दिया जी नहीं।"

यह सब इसलिये पढ़ रहा था कि अपने मित्रों से मैं यह कह सकूं कि नाराजगी की अवस्था में गेंदासिंह जी के मस्तिष्क में कुछ मनोवैज्ञानिक दिक्कतें रही हैं। चरण सिंह जी जो कि हमारे माल मंत्री हैं उनके प्रति उनके मन में यह रहा है कि वे सही जवाब नहीं देते। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सम्बन्ध में उनको बहुत शिकायतें रही हैं और रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट के सम्बन्ध में वे निरन्तर शिकायतें करते रहे हैं। मैंने उनके सामने जिन चीजों को रख कर पूछा कि इसके अतिरिक्त कोई और चीज है तो उन्होंने स्वीकार किया कि कोई चीज नहीं है।

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

इस विवाद में जिन वाकयात का जिक्र है उनमें से केवल एक ही को लेकर मैं इस विवाद को यहां समाप्त करना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय गेंदा सिंह जी ने जानबूझ कर गलत बातें कहीं। मुझे बहुत दुख है यह कहते हुये और किसी के प्रति यह बात कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन तथ्यों से परे कैसे कोई जायगा। मुझे यदि कहने की आप आज्ञा दें तो कदाचित् अपने क्रोध में, आवेश में ....

एक सदस्य---आवेश का आधार क्या था ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---आवेश का आधार था चौधरी चरणसिंह जी के प्रति उनके मन में जो भावनायें हैं, जो उनको रेवेन्यू डिपार्टमेंट के प्रति शिकायतें हैं, अन्यथा मेरे मित्र जो यहां बोल चुके वे या कोई और सज्जन इस बात का उत्तर देते कि उन्होंने किस आधार पर यह कहा था कि उन्होंने आंख से देखा था। वह कौन-कौन सी चीज थी ? उन्होंने स्वीकार किया कि मैंने कुछ आंख से नहीं देखा, कोई दूसरी पत्रावली नहीं देखी तो फिर आंख से कौन सी चीज देखी जिसकी बिना पर ११ से १४ तक वे प्रश्न माननीय मंत्री जी के कार्यालय में पड़े रहे इस विवाद की भी कड़ी यह थी जिसके द्वारा मैं सदन से कहना चाहता हूं कि यदि माननीय गेंदासिंह जी यहां होते तो वे शायद इसके औचित्य को समझ लेते, क्योंकि मेरा ऐसा विश्वास है कि माननीय गेंदासिंह जी इस सदन के एक अत्यन्त सम्मानित सदस्य हैं, मुझे इसके स्वीकार करने में जरा भी कोई हिचक नहीं है। और यदि वे इसको समझ लते कि वे अपने आवेश में कहां तक पहुंच गये और कहां तक बात उन्होंने कही तो मैं यह ख्याल करता हूं कि शायद यह मसला हल हो जाता।

मेरे लखनऊ के साथी माननीय विरोधी दल के नेता साहब ने जिक्र किया कि कमेटी ने यह बात नहीं पूछी कि यह फाइल ७ दिन तक वहां क्यों पड़ी रही या क्यों रह गयी। मैं मजबूर हूं कहने के लिये कि इसके लिये जो तरीके हैं किसी मसले को देखने के वे केवल उसी की बिना पर हैं जिस बिना पर कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिये, वही तो कमेटी देखेगी। अगर माननीय अध्यक्ष यह आदेश देते, जो वह नहीं दे सकते, ७ दिन तक यह पत्रावली क्यों आपके कार्यालय में पड़ी रही तो कमेटी उसे क्यों देखेगी। इसमें कोई प्रिविलेज का सवाल पैदा नहीं होता। अध्यक्ष महोदय कभी उस प्रश्न को कमेटी के सामने भेज नहीं सकते, न भेजना चाहिये। मैंने शुरू में भी कहा था कि इस सदन में विरोधी दल के नेता साहब ने शायद यह कभी देखा भी नहीं था कि अध्यक्ष महोदय ने किस प्रश्न को वहां भेजा था।

मैं, आपकी आज्ञा से, जरा उस हिस्से को पढ़ना चाहता हूं जिसके जरिये से अध्यक्ष महोदय ने इस प्रश्न को कमेटी के सामने भेजा था और उसमें जिस चीजों का जिक्र किया था एक बहुत लम्बी बहस यहां पर हो गयी है और वह इस विषय में हुई है कि यह जो प्रोसीजर कमेटी ने एडाप्ट किया वह गलत था। मैं अपने मित्रों का बहुत मशकूर होता यदि वे मुझे यह दिखला देते कि प्रोसीजर केवल वही होना चाहिये जो कि फौजदारी के मुकदमें में होता है। कमेटी अपना प्रोसीजर स्वयं तय कर लेती है। कहीं-कहीं पर समन्स का प्रोसीजर भी फालो किया गया है कि जिसमें कोई व्यक्ति अपराधी के समान बुला कर खड़ा किया जाता है। हम लोगों ने उस प्रोसीजर को पसन्द नहीं किया, बल्कि इसके विपरीत यह पसन्द किया कि हमने माननीय गेंदासिंह जी को यह अवसर दिया कि वे अपनी बातें स्पष्ट रूप से कमेटी के सामने रख सकें। यही नहीं, बल्कि हमने उनसे यह भी कहा कि वे जितनी गवाही इस सम्बन्ध में दे सकें उस सब के लिये उनको मौका दिया गया। मेरे माननीय मित्र त्रिलोकीसिंह जी बार-बार कहते रहे कि हमारे पास वह कौन सी सामग्री थी जिसकी बिना पर हम चल रहे हैं। किस सामग्री की आवश्यकता है ? जो हुआ वह इस सदन के सामने हुआ, जो जवाब सवाल हुये वे इस सदन की मौजूदगी में हुये। अध्यक्ष महोदय ने निरन्तर गेंदासिंह जी से ६-७ मर्तबा कहा कि ये सवाल १७ तारीख तक उनके पास रहे, लेकिन इसके बावजूद गेंदा सिंह जी

अपनी हठधर्मी पर चलते रहे । श्रीमन्, मैंने "हठधर्मी" शब्द का प्रयोग उसी सेन्स में किया है जिस सेन्स में "कन्ट्यूमेशस" शब्द का प्रयोग किया गया है और जिसका जिक्र माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने किया । कन्ट्यूमेशस का हिन्दी पर्यायवाची शब्द हठधर्मी है । और जिस हठधर्मी का उन्होंने परिचय दिया उससे सदन का अवमान हुआ ।

जहां तक इस बात का प्रश्न है कि यह सदन का अवमान किस प्रकार से हुआ, इसके लिये जो कुछ अध्यक्ष महोदय ने यहां सदन के सामने कहा मैं उसी का कुछ हिस्सा पढ़ देना ज्यादा मुनासिब समझूंगा । अध्यक्ष महोदय ने जब इस प्रश्न को यहां १३ तारीख को उठाया था तो उन्होंने स्वयं दो चीजों का जिक्र किया था । एक तो यह कि जो कुछ गेंदा सिंह जी ने सदन के सामने कहा यदि वह गलत है तो वह सदन का अवमान है, क्योंकि वह जानबूझ कर गलत कहा गया है । मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य इसमें जरा सा जिसे नैरो लाइन आफ डिमार्केशन कहते हैं उसको समझ लें । श्री अवधेशप्रताप जी बार-बार यह कहते थे कि अगर उन्होंने गलती की तो उन पर दया करिये या इस प्रकार का उनके साथ व्यावहार कीजिये । तो मैं केवल इतना कहना चाहता था और मैं इसके सम्बन्ध में बहुत स्पष्ट हूं कि सदन में गलत बयानी कोई अपराध नहीं है । कोई भी व्यक्ति किसी सम्बन्ध में गलतबयानी कर सकता है, किन्तु यदि वह गलत बयानी जानबूझ कर की गयी हो किन्ही कारणों से, किसी चीज को सामने रख कर, किसी मन्तव्य से तो वह सदन का अवमान है, एक सदस्य का भी अवमान है और यदि एक सदस्य का अवमान है तो वह सदन का अवमान है । मैं इसमें केवल यह कहना चाहता था कि गलतबयानी की गयी, जानबूझ कर की गयी और इस हद तक की गयी कि सदन से यह भी कहा गया कि मेरी आंखे धोखा नहीं देती हैं । स्वीकार किया गया कि हमारी आंखों ने अलावा इस फाइल के और कुछ नहीं देखा । यही नहीं, मुझे यह कहने में यद्यपि संकोच है, लेकिन यदि कहने की बात है तो आप मुझे यह कहने की आज्ञा देंगे कि उनके पास क्या कोई सूत्र थे जिनके जरिये से उनको यह सूचना मिली । जो परिस्थिति इस पत्रावली में है जबकि उनको बार-बार मौका दिया गया कि आप उस सूत्र को बता दीजिये । श्रीमन्, ऐसा सूत्र क्या हो सकता है जब कि फाइल ११ से १७ तक आफिस में मौजूद रही और मैं अध्यक्ष जी को बीच में लाना नहीं चाहता लेकिन आप के हस्ताक्षर से १७ तारीख को आज्ञा हुई कि इसको लिस्ट किया जाय और फिर वह माल मंत्री जी के पास भेजी गई ।

श्रीमन्, मैंने गेंदासिंह जी से यह भी कहा कि आप ऐसी फीजिबिल चीज को भी विचार लीजिये कि आप विरोधी दल के नेता रहे हैं और बहुत से लोग आपकी खुशनूदी लूटा करते हैं और बहुत से लोग कहा करते हैं कि यह सरकार निकम्मी है, कहीं ऐसे लोगों ने तो आपको धोखा नहीं दे दिया । इसका भी उत्तर है कि यह चीज नहीं है । वह सूत्र किसी के सामने नहीं आया । इसका क्या यह उत्तर है कि माननीय गेंदासिंह जी अत्यन्त सम्मानित व्यक्ति हैं । यदि हां तो मैं कहना चाहता हूं कि क्या वह अत्यन्त उत्तरदायी नहीं होने चाहते हैं ? क्या सम्मानित व्यक्ति होने का एकमात्र अर्थ यह है कि आप किसी भी चीज को कभी भी तोड़ मरोड़ कर रख सकते हैं और इसके सम्बन्ध में यहां तक जा सकते हैं कि मेरी आंखों को धोखा नहीं दिया जा सकता है और जब इस चीज की चर्चा की जाती है तो आप छिपाने की चेष्टा करते हैं ।

श्रीमन्, अध्यक्ष महोदय ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है, लेकिन मेरे मित्र नाराज होते हैं और मैं उनकी नाराजगी स्वीकार करता हूं और इसको पढ़ना नहीं चाहता हूं । लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि उन्होंने यह भी कहा कि यह मेरे कार्यालय पर आक्षेप है । कार्यालय के किसी भी व्यक्ति के सम्बन्ध में इस प्रकार की चर्चा या यह चर्चा कि वह पत्रावली ११ तारीख से १४ तारीख तक जानबूझकर भेज दी गई गोपनीय ढंग से, इससे स्पष्ट है कि कार्यालय का कोई आदमी बुरा है या सचिवालय अत्यन्त निकृष्ट है जिसमें वह पत्रावली माल मंत्री जी के पास ११ से १७ तारीख तक रही, दिखाया जाता है तो ऐसा कार्यालय कौन होगा और कौन ऐसा आदमी

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

होगा और अगर कोई ऐसा आदमी है तो उसको नहीं रहना चाहिये। अगर कोई आदमी सचिवालय में बुरा है तो उसको अवश्य दंड मिलना चाहिये। अगर आक्षेप झूठा है तो क्या यह सही नहीं है कि इस प्रकार के आक्षेप, जो कार्यालय में कार्य करते हैं और सदन की सेवा करना उनके कर्त्तव्यों में सम्मिलित है तो क्या वह उनको नहीं रोकेंगे अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में ?

मज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस का अध्याय आरम्भ होता है उसमें इस प्रकार है कि:

"It may be stated generally that any act or omission which obstructs or impedes either House of Parliament in the performance of its functions, or which obstructs or impedes any Member or officer of such House in the discharge of his duty, or which has a tendency directly or indirectly, to produce such results may be treated as a contempt even though there is no precedent of the offence."

हिन्दी में इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी ऐसा आक्षेप जिसके द्वारा कार्य करने वाले लोगों के कार्य में बाधा पड़े और जिसके द्वारा कार्य करने वाले अपने कर्त्तव्य का सुचारु रूप से भविष्य में पालन न कर सकें, वह सदन का अवमान है। श्रीमन्, प्रश्न उठाया गया कि यह सदन का अवमान कैसे हुआ, क्योंकि किसी विशेष आदमी का जिक्र नहीं किया गया। मेरा ख्याल है कि श्रीमन्, इस सम्बन्ध में सभी की राय बहुत स्पष्ट होनी चाहिये। कोई आवश्यक नहीं है कि किसी आदमी का नाम लिया जाय। मैं मेज़ पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस से पढ़कर सुनाता हूं। यह पेज ११७ पर है :

"Reflection upon Members, the particular individuals not being named or otherwise indicated, are equivalent to reflection on the House."

यही नहीं श्रीमन्, और भी आगे यह है पेज १२७ पर :

"Both Houses will treat as breaches of their privileges, not only acts directly tending to obstruct their officers in the execution of their duty, but also any conduct which may tend to deter them from doing their duty in the future."

तो श्रीमन्, मैं यह कह कर केवल यह कहना चाहता हूं कि इसमें बहुत स्पष्ट रूप से सदन के अवमान का प्रश्न पैदा हो गया है। यह निश्चय है कि जानबूझ कर गलत कहा गया। यह निश्चय है कि जिस प्रकार का व्यवहार माननीय गेंदासिंह जी ने किया वह कंट्यूमेशस था। इसमें यह है:

"Any disorderly, contumacious or disrespectful conduct in the presence of either House or any committee thereof, whether by strangers present or by persons attending as parties or witnesses, will constitute a contempt."

मेरे मित्र अवधेशप्रतापसिंह जी इस वक्त हैं नहीं, उन्होंने कुछ हम लोगों की बुद्धि पर तरस खाया उन्होंने कहा पार्टीज एटेंडिंग ऐज विटनेस के सम्बन्ध में है मेम्बर्स के सम्बन्ध में नहीं है। उनको ज्यादा उत्तरदायी होना चाहिये और मेम्बर्स को कम। जो सदस्य हैं यहां पर उनको अधिकार होना चाहिये कि वह कंट्यूमेशस हो सकें, डिसआर्डरली हो सकें, डिसरिस्पेक्टफुल हो सकें क्योंकि यह तो केवल विटनेसेज़ के सम्बन्ध में है। श्रीमन्, मेरे मित्र इस प्रकार की दलील दे सकेंगे। कौन उसको स्वीकार कर सकेगा ? क्या कोई माननीय सदस्य डिसआर्डरली हो सकता है ? कंट्यूमेशस के माने हैं हठ करना, बार-बार जान कर दुहराना। श्रीमन्, मेरी राय में यह निश्चय ही कंट्यूमेशस है और इसके सम्बन्ध में दो राय नहीं हो सकती हैं। मैं दोहराना नहीं चाहता हूं जहां तक कि आपके सचिवालय का प्रश्न है मेरे खयाल से इससे बड़ा आरोप नहीं हो सकता है। यदि किसी सचिवालय के सम्बन्ध में यह कहा जाय कि उसके अधिकारी इतने खराब हैं कि वह किसी भी पत्रावली के सम्बन्ध में इस प्रकार का व्यवहार

कर सकते हैं वह आगे जाकर घातक सिद्ध हो सकती है और अगर इस प्रकार का कोई कार्य किया जाता है तो निश्चय ही वह सदन का अवमान है ।

श्रीमन्, वयोवृद्ध पालीवाल जी ने जिक्र किया और मेरे मित्र लखनऊ के सदस्य विरोधी दल के नेता ने भी इसका जरा-सा जिक्र किया और माननीय अवधेशप्रताप जी ने बहुत जिक्र किया । मैं भी केवल अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त करता हूं । दुर्भाग्य से इस समय माननीय माल मंत्री जी नहीं हैं, लेकिन कदाचित् उनकी भावनाओं का भी मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, जब कि मैं यह कहता हूं कि हम में से किसी की कोई नियत नहीं है कि माननीय गेंदासिंह जी के विरुद्ध कोई बहुत बड़ा कदम उठाया जाय। मैं केवल इतना निवेदन करता हूं कि हम सभी अपने स्थान पर अत्यन्त सम्मानीय हैं और किसी भी व्यक्ति के सम्मान को इससे बड़ी कोई ठेस नहीं हो सकती कि वह जानबूझ कर किसी चीज को गलत कहे । किसी भी व्यक्ति का सम्मान इससे अधिक ऊंचा ही उठ सकता है यदि वह अपनी गलती को स्वीकार कर ले और कहे कि यह गलती है । मेरा खयाल है कि इस प्रकार के व्यक्ति एक नये प्रकार के जीवन का प्रादुर्भाव किया करते हैं और यदि माननीय गेंदासिंह जी हम सभी की इस आवाज को सुन सकें, यह किसी की नीयत नहीं है कि आप उनको कोई दंड दें, या सदन कोई दंड दे, वह इसको स्वीकार करें और अपने सम्मान को ऊंचा करें । उनको मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसको स्वीकार करके न सिर्फ वह अपने सम्मान को ऊंचा करेंगे, बल्कि इस सदन के सम्मान को ऊंचा करेंगे और हम सबके मस्तक को ऊंचा करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्यों से निवेदन करूं कि नियमों में संक्षिप्त शब्द हैं । अब तक पक्ष से और विपक्ष से भी काफी तफसील में बातें कही जा चुकी हैं, लेकिन अब मैं यह चाहता हूं कि कम से कम हर एक दल के नेता और कांग्रेस पार्टी के भी कुछ लोग चाहें तो बोलें, लेकिन जो बातें कही जा चुकी हैं वह दुहरायी न जायं ताकि किसी न किसी रूप में संक्षिप्त शब्द का पालन हो सके ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---श्रीमन्, मैं एक सूचना चाहता था । यह शायद दो दिन फिक्स्ड है माननीय गेंदासिंह जी के प्रश्न के लिये ?

श्री उपाध्यक्ष---कोई समय इस सम्बन्ध में निश्चित नहीं है ।

श्री त्रिलोकीसिंह---मान्यवर, मैं यह निवेदन करूंगा कि नियम जरूर है, लेकिन यह प्रथा है संसदीय, कि जब कभी विशेषाधिकार की समिति किसी सदस्य को या किसी अन्य व्यक्ति को विशेषाधिकार की अवहेलना का अपराधी ठहराती है तो उस पर पूरी बहस होती है । किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं डाली जाती है ताकि जो दंडित किया जा रहा है उसे इस बात का मौका हो और यह कहने की गुंजायश न रह जाय कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ है । तो यह सही है कि नियम है, लेकिन मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि थोड़ा बहुत रिपीटीशन तो आयेगा और उसका कारण यह है कि चार्जेज चार पांच हैं । जो भी भाषण होंगे वह उन्हीं चार्जेज पर होंगे । मेरी राय में मान्यवर, यदि यह आदेश दे दें तो मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को उसका पालन करने में आसानी होगी कि उनका कर्त्तव्य है कि जो चार्जेज कमेटी ने लगाये हैं उन्हीं पर अपनी बहस सीमित करें बजाय इसके कि कमेटी ने जो चार्जेज नहीं लगाये हैं, और मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस से प्रमाणित नहीं किये हैं नये चार्जेज लगायें हैं उनमें जायं इससे उलझन होती है और बहस लम्बी हो जाती है । वैसे जैसा आप निर्णय करेंगे उसके अनुसार ही कार्य होगा ।

श्री उपाध्यक्ष---आपने इस विषय पर चेयर का ध्यान दो दफा दिलाया और चेयर यह महसूस करती है कि किसी को भी दंड देने के पहले बहस पूरी होनी चाहिये । मैंने केवल इस ओर ध्यान आकर्षित किया कि बातें ज्यादातर दुहराई न जायं । दुहराना कुछ अंश में आवश्यक

[श्री उपाध्यक्ष]

हो सकता है, लेकिन ज्यादातर वही बातें न कही जायं ताकि संक्षिप्त वादविवाद भी हो और सब बातें पूरी हो जायं । इस प्रकार का प्रयत्न चेयर की तरफ से हो रहा है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपनी बात कहने से पहले एक बात तो मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि क्या माननीय गेंदासिंह जी को अपनी बात कहने का अवसर दिया जायगा और वह सब कब और कैसे दिया जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष---नियमानुसार सदन जब चाहे तब उनको बुला सकता है । उसके लिये किसी माननीय सदस्य को प्रस्ताव करना पड़ेगा । सदन जिस समय चाहे उनको बुला सकता है किसी भी प्रक्रम पर, यहां तक भी हो सकता है कि सदन उनको चाहे तो पूरी सुविधा दे सकता है कि यहीं बैठकर कार्यवाही भी सुनें ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय मैं अभी माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य जी की बातों को सुन रहा था तो मुझे नावेल पुरस्कार विजेता सर हालकेन के "इटर्नल सिटी" नामक उपन्यास में उन्होंने जो एक बात कही है उसकी एक बात याद आ गई । वह बात यह है कि एवरी वन वीयर्स दि डिफार्मिटीज आफ हिज प्रोफेशन । यानी हर व्यक्ति जिस पेशे को करता है उस पेशे के मुताबिक काम करने की उसकी कुछ आदत-सी पड़ जाती है । माननीय लक्ष्मीरमण जी आचार्य फौजदारी के एक अच्छे वकील हैं । जब मैं उनका भाषण सुन रहा था तो मुझे ऐसा मालूम पड़ रहा था कि मैं किसी फौजदारी की अदालत में बैठा हुआ हूं और सबूत के एक बहुत चतुर वकील की ऐडवोकेसी को सुन रहा हूं । मुझे भी स्वभाव से यह प्रलोभन हुआ कि मैं भी डिफेन्स काउन्सिल की तरह उनकी बातों का जवाब दूं, लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने को उस प्रलोभन से रोकता हूं और मैं इस सदन से जो निवेदन करना चाहता हूं वह कायदे कानूनों और बहस से ऊंचा है । मैं ऐसा मानता हूं कि इस संसार में और मानव समाज में कुछ मूल्य हैं और उनको सनातन मूल्य भी कहा जा सकता है । उदाहरण के लिये सत्य, न्याय और क्षमा और अगर थोड़े में ही मूल्यों का उल्लेख करूं तो संस्थाओं की सम्मति से, कानूनों से, कायदों से कहीं अधिक उसकी उच्चता होती है और उनके सामने अगर हम उनको माने और इन चीजों को उतनी मान्यता न दें तो सब तरह से हमारे लिये अच्छा होता है । मैं बहुत स्पष्ट रूप से यह कह दूं कि यहां जब हम विशेषाधिकार समिति में न्याय करने की बात कहते हैं और इस माननीय सदन में न्याय करने की बात कहते हैं और दंड देने की बात कहते हैं तो मैं यह मानता हूं कि विशेष परिस्थिति में इसके बिना विशेषाधिकार समिति का काम नहीं चलता और सदन का काम नहीं चलता, इसको करना पड़ता है और करना पड़ेगा । मुझे इसमें तनिक भी आपत्ति नहीं है, लेकिन इस बात को सदैव ध्यान में रखना चाहिये कि न्याय शास्त्र के कुछ सिद्धांत हैं और उन सिद्धांतों के अनुसार किसी भी दृष्टि से पूर्ण सदाशयता के साथ, सब प्रकार की सुविधा के साथ कोई भी विशेषाधिकार समिति या कोई भी सदन न्यायालय का स्थान नहीं ले सकता । स्वयं न्यायालयों में भी हम यह देखते हैं, जहां केवल न्याय की दृष्टि से न्याय होता है, जहां न्याय की एक पद्धति नियत है, जाब्ते की पूरी कार्यवाही नियत है और जहां लम्बा अर्सा लगता है---अगर मैं उदाहरण दूं न्याय शास्त्र का जो हमारे सामने मौजूद है---कि गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की, हमारे सामने हत्या की, लेकिन न्याय शास्त्र की मांग के अनुसार जब तक दो वर्ष तक न्यायालय ने उसको दंडी नहीं कहा तब तक उसको दंडित नहीं किया गया । तो न्याय शास्त्र की कुछ मान्यतायें हैं उनका पालन विशेषाधिकार समिति में नहीं हुआ है और इस सदन में भी नहीं हो सकता ।

दूसरी ओर मैं यह भी कह दूं जिससे बात और भी स्पष्ट हो जाय और जिसका उल्लेख माननीय अवधेशप्रताप सिंह जी ने भी किया कि मैंने उस समय जो संशोधन दिया था कि इस पर समिति पुनर्विचार करे, उससे मेरा मन्शा यह था कि हम कायदे कानून और अपमान की बात और प्रतिष्ठा की बात को उतना महत्त्व न दें जितना कि इससे उच्चतर मूल्यों को दें ।

मैं मानता हूं और मुझे कोई शिकायत नहीं है कि सदन ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। मेरा खयाल है कि उसमें मेरी गलती थी। जितनी स्पष्टता के साथ मुझे अपनी प्रार्थना को सदन में करना चाहिये था मैंने उसको उतनी अच्छी तरह से नहीं रखा। इसलिये सम्भव है कि जो निर्णय हुआ वह मेरी ही गलती के कारण हुआ। किसी दूसरे को मैं उसका दोष नहीं देता। इसलिये इस भूल का परिमार्जन करने के लिये मैं कुछ बाते कहना चाहता हूं।

पहली बात यह कहना चाहता हूं कि जिससे वातावरण कुछ भिन्न हो जाय और वह यह है कि मैं विरोधीदल में हूं और विरोधी पक्ष की बात करता हूं, लेकिन मैं यह पहले कह दूं कि अगर मैं गेंदासिंह जी की जगह पर होता और मुझे यह विश्वास होता, आंखों देखा भी, कि माननीय चरणसिंह जी ने जानबूझ कर असत्य कथन किया है तब भी मैं यह आरोप उनके ऊपर न लगाता अपनी नीति के मापदंड के अनुसार और वह इसलिये कि भौतिकवाद की दृष्टि से, भारतीय तथा पाश्चात्य दर्शनों की दृष्टि से सम्भव है और मैं इसको प्रमाणित कर सकता हूं कि आंखों देखा सत्य भी, ऐसी परिस्थतियां होती हैं, जब सत्य नहीं होता, असत्य हो जाता है। परिस्थितियों के कारण जो बातें हम आंखों से देखते हैं, प्रत्यक्ष देखते हैं, क्योंकि हमने एक घटना देखी, उसकी पूर्व परिस्थितियां क्या थीं, क्यों वह घटना घटी, इन सब बातों की जब तक जानकारी न हो तब तक आखों से देख कर मेरी बुद्धि ने आंखों देखी चीज का जो निष्कर्ष निकाला वह परिस्थीतयों के कारण हो सकता है कि सत्य न हो। तो इसलिये चूंकि यह आशंका रहती है कि क्या सत्य है और क्या सत्य नहीं है, इस बात का निर्णय बहुत कठिन है, न्यायालय में भी मत-भेद हुआ करते हैं। अपीलें हुआ करती हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामले जाते हैं, बार-बार फैसले बदलते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाकर भी जजेज में आपस में मत-भेद हुआ करता है। वहां भी निस्संदेह निभ्रान्ति रूप से नहीं कहा जा सकता है कि न्याय हुआ है, चाहे हमें उसकी आलोचना करने का अधिकार न हो, वहां भी निर्दोषों को प्राणदंड मिल जाता है और सचमुच के हत्यारे ६-६ हत्या करने वाले भी टेक्निकल बातों पर या सबूत की कमी के कारण छूट जाया करते हैं। सदन के हर एक सदस्य को इसकी जानकारी होगी। तो जब वह इतना कठिन काम है तब मैं अपने दल की ओर से, विरोधी पक्ष की ओर से कह देना चाहता हूं कि यह कोई मंत्रियों के लिए ही नहीं, हर व्यक्ति के लिए जहां तक व्यक्तिगत आक्षेप की बात है--नीतियों की, कृत्यों की, विश्वासों की आलोचनाओं की दूसरी बात है---बहुत समझ-बूझ कर व्यक्तिगत आक्षेप होना चाहिये और इस बात का मार्जिन देना चाहिए कि कहीं हमारी आखों ने जो देखा है उन्होंने धोखा तो नहीं दिया। आंखों ने धोखा न भी दिया हो, बुद्धि ने तो नहीं दिया है। हिन्दू मनोविज्ञान में--इससे मेरा मतलब हिन्दू-मुसलमान की किसी चीज से नहीं है--हिन्दुओं का एक साइकोलोजी का एक शास्त्र रहा है, उसमें माना जाता है कि जो ज्ञानेन्द्रियां हैं उनमें एक आंख है जो देखती है। वह यह करती है कि एक चीज को देख कर मन को सूचना देती हैं और मन मुन्शी, पेशकार की हैसियत से बुद्धि-रूपी जज के सामने सूचना को पेश करता है। यानी जज के सामने बुद्धी के सामने जब सूचना जाती है तो बुद्धि ने आंखों से नहीं देखा, उसके पास तो मन के द्वारा आंखों से देखी हुई सेकेंड हैंड सूचना पहुंचती है, उसके आधार पर वह गलत निर्णय भी कर सकती है। इसलिये आसानी से हमें यह बात माननी चाहिये। मैंने दारुलशफा वाले मामले के सम्बन्ध में यह कह दिया कि ये बातें सदन में नहीं आनी चाहिये और उसी आधार पर अब भी कहता हूं कि हमें एक दूसरे पर ऐसे आरोप नहीं करने चाहिये। मैं गेंदासिंह जी की जगह पर होता तो चरणसिंह जी के ऊपर आरोप न करता। मैं यह भी साफ-साफ कह दूं, क्योंकि सत्य के पक्ष में बोलने में मुझे भय नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या समझते हैं, वह यह कि साधारणतया चरणसिंह जी में कुछ कमियां हैं और कई अवगुण हैं। मैं उनसे यहां भी शिकायत करता हूं और बाहर भी करता हूं, लेकिन मैं यह मानता हूं कि जानबूझ कर असत्य बोलने का उनके पास कोई कारण इस प्रश्न में नहीं था और जानबूझ कर वह असत्य नहीं बोलते हैं। इतनी बातें कहने के बाद मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं और वह यह कि बिना बहस के, बिना इस विवाद में पड़े हुए अगर मैं मानकर चलूं कि विशेषाधिकार समिति ने जो निर्णय किया है वह १६ हों आने सत्य है, तब भी मैं यह

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

कहूंगा कि उस निर्णय के अनुसार दंड दिलाने में माननीय चरणसिंह जी की कोई बड़ाई नहीं है, कोई लाभ नहीं है, माननीय बेचनराम गुप्त की भी कोई बड़ाई नहीं है, लाभ नहीं है और विशेषाधिकार समिति की भी बड़ाई नहीं है, कोई लाभ नहीं है ।

श्री बेचनराम गुप्त---गलती महसूस तो गेंदासिंह जी कर सकते हैं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---मैंने जैसा कहा कि किसी अपराधी से हम यह कहें कि वह अपनी गलती मंजूर करे वह साधारण कानून की दृष्टिकोण से सही है, लेकिन ऊंचे मूल्यों की दृष्टि से उतना अच्छा नहीं है । जिस पठान ने दक्षिणी अफ्रीका में महात्मा गांधी के छुरा भोंका था उसके लिये महात्मा गांधी ने यह शर्त नहीं लगाई थी कि अगर वह अपनी गल्ती मंजूर कर ले तब उसके ऊपर मुकदमा नहीं चलाया जायगा । तो मैं निवेदन करता हूं कि मैं बहुत ऊंचे मूल्यों की बात कर रहा हूं, उन बातों में नहीं जा रहा हूं कि साधारण नियमों के अनुसार क्या होना चाहिये । मैं तो यह कहता हूं कि अगर गेंदासिंह जी को पूरा विश्वास हो, उनकी आंखों ने देखा हो, उन्हें पूरा विश्वास हो कि चरणसिंह जी ने जानबूझ कर असत्य कहा है तब भी आरोप नहीं लगाना चाहिये, एक ओर मैं यह कहता हूं और दूसरी ओर यह कहता हूं कि हम यह भी मान लें कि गेंदासिंह जी ने सदन का अवमान किया और चरणसिंह जी का अपमान किया तब भी मैं यह कहूंगा कि सदन का और चरणसिंह जी का मान इस बात से कई गुना बढ़ेगा कि वह दंड की मांग न करें और दंड पर जोर न दें ।

यह भी मानी हुई बात है, बहुत विवाद हो चुका है आज तक और यह प्रश्न विवादग्रस्त है कि दंड देने से बुराई अधिक दूर होती है या क्षमा करने से बुराई अधिक दूर होती है । जब मैं क्षमा की बात करता हूं तो सदन भी एक बात जानता है, बेचनराम जी भी जानते हैं और चरणसिंह जी भी जानते हैं कि कोई ऐसा दंड नहीं दिया जा रहा है और न दिया जायगा जिससे गेंदासिंह जी को फांसी हो रही है और उसकी वजह से मैं ऐसा कह रहा हूं बल्कि मैं जो कुछ कह रहा हूं, जैसा मैंने कहा कुछ मूल्यों की महानता को मानकर के और उनकी प्रतिष्ठा के लिये यह प्रार्थना कर रहा हूं । अगर यह स्टैंड लिया जाय कि विशेषाधिकार समिति ने जो निर्णय लिया है उससे सरकारी पक्ष, सदन और चरणसिंह जी के सम्मान की रक्षा होती है तो वह पूरी रक्षा हो जाती है और इसके बाद कोई भी नहीं कह सकता कि उनके ऊपर जो आरोप लगाये गये थे उसके बारे में विशेषाधिकार समिति ने जो कहा वह असत्य था । तो जहां तक उनके सम्मान की रक्षा का सम्बन्ध है वह पूरा हो गया ।

मैं आपसे यह भी कह दूं कि दंड में भी यह होता है कि अपराधी के चरित्र को और सब परिस्थितियों को देखते हुये दंड में न्यूनाधिकता होती है । यह भी होता है कि कुछ लोगों को कानून के मुताबिक दंड देने से वह अपराधी नहीं विद्रोही हो जाते हैं । चन्द्रशेखर आजाद का उदाहरण हमारे सामने मौजूद है । सरकार के कानूनों के मुताबिक उन पर जो जुर्म लगाये गये वह सम्भव है कि कानून के लिहाज से बिल्कुल सही हों, लेकिन जो परिणाम हुये वह आपको मालूम हैं । मुझे मालूम है कि चन्द्रशेखर आजाद की मौत नहीं हुई, ब्रिटिश सरकार की मौत हुई, ऐसा मैं मानता हूं ।

आज यहां पर आप, हम सब ब्रिटिश सरकार की ऐसी गलतियों की वजह से हैं, कोई अपनी बड़ी बातों की वजह से नहीं हैं । इसलिये मैं कहता हूं कि हम देखते हैं कि हमारे सदन में भी वर्तमान सरकार, मंत्रिमंडल, हमारे वर्तमान मुख्य मंत्री जिनके मंत्रिमंडल में चरणसिंह जी भी शामिल हैं, हम, अपराधी, डकैतों, हत्यारों, इन सब के लिये यह मनोवृत्ति रखते हैं कि उनका सुधार किया जाना चाहिये, प्रतिहिंसा की भावना से दंड देने से सुधार नहीं हो सकता । पुरानी पद्धति को हमने बदला है । इसलिये मैं फिर इस बात को दोहरा दूं कि मुझे न कोई डर है चाहे आप दंड भी दें, लेकिन दंड की सही बात यह है कि सम्भव हो सकता है कि दंड देने के बाद हम लोगों में ऐसी प्रवृत्ति आ जाय कि आप दंड देते रहें और हम स्वीकार करते रहें और हममें और आप में यह फुटबौल होती रहे जो अक्सर हो जाती है और जिसको रोकने की हम

कोशिश करते हैं। आपने इतने दंड यहां पर दिये लेकिन क्या आपके उन दंडों के डर से किसी ने अपने उन कामों को छोड़ दिया। इसीलिये मैं कहता हूं कि दंड से यह चीजें नहीं रुक सकतीं। इसलिये कि सदन का वातावरण ठीक हो, प्रदेश की जनता का हित हो, सदन के भीतर पारस्परिक दलों में अधिक अच्छे सम्बन्ध हों, मेरा सुझाव यह है कि माननीय बेचनराम जी गुप्त और माननीय चरणसिंह जी इस बात को मान लें और प्रस्ताव में यहां तक ही शब्दों को रहने दें कि समिति के प्रतिवेदन को स्वीकार किया जाय, बाकी का हिस्सा छोड़ दिया जाय तो काम चल सकता है और यदि वे आगे और भी आवश्यक समझें तो यह और कर दें तथा श्री गेंदासिंह को प्रतिवेदन में उल्लिखित दंड के उल्लेख को ही पर्याप्त समझ कर ही इस प्रश्न को समाप्त करती है। इस तरह से सब बातें पूरी हो जाती हैं। इसको अगर माननीय चरण सिंह जी और माननीय बेचनराम जी गुप्त मान लें तो मेरा खयाल है कि यही उनके लिये अधिक कीर्तिकर होगा। उनके हित में भी, हम लोगों के हित में भी अच्छा होगा और सदन के वातावरण को भी अच्छा करने वाला होगा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए और इन बातों को टेक्निकेलिटीज में न जाते हुए अपराध हुआ है या नहीं, हमें यह मान ही लेना चाहिये। मैंने यह तो मान ही लिया कि अपराध उन्होंने किया। अगर मैं उनकी जगह होता तो कभी भी ऐसा आरोप नहीं लगाता।

दूसरी ओर यह सदन पार्टियों पर आधारित है और इस सदन की सभी समितियां पार्टियों पर आधारित होती हैं। जिस अनुपात में सदस्य यहां इस सदन में होते हैं उसी अनुपात में समितियों में भी होते हैं यानी सदन में जिस पार्टी का बहुमत होता है उसी पार्टी का बहुमत समितियों में भी होता है, लेकिन न्याय शस्त्र में यह माना जाता है कि जज खुद किसी पार्टी का न हो। अगर वह किसी पार्टी से सम्बन्धित होता है तो प्रत्येक जज न्याय शास्त्र के सिद्धान्तानुसार अपनी असंगतता की भावना से उस केस को दूसरे के यहां ट्रान्सफर कर देता है। अगर वह अपने आप नहीं करता है लेकिन अगर विरोधी दल की ओर से उसकी अपील की जाती है तो उसको ट्रान्सफर कर देता है, लेकिन यहां सदन में बहुमत जिस पार्टी का होता है, उसी पार्टी के मिनिस्टर होते हैं, विशेषाधिकार समिति में भी उसी पार्टी का बहुमत होता है। इसके अलावा इस समिति के १० सदस्य हैं जिनमें ३ विरोधीदल के हैं। वास्तव में तो दो ही हैं, क्योंकि उपाध्यक्ष महोदय, उसमें क्योंकि आप विरोधीदल से हैं, इसलिये विरोधीदल का मान लिया गया है। इस प्रकार तीन की संख्या नहीं दो की ही संख्या थी। समिति की ६ बैठकें हुईं जिनमें से केवल एक तीन में उपस्थित रहा, बाकी कोई उपस्थित नहीं रहा। जो सदस्य उपस्थित रहा उसने भी विमति टिप्पणी दी है।

श्री उपाध्यक्ष--क्योंकि उसका सम्बन्ध मेरे कार्यालय से था इसलिये मैंने उसका सभापति होना अस्वीकार कर दिया था।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--आपको अगर देखा जाय तो किसी दल में है ही नहीं। मैंने इस बात को नोट किया है। दो अधिवेशनों में एक मात्र विरोधीदल के सदस्य जब नहीं आये तो सभापति की अनुमति से गेंदासिंह के उपस्थित रहने की बात कही। वह उपस्थित रहे। तो इन सब बातों से मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर शाईलोक के पाउन्ड आफ फ्लेश की तरह से ही दंड देने के लिये उतारू रहेंगे तो डेनियल ने पोर्शिया से जैसा करवाया वैसा हो जायगा, लेकिन वह शाईलोक के लिये किसी प्रकार से भी कीर्तिकर नहीं हुआ। यह तो साहित्य के पढ़ने वाले सब जानते ही हैं। तो इसलिये यह न कह सकें कि न्यायालय से नहीं पार्टी विशेष ने अपने बहुमत के आधार पर अल्पमत के एक व्यक्ति को दण्ड दिया यह बात तो भुला दी जायगी कि साधारणतः वह अपराधी था या नहीं, लेकिन यह याद रहेगी कि पार्टी विशेष के बहुमत ने अल्पमत वाली पार्टी के एक सदस्य को दंडित किया। यह एक चीज ऐसी है इसीलिये ऐसी बहुत-सी बातें हैं जिनको समय की कमी की वजह से नहीं कहना चाहता। जिन सब बातों को केवल औचित्य की दृष्टि से माननीय चरणसिंह जी और माननीय

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

बेचनराम गुप्त जी तथा सदन से प्रार्थना करता हूं कि वे अपने इस प्रस्ताव में जो मैंने दो संशोधन सुझाये हैं, वह संशोधन इसलिये नहीं पेश कर रहा हूं कि मैंने लड़ाई के तौर पर वह संशोधन पेश किये हैं, आपके सामने सुझाव कर रहा हूं, अगर आपकी अन्तरात्मा गवाही दे तो मानें, और मुझसे कहियेगा तो मैं संशोधन पेश कर दूंगा, नहीं मानेंगे तो मैं पेश नहीं करूंगा, आप अपना हित मुझसे ज्यादा जानते हैं। इसलिये या तो यह करिये उसके बाद के शब्द हटा लें या यह कर लें कि उसमें उल्लिखित दंड को ही पर्याप्त समझ कर, आप जानते हैं कि अदालतों में भी सजा मिलती है तो फैसला होने तक जो आदमी अन्डर ट्रायल रहता है, उतनी ही सजा काफी समझी जाती है, इन बातों को समझ कर अगर किया जाय तो मैं समझता हूं ज्यादा अच्छा हो।

*राजस्व मंत्री (श्री चरणसिंह)––उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय पर मेरा बोलने का बिल्कुल विचार नहीं था। यहां तक कि मैंने अभी तक इस रिपोर्ट को पढ़ा नहीं। बहुत सरसरी तौर पर मैंने इसको देखा था जब रिपोर्ट आयी थी तब। अभी तक मैंने इसको पूरी तरह से नहीं पढ़ा, लेकिन जब माननीय श्रीकृष्णदत्त पालीवाल ने यह जिक्र किया कि कुछ मेरे अवमान या अपमान आदि का प्रश्न है और मुझे चाहिये यह कि मैं अपने साथियों को यह मश्विरा दूं कि इस मोशन को प्रेस न किया जाय या माननीय पालीवाल जी ने जो इनफार्मल तरीके से सुझाव दिया है उसको स्वीकार कर लिया जाय तब मैंने सोचा कि मुझको बोलना चाहिये।

दूसरा कारण जिनकी वजह से मैं बोल रहा हूं वह यह मैंने प्रिविलेज कमेटी की कार्यवाही पढ़ी नहीं थी। लेकिन जब माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य जी ने श्री गेंदासिंह जी का यह अंश पढ़कर सुनाया कि माननीय चरणसिंह जी ने अपने सचिव की बात को नहीं माना उनकी फाइल के देखने से मालूम होता था, उस वक्त मैं यह सोच रहा था मुझको वह फाइल मंगानी चाहिये और फाइल पढ़कर सुना देनी चाहिये सदन के सामने। तो मैंने फाइल के लिये अपने दफ्तर वालों से कहा कि सवालों की फाइल को मंगा लो। उपाध्यक्ष महोदय, मालूम यह हुआ कि वह फाइल आपके यहां थी। तो मैंने आपसे दरख्वास्त की तो यह फाइल अभी आयी है तो इन दो कारणों से मैं बोलने के लिये मजबूर हुआ हूं। वर्ना, क्योंकि मेरा नाम इसमें आ रहा था तो इसलिये मैं उससे बिल्कुल बचना चाहता हूं और केवल कार्यवाही सुनने के लिये बैठा हुआ था।

अब मैं बहुत मुख्तसर चार-पांच बातें आपकी इजाजत से सदन के सामने रखना चाहता हूं। पहली बात तो यह कही जाती है, माननीय अवधेशप्रताप सिंह जी मौजूद नहीं हैं, माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने भी शायद यह बात कही थी कि हमको स्पीकर और स्पीकर के आफिस पर कोई संदेह नहीं है। माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने यह फरमाया कि जहां तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है उस पर तो संदेह हुआ ही करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपका ही तो आफिस यह कहता है, आपने स्वयं भी शायद, मुझे पता नहीं, दो रोज यह मामला रहा तो किसी रोज आपने भी प्रोसाइड किया हो, आपने भी यह बतलाया था और खेर साहब ने भी कि आपके ही आफिस से १७ तारीख को आयी फाइल। जो सवाल थे वह १७ तारीख को आपके यहां से ही आये। तो अगर आपके आफिसर पर और आप पर विश्वास है तो फिर सवाल क्या उठता है। फिर गवर्नमेंट पर सन्देह करने न करने, मेरी गलतबयानी करने न करने, मेरे दफ्तर की बात को छिपाने की कोशिश करने की बात का सवाल ही क्या था। अगर स्पीकर के निष्पक्ष होने पर, उनके आफिस के निष्पक्ष होने पर पूर्ण विश्वास है तो प्रश्न उठता ही नहीं, क्योंकि आपके आफिस ने वही बात कही, आपकी फाइल वही बात बताती है जो मेरे डिपार्टमेंट की फाइल बताती है तो यह लाजिम उल्लहक बात हो गयी। अगर आपका आफिस सही कहता है और

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आप ने देखा है कि सवाल १७ तारीख को भेजे गये तो फिर गवर्नमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और मैं निर्दोष हूं। यह नहीं हो सकता कि आपका आफिस निर्दोष हो और आप भी स्वयं, माफ कीजियेगा, मैं उपाध्यक्ष की हैसियत से आपको कह रहा हूं, आपने दस्तखत किया है उस पर १७ तारीख को, तो आप निर्दोष हों और मैं दोषी हो जाऊं। पहली बात तो मुझे यह अर्ज करनी थी।

दूसरी बात यह है कि मैंने माननीय त्रिलोकी सिंह जी से कहा कि आप मेरी फाइल आकर देख सकते हैं। इस पर उन्होंने कहा कि आपकी फाइल तो मैं देख सकता हूं या देख लो, लेकिन गवर्नमेंट्स की जो फाइल हैं वे तो हमारे लिये क्लोज्ड बुक्स हैं, वे तो हम देख ही नहीं पाते। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, उसी रोज १२ बजे के बाद यह सारा सवाल प्रिविलेज वगैरह का उठा तो रिसेस के पहले ही मैंने यह फाइल अपने दफ्तर से मंगायी यह वही फाइल है। और उसी रोज रिसेस के पहले ही मैंने वह फाइल माननीय राजनारायण जी के सुपुर्द कर दी और यह कहा कि इसे माननीय गेंदा सिंह जी को दिखला देना। तो यह फाइल मैंने कोई छिपाई नहीं, जैसा आमतौर से गवर्नमेंट करती नहीं। मैंने तो फाइल अपोजीशन बेंचेज को दे दी थी। इससे ज्यादा कोई सबूत हो सकता है इस गवर्नमेंट के निर्दोष होने का और मेरे इस कथन का कि मेरे पास या मेरे डिपार्टमेंट के पास १७ तारीख को सवाल आये। मैंने अगले रोज फिर फाइल मंगाकर देखी और, उपाध्यक्ष महोदय, महीनों बाद आज मैं इस फाइल को खोल रहा हूं। यह १७ फरवरी, १९५८ को एक प्रिंटेड फार्म पर श्री सहाय नाम के कोई आदमी आपके आफिस में हैं, उनके यहां से यह सवाल हमारे यहां आये। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने फाइल भी देखी नहीं है और मैं तफसील में नहीं जाना चाहता हूं।

तीसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय गेंदासिंह जी ने यह कहा था कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट कोई सही काम नहीं करता है, सवालों के जवाब कभी सही वक्त पर नहीं देता। शार्ट नोटिस क्वेश्चन्स के बारे में खासतौर से मुझे इस तरह का इम्प्रेशन था। खासतौर से पेज ४ पर जो तीसरे पैराग्राफ में है उसे मैं आपकी इजाजत से पढ़ देना चाहता हूं:

"माननीय गेंदा सिंह जी ने माननीय माल मंत्री के ऊपर यह आक्षेप लगाया है कि १० तारीख से लेकर १७ तारीख तक के प्रश्न उन्होंने अपने पास छिपा रखे थे और यह उनका आरोप असत्य साबित हुआ और उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि मंत्री जी ने १० तारीख से १७ तारीख तक उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया और गुमराह किया।" श्री गेंदा सिंह जी ने सदन में यह भी कहा कि 'राजस्व मंत्री जी छाती पर हाथ रख कर मेरी बात का जवाब दें कि कभी भी उन्होंने नियम का पालन किया है'। नियम वही अल्पसूचित तारांकित प्रश्न का तीन दिन में जवाब देने का। उन्होंने कहा कि तीन दिन के अन्दर अल्पसूचित प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिये, परन्तु माननीय माल मंत्री ने एक भी प्रश्न का उत्तर अपने जीवन में तीन दिन के भीतर नहीं दिया है। माननीय गेंदासिंह ने अपनी जवाबदेही में भी माननीय माल मंत्री के ऊपर आक्षेप किया है कि मालगुजारी विभाग सदैव अधिकारियों को और सब जनसेवियों को जिस में विधायक भी शामिल हैं असत्य तथा बढ़ा-चढ़ा कर कहने वाला मानता है। और इसलिये ऐसी ही मति माननीय मंत्री जी की रही है जिसका दुष्परिणाम यह है कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने सदन में जानबूझ कर गलत सूचना दी--इसका अर्थ है कि मैं झूठ बोला, मैंने गलत सूचना जानबूझ कर दी, जिसका आधार उनकी विभागीय सूचना के अनुसार नहीं है। आगे श्री गेंदा सिंह ने कहा कि 'इतना बड़ा उत्तरदायित्व रखने वाले व्यक्ति के लिये यह अत्यन्त अनुचित है'। उन्होंने केवल अपने विभाग संबंधी नियमों की ही अवहेलना नहीं की है बल्कि सदन के नियमों को भी तुड़वाने में वे सफल हो गये जैसा कि उनके प्रश्नों को देखने से परिणाम पर पहुंचा जा सकता है।"

[श्री चरणसिंह]

उपाध्यक्ष महोदय, उन का कहना है कि मैंने शार्ट नोटिस प्रश्नों के जवाब कभी वक्त पर नहीं दिये। मैंने अभी अपने विभाग के सचिव से यह कहा कि साल भर के अन्दर कितने अल्पसूचित तारांकित प्रश्न हुये हैं उनकी तादाद बताओ, कितनों का जवाब देना हम ने स्वीकार किया और कितनों के जवाब समय से दिये जा सके।

*श्री सैयद जरगाम हैदर (जिला बहराइच)--उपाध्यक्ष महोदय, प्वाइंट आफ आर्डर, यह चीज जो मंत्री जी पेश कर रहे हैं यह तो उस कमेटी के सामने लाने की चीज थी। अब तो जो सवाल हमारे सामने है वह यह है कि यह चार्ज सही है या नहीं जो श्री गेंदासिंह पर लगाये जा रहे हैं। मंत्री जी अपनी सवालात की पुरानी मिस्लों से बताना चाहते हैं कि कितने सवाल उन्होंने मंजूर किये, कितनों का जवाब वक्त से दिया लेकिन यह चीज सदन के सामने इस वक्त पेश करने की नहीं है। इस वक्त यहां पर माननीय गेंदासिंह जी नहीं हैं और न कमेटी में ही इस चार्ज को नोट करने का उन्हें मौका मिला . . .

श्री उपाध्यक्ष--क्या उन्हें मौका नहीं मिला कमेटी में ?

श्री सैयद जरगाम हैदर--मेरा मतलब यह है कि यह जो फर्दर एवीडेंस की शकल में माननीय मंत्री जी सफाई दे रहे हैं वह एडीशनल एवीडेंस का अब मौका नहीं है, ऐसा कोई मामला कमेटी में नहीं उठाया गया और न माननीय गेंदा सिंह जी को ही तरदीद का मौका दिया गया . . .

श्री चरणसिंह--मुझे इजाजत है ?

श्री उपाध्यक्ष--जी हां।

श्री चरणसिंह--मेरे मित्र को शायद मालूम नहीं है कि यह बात जो मैं कह रहा था वह मैं पहले ही कमेटी के सामने और श्री गेंदासिंह जी के सामने अर्ज कर चुका हूं। वही फैक्ट्स मैं स्टेट कर रहा हूं। मेरे मित्र ने कहा कि मैं तैयार हो कर आया हूं, मैंने तो इस सिलसिले में पहले ही शुरू में कहा था कि इस विषय में बोलने का मेरा इरादा नहीं था। २० मार्च, सन् १९५८ का नोट मेरे डिपार्टमेंट का है। फरवरी, १९५७ से मार्च, १९५८ तक कितने शार्ट-नोटिस क्वेश्चन हुये ? उप सचिव ने लिखा है सचिव को :

"Sachiv had asked me to collect certain information from the various Departments of Revenue Branch about short-notice questions. The statements received from Departments A, B, C, D and Scarcity are flagged 'A', 'B', 'C', 'D' and 'S'. Seventy-six short-notice questions were received in all since February, 1957. Out of these, 8 were received in Revenue (A), 4 in Revenue (B), 3 in Revenue (C), 12 in Revenue (D) and 49 in Scarcity Department. Out of 76 questions in all, 29 were accepted and replied as short-notice questions. The dates on which these questions were received in the Departments, the date fixed by the Assembly Department for their reply and the date on which these questions were replied have also been indicated in the relevant columns. From a perusal of these statements it will appear that all these questions (accepted for answer) were replied on the dates fixed for them in the Assembly except in the case of one question of Sri Genda Singh which was received on 6th February, 1958 and was fixed for 10th February, 1958, but was replied on 13th February, 1958, as R. M. and R. U. M. were out of station, and the Assembly Department were requested to take this question on 13th February, 1958 by P. A. to R. M. on phone."

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उपाध्यक्ष महोदय, यह पोजीशन है। अब माननीय गेंदासिंह जी कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में किसी सवाल का जवाब वक्त पर दिया नहीं। और उन्होंने कहा है कि मैं विधायकों को भी आफिसरों के मुकाबिले में असत्य मानता हूं। और काम रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कैसा है, उपाध्यक्ष महोदय, उसकी बाबत मैं कुछ नहीं कहना चाहता, वह शोभा नहीं देता। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि क्या विधायकों पर इससे ज्यादा बड़े विश्वास की कोई मिसाल हिन्दुस्तान में दी जा सकती है कि मैंने कंसालीडेशन डिपार्टमेंट के मुताल्लिक अपने इन दोस्तों को नहीं बल्कि जितने हमारे मित्र सामने बैठते हैं उन्हें आफर दिया कि वे स्वयं तहकीकात करें, अगर वे मारेली सरटेन हो जायं, मुझको लिखें कि कंसालीडेशन डिपार्टमेंट में किसी राजकर्मचारी ने भ्रष्टाचार किया है तो मैं उसको अलहदगी का नोटिस दूंगा। इससे ज्यादा माननीय सदन के माननीय सदस्यों पर विश्वास की क्या मिसाल होगी? माननीय गेंदासिंह जी इस डिपार्टमेंट के मुताल्लिक कहते रहते हैं और मैं जवाब देता रहता हूं, उसका तो यह सदन साक्षी है। जो उनका खयाल है मेरे बाबत मैं तो उसका जिक्र कर रहा हूं।

चौथी बात मुझे यह कहनी है, माननीय पालीवाल जी ने कहा कि चरणसिंह जी यह मुनासिब है कि ऐसा करें। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कोई पर्सनल मामला है? मेरा कोई व्यक्तिगत मामला है? उनका भी व्यक्तिगत नहीं है . . .।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--जब मैंने माननीय बेचनराम जी का नाम लिया था, उसका मतलब यह था कि वह विशेषाकिार समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने वाले की हैसियत से समूची समिति का प्रतिनिधित्व करते हैं। अपका नाम लिया, तब इसलिये लिया कि सदन के अवमान के साथ-साथ आपके अवमान का प्रश्न है विशेष रूप से। इसलिये मैंने दोनों पक्षों से अपील की।

श्री चरणसिंह--उपाध्यक्ष महोदय, माननीय पालीवाल जी मुझको माफ करेंगे, अगर मेरी तसल्ली उनके जवाब से नहीं हुई। उन्होंने जब बार-बार मेरा नाम लिया तो उससे तो साफ यह जंचता है कि मेरे ऊपर खास तौर से बात है। माननीय चीफ मिनिस्टर का नाम लेते तो वह बात होती। क्योंकि यह मेरे सवालों के सिलसिले में है और मेरा ही नाम लिया तो बिलकुल साफ मैं ही आ गया, ऐसा मुझे लगा। गैलरी वाले लोग जो हैं, वह शहादत तो नहीं बन सकते लेकिन उनको भी ऐसा ही लगेगा। उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं माननीय पालीवाल जी को यकीन दिलाना चाहता हूं कि इस सदन के माननीय सदस्य होने के नाते, उनको मैं वैसे भी बड़ा मानता रहा हूं और जहां तक मेरा ताल्लुक है वे जो कुछ मुझसे कहलवाना चाहते हैं, जिस ऐटीट्यूड़ के लिये वे मुझसे आशा करें मैं उसके लिये बिलकुल तैयार हूं। मैं इस हाउस के फैसले के बाद माननीय गेंदा सिंह जी के मकान पर भी जाने के लिये तैयार हूं और माफी भी मांगने के लिये तैयार हूं क्योंकि बदकिस्मती से रेवेन्यू डिपार्टमेंट मेरे पास रहा है यही मेरा सबसे बड़ा कसूर है। लेकिन यह पर्सनल सवाल मेरा नहीं है। सबसे बड़ा सवाल स्पीकर साहब के आफिस का है, मेरा तो कांसीक्वेन्शल है। डिप्टी स्पीकर साहब कहते हैं कि उन्होंने १७ तारीख को दस्तखत लिया है। और १७ तारीख को भेजा गया है।

फिर माननीय पालीवाल जी फिलासिफिकल हो गये। ऊंची मान्यताओं की बात और ऊंचे मूल्यों की बातें, यह तो सब बातें ठीक हैं लेकिन जब उपदेश एकतरफा हो जाता है तो उसका कोई असर नहीं होता। माननीय गेंदा सिंह जी कहते हैं कि रहस्योद्घाटन करेंगे और अगर उनके कथन को प्रिविलेजेज कमेटी में न भेजा जाता तो उनकी स्पीच को सुनने वाले पर असर होता और वह कहता कि जरूर कोई जाल किया गया है और जरूर कोई भेद है। वहां रहस्योद्घाटन नहीं किया जाता तो फिर माननीय त्रिलोकी सिंह जी "हिन्दुस्तान टाइम्स" वाली बात पर कहते कि "सोर्स आफ इंफार्मेशन इज सेक्रेड"। वह कैसे इस पर लागू

[श्री चरणसिंह]

होता है ? वह तो कहते हैं कि रहस्योद्घाटन करेंगे और फिर रहस्योद्घाटन करने की हिम्मत नहीं होती। फिर हिन्दुस्तान टाइम्स के एडीटर ने कहा था कि उसके लिये वह पनिशमेंट सहने को तैयार हैं।

श्री गौरीशंकर राय---श्रीमन्, उन्होंने कहा था कि "रहस्योद्घाटन होगा" "करेंगे नहीं" जैसा कि मंत्री को कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था।

श्री चरणसिंह---ठीक है, वही सही, तो क्या उद्घाटन हुआ ? क्या उन्होंने उसके उद्घाटन करने में कोई मदद दी ? तो मैं यह अर्ज कर रहा हूं .... (व्यवधान)

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)---श्रीमन्, मैं अर्ज कर रहा हूं कि बहुत से प्रश्नों के उत्तर में मंत्री जी ने कमेटी में खुद ही सोर्स आफ इंफार्मेशन देने के लिये इंकार किया हुआ है।

श्री चरणसिंह---मैंने दो दिन तक लगातार समझाये जाने के बाद भी इन्कार नहीं किया होगा। स्पीकर साहब के दफ्तर से जो फाइल थी उसके देखने के बाद भी मैंने इसरार नहीं किया था कि रहस्योद्घाटन होगा। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि यह मेरा पर्सनल मामला नहीं है। यह कुल हाउस का मामला है। मुझे इस नकशे से बिलकुल खारिज कर दें। सवाल मेरा नहीं है, सारा सवाल जिन सरकमस्टांसेज में वे आग्रह करते रहे हैं और माननीय लक्ष्मीरमण जी ने जैसा बतलाया, कि माननीय अध्यक्ष के कहने के बाद भी बराबर आग्रह करते रहे। अगर यह मामला है तो फिर क्या तब भी माननीय पालीवाल जी मश्विरा देंगे कि उसको दरगुजर कर दिया जाय और हाउस को उस पर कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिये। अगर इस केस के बाद भी यह कहा जाय कि मान लो मैंने गलती की और मैं अब इस गलती को दोहराऊंगा नहीं तो क्या यह अच्छा प्रेसीडेंस होगा कि कुल हाउस के सामने तो वे कहते रहें और स्पीकर साहब के समझाने के बाद भी दो दिन तक कहते रहें और रहस्योद्घाटन का दावा करें और दावा करने के बाद भी रहस्योद्घाटन नहीं होता और फिर उसके लिये रिग्रेट भी नहीं पेश करते कि मुझसे गलती हुई तो फिर जो आर्ग्यूमेंट माननीय पालीवाल जी रखते हैं वह आर्ग्यूमेंट तो हर केस के लिये हो सकता है और तब "There will be no question of privilege at all being raised or broken at any time" कोई सवाल नहीं रह जाता प्रिविलेज का और यह आर्ग्यूमेंट हर केस के लिये दिया जा सकता है। यह कहा जाय कि हमको इसको बहुत आगे बढ़ाना नहीं चाहिये क्योंकि इससे गवर्नमेंट को नुकसान होगा और इसके लिये चन्द्रशेखर आजाद और ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात कही। कहां चन्द्रशेखर आजाद की बात और ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात और कहां सदन और सदन के सदस्यों के अवमान की बात ? कहां लगी तुक ? बात जो न उठायी जाय और न धरी जाय। ईसा की बात, बुद्ध की बात या साधू की बात कहते, उस साधू की जो बिच्छू को ले लेता था और जब बिच्छू काट खाता है तो साधू उसको फेंक देता है कुछ नहीं कहता, वैसी बात कहते तो ठीक भी होता।

माननीय पालीवाल जी ने फरमाया कि सदन न्यायालय नहीं है। ठीक है, लेकिन गलतबयानी करे और उस पर परसिस्ट करे तो इस हाउस को कोई अधिकार है या नहीं ? फिर डिस्कशन क्या होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय, फ्रीडम आफ एक्सप्रेशन है हाउस में। लिबर्टी आफ स्पीच है, उसकी पहली कंडीशन यह है कि यू विल नाट एक्यूज योर अपोनेंट। उसकी नीयत पर आप हमला नहीं करेंगे भाषण के स्वातंत्र्य के साथ-साथ यह शर्त है....

श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)---मंत्री जी अंग्रेजी ज्यादा बोल जाते हैं।

श्री चरणसिंह—मैं यह कह रहा था कि तकरीर की आजादी का जो उसूल है वह इस बात पर मबनी है कि हम अपने से खिलाफ राय रखने वाले की नीयत को अपनी ही जैसी नीयत का समझें, उसको उतना ही ईमानदार समझें, जितने कि हम हैं। लेकिन जब यहां यह कहा जाय कि नहीं यह बात गलत है और जानबूझ कर आप आग्रह करते रहें तो फिर यह भाषण का स्वातंत्र्य रहेगा कहां? नहीं रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात कहूं कि माननीय पालीवाल जी ने एक ही बात कही कि अगर वे गेंदा सिंह जी की जगह होते तो वे गलती मान लेते। यह बात उन्होंने दो बार कही। बाकी जितनी बात है वह हमको एड्रेस थी। उस फिलसफे में वे कहां-कहां पहुंच गये? यह प्रिविलेज कमेटी जो है इसमें मेजारिटी पार्टी के लोग हैं और एक्यूज्ड जो हैं वह हैं माइनारिटी पार्टी के। लिहाजा इधर के लोग जो बैठे हैं, जिनकी मेजारिटी इस हाउस में है और कमेटी में भी उन्हीं की मेजारिटी थी उनको यह समझ लेना चाहिये कि अगर उन्होंने फैसला इस रिपोर्ट के अनुसार किया और वह फैसला किया जिसको माननीय पालीवाल जी भी मानते हैं कि फैसला गलत नहीं है और वे अगर माननीय गेंदा सिंह जी की जगह होते तो गलती स्वीकार कर लेते तो यह अनुचित होगा। दुनियां यह कहेगी कि मैजारिटी का नाजायज फायदा उठाया।

(इस समय ३ बजकर ५३ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

अध्यक्ष महोदय, अगर इस सिद्धांत को मान लिया जाय तो फिर मतलब यह हुआ कि जितने नान कांग्रेसाइट बेंचेज के सदस्य हैं उनका ब्रीच आफ प्रिविलेज हो ही नहीं सकता। अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि फ्रीडम होने में कोई हर्ज नहीं है लेकिन जब एक तरफ से फ्रीडम हो जायगी तो दूसरी तरफ से भी फ्रीडम हो जायगी। फिर हाउस चलेगा नहीं, फ्रीडम आफ स्पीच नहीं रहेगी। एक तो यह आल्टरनेटिव हो सकता है।

दूसरा आल्टरनेटिव यह हो सकता है कि कांग्रेस बेंचेज के लोग गलती करें अगर उनके खिलाफ प्रिविलेज का नोटिस भेजा जाय तो उसके लिये अलग कमेटी बनाई जाय जिसमें सब कांग्रेसाइट हों और जब उधर के लोगों के खिलाफ ब्रीच आफ प्रिविलेज का मोशन आये तो फिर ऐसी कमेटी बनाई जाय जिसमें उस पार्टी के सदस्य ज्यादा हों। मान लिया जाय कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने गलती की तो प्रिविलेज कमेटी में कम्युनिस्ट पार्टी के मेम्बरान ज्यादा हैं--कांग्रेस वालों के खिलाफ ही नहीं आरोप लगेगा, जनसंघ के खिलाफ भी आरोप लगेगा कि हमारी पार्टी के लोग नहीं थे, जिसके खिलाफ शिकायत थी वह तो कम्युनिस्ट पार्टी का था और मेजारिटी हो गयी जनसंघ की, आई० पी०एल०पी० की, सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की। लिहाजा अगर हम एक बार इस सिद्धांत को मान लेते हैं तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। वह तो इम्प्रैक्टिकेबिल सी चीज है। इसके अलावा क्या हम जो यहां बैठते हैं वह इस दृष्टि से बैठते हैं कि हम किसी पार्टी के हैं? हम तो इस एजम्पशन से बैठते हैं कि हम इस हाउस के मेम्बर हैं और एजम्पशन पर ही चीजें चलती हैं। अगर हम एजम्पशन को छोड़ दें और इस बात को फर्ज कर लें कि इस पार्टी के मेम्बर के खिलाफ जब क्वेश्चन आफ प्रिविलेज आयेगा तो पार्टी की दृष्टि से ही देखेंगे तो क्या मैं यह समझूं कि माननीय पालीवाल जी ने जो उपदेश हमको दिया और माननीय नारायणदत्त तिवारी जी ने जो अपना डिसेंन्टिंग नोट दिया वह केवल इसीलिये कि वे माइनारिटी पार्टी के हैं और क्या मैं यह समझूं कि माननीय पालीवाल जी ने जो जरा धीमे-धीमे यह कहा कि अगर मैं उनकी जगह होता तो गलती मान लेता और चन्द्रशेखर आजाद और महात्मा गांधी तक का जो उपदेश दिया है वह केवल इसलिये कि हम उनकी पार्टी के नहीं हैं। तो जो माइनारिटी और मैजारिटी की बात माननीय पालीवाल जी की जबान से निकली, अध्यक्ष महोदय, वे मुझे माफ करेंगे, मैं उनसे आग्रदब इख्तलाफ करता हूं और मुझे अफसोस भी है कि उनके मुंह से यह बात निकली।

[श्री चरणसिंह]

अध्यक्ष महोदय, आप उस वक्त तशरीफ नहीं रखते थे, मैं फिर दोहराना चाहता हूं। माननीय पालीवाल जी ऐसा समझ लें कि मैं इस हाउस में आया नहीं, मैं तो सिर्फ सुनने के लिये आ गया था, मेरा कोई इरादा उसमें हिस्सा लेने का नहीं था, लेकिन चूंकि सामने बैठा दीख गया इसलिये उनको ऐसा लगने लगा कि मेरी कोई खास दिलचस्पी है। बिलकुल नहीं। मैं तो यह कहता हूं कि अगर ये चीजें होने लगीं और उसकी कोई नोटिस हाउस न ले तो विल इट बी ए गुड प्रिसीडेंट ? वे एक बार माननीय गेंदासिंह जी को और उनके दोस्तों को यह क्यों न समझायें कि एक तो उनको आग्रह करना ही नहीं चाहिये था, आग्रह किया तो प्रिविलेज कमटी में चला गया, उसकी रिपोर्ट आ गयी, तो रिपोर्ट आने के बाद तो अपनी गलती स्वीकार कर लेते। फिलसफा तमाम कह डाला माननीय पालीवाल जी ने लेकिन क्या यह सही नहीं है कि जो आदमी अपनी गलती स्वीकार कर लेता है वह उतना ही बड़ा होता है ? एक तरफ है गेंदासिंह जी का अकेले सवाल और दूसरी तरफ है सदन का सवाल, चरणसिंह का नहीं। यदि किसी व्यक्ति का सवाल है तो स्पीकर और स्पीकर के आफिस का सवाल है। अगर मेरा सवाल किसी तरह से है भी तो वह सेकेन्डरी है।

एक बात यह कही गयी कि सेक्रेटरी ने जो कहा था चरणसिंह जी ने उसके खिलाफ कहा। यह नोट है सेक्रेटरी का कि फाइनल रेलीफ प्रोपोजल्स ४१ जिलों से आ गये हैं, १० से नहीं आये हैं। मैनुअल के नियम १७५ के मुताबिक यह आर्डर कलेक्टर ने बोर्ड वगैरह के पास भेजा है कि "दि मेम्बर वान्ट्स कापीज आफ दि फालोइंग डाक्यूमेंट्स"। मैं देर होने की वजह से छोड़े देता हूं। आखिरी पैराग्राफ यह है सेक्रेटरी के नोट का। मैं यह इसलिये पढ़ रहा हूं कि यह कहा गया कि मिनिस्टर साहब ने, सेक्रेटरी ने जो सुझाव दिये थे उनके खिलाफ जवाब दिया —

"R. M. may kindly intimate whether he would like to give reply to these questions on short notice. In case he refuses to accept the question on short notice it will still be for consideration whether to the question, if tabled on regular notice, it may not be replied that the copies of these reports can be seen in the office and that the time and labour that would be required for preparing the copies of the reports would not be commensurate with the advantage or the information which the member would obtain."

अगर मंत्री जी इस सवाल का ऐज शार्ट नोटिस क्वेश्चन जवाब देना नहीं चाहते हैं तो विचार के लिये वह बात होगी। अगर रेग्युलर नोटिस पर जवाब देना चाहें तो क्या यह जवाब ठीक नहीं होगा कि इसकी कापी दफ्तर में देखी जा सकती है क्योंकि इसके तैयार कराने में बहुत खर्चा होगा और उतना फायदा जनहित को अथवा मेम्बर को नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, यह हमारे डिप्टी सेक्रेटरी के० बी० अग्रवाल साहब का नोट है और उसी पर रेवेन्यू सेक्रेटरी के दस्तखत हैं। मेरा नोट उस पर यह है "ऐज प्रपोज्ड एट ए" यानी आफिस में उसकी कापियां देखी जा सकती हैं। नोट में मुझ से यह पूछा गया कि क्या इसको ऐज शार्ट नोटिस क्वेश्चन लिया जायगा या इसको रिफ्यूज कर दिया जाय क्योंकि इसमें कोई अर्जेन्ट बात नहीं थी, लेकिन मैंने कहा कि ऐज शार्ट नोटिस क्वेश्चन ही जवाब दिया जाय। लेकिन मुझे दुख है कि माननीय गेंदा सिंह जी यहां नहीं हैं .....

श्री अध्यक्ष---अगर सदन चाहे तो मैं उनको बुला सकता हूं।

श्री चरणसिंह---कम से कम मुझे खुशी होगी।

श्री त्रिलोकीसिंह---अध्यक्ष महोदय, जिसके कंडक्ट के खिलाफ इस सदन में चर्चा हो रही हो तो उसको सुनने में तथा दूसरों को कहने में एम्बरेसमेंट होगा। इसलिये यह मुनासिब नहीं है कि हम इस परम्परा को हटायें और उन्हें यहां बुलाया जाय।

श्री चरणसिंह---मैं सिर्फ यह कहना चाहता था कि आचार्य जी ने गेंदासिंह जी का यह बयान पढ़कर सुनाया था कि चरण सिंह ने जो सेक्रेटरी की रिपोर्ट थी या जो उसने मश्विरा दिया था उसको इस सवाल का जवाब देने में नहीं माना। इसलिये और ऐसी ही मति माननीय मंत्री जी की रही है जिसका दुष्परिणाम यह है कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने सदन में जानबूझ कर गलत सूचना दी, जिसका आधार उनकी विभागीय सूचना के अनुसार नहीं है। मैंने बताया कि यह बात गलत है और उनका माइल्ड सजेशन यह था कि शार्ट नोटिस क्वेश्चन इसको न माना जाय तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि शार्ट नोटिस क्वेश्चन के अनुसार ही जवाब दें। मैं इतना ही कहना चाहता था और मेरी कोई इच्छा नहीं है। केवल सदन का सवाल है कि वह अच्छे प्रिसीडेंस कायम करे।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहता हूं और वह यह है कि माननीय चरण सिंह जी ने यह कहा कि मैंने कहा था कि अगर मैं इस तरह का आरोप लगाता तो मैं क्षमा मांग लेता। मैं आपके द्वारा बताना चाहता हूं कि मंत्री जी मेरे भाषण की रिपोर्ट मंगा कर पढ़ लें। ये शब्द नहीं हैं, मैंने केवल यह कहा और जो उन्होंने दुहराया कि मैंने दबे हुए शब्दों में कहा, "मैंने कहा कि अगर मैं उनकी जगह पर होता तो इस तरह के आरोप अपनी आंखों से देखने पर भी न लगाता क्योंकि कभी-कभी आंखों देखी बात भी सत्य से परे हो सकती है। सब से पहली बात मैंने यह कही थी कि इस प्रकार के आरोप नहीं लगाने चाहिये और दारुलशफा का मैंने उदाहरण दिया था। जहां तक क्षमा मांगने का सम्बन्ध था तो मैं बता सकता हूं कि अगर मैंने कोई गलती की हो तो गलती करने के बाद मैं क्षमा न मांगता, दंड स्वीकार करना कर्तव्य समझता। क्षमा मांगने के लिये, आत्मतोष के लिये तैयार हूं लेकिन दंड से बचने के लिये नहीं। जो माननीय चौधरी चरणसिंह ने कहा, मैंने उनको उपदेश दिया, तो मैंने तो प्रार्थना की और उपदेश के सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं इसलिये उपदेश शब्द का प्रयोग नहीं करता, विशेष कर चौधरी चरण सिंह के लिये, क्योंकि कुछ जीव और प्राणी उपदेश के पात्र नहीं होते। चौधरी चरणसिंह जी की हालत परशुराम जी की सी है कि प्रार्थना भी उनको उपदेश मालूम होती है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अनुगृहीत हूं जो इस विषय पर आपने विवाद करने के लिए काफी समय दिया और जैसा नेता विरोधी दल ने चाहा भी था कि इस विषय के विवाद पर कोई समय सीमित न रखा जाय, वह आपने ठीक ही किया। यह विषय जहां तक मैं समझता हूं बहुत महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इस अंश में है कि इसमें कुछ सदस्यों का मौलिक अधिकार निहित है। क्या इस विधान सभा का सदस्य, इस सदन का सदस्य उन अपने मौलिक अधिकारों का उपयोग कर सकता है किस रूप में, किस सीमा के अन्दर, यह इस के साथ ही एक मौलिक सिद्धान्त निहित था और यह अच्छा भी हुआ कि किसी सिद्धान्त की एक कसौटी-सी कसी गयी और किसी एक विषय को लेकर विशेषाधिकार समिति की टिप्पणी, प्रतिवेदन हमारे सामने आयी और आज काफी सदस्य अपनी-अपनी बद्धि के अनुसार अपनी-अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके। मैंने बड़े गौर से नेता विरोधी दल और माननीय पालीवाल जी और सरकार के पक्ष की तरफ से जो विवाद हुआ उस को सुना। मुझको आज जो अपने भाई गेंदासिंह जी की तरफ से बयान है, जो ऐटीच्यूड है और सिद्धान्त है उसको देखकर ऐसा लगा कि मुझे स्वयं अपनी भी बात उन के साथ मिलाकर कहनी चाहिए। माननीय गेंदा सिंह जी ने जो शुरू में ही अपना स्टैन्ड रखा है वह आप देख लें उन्हीं के शब्दों में "मालगुजारी विभाग सदैव अधिकारियों को और सब जन-सेवियों को जिसमें विधायक भी शामिल हैं असत्य तथा बढ़ा-चढ़ा कर कहने वाला मानता है। इसलिए और ऐसी ही मति माननीय मन्त्री जी की रही है जिसका दुष्परिणाम यह है कि माननीय राजस्व मन्त्री जी ने सदन में जान-बूझ कर गलत सूचना दी, जिसका आधार

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

उनकी विभागीय सूचना के अनुसार नहीं है। इतना बड़ा उत्तरदायित्व रखने वाले व्यक्ति के लिए यह अत्यन्त अनुचित है। उन्होंने केवल अपने विभाग सम्बन्धी नियमों की ही अवहेलना नहीं की है बल्कि सदन के नियमों को भी तुड़वाने में वे सफल हो गये"।

श्री गेंदासिंह जी ने कहा "मैं आप से चाहता हूं कि अगर मेरी सूचना गलत है तो मेरे ऊपर कार्यवाही की जाय"। इसके लिए मैं बिना प्रशंसा किये उनकी नहीं रह सकता। ठीक इसी प्रकार के शब्द हमारे एक पूर्व ग्रीक के श्री सेक्रेटीज ने कहे थे कि अगर किसी बात को कहना हमारा धर्म होता है तो हमें कहना चाहिए, अब उसका परिणाम जो कुछ भी हो आप सोचें। उन्होंने ये शब्द किसी न्यायालय में कहे थे।

आप देखें जो हमारे सामने रिपोर्ट है उसमें उनके शब्दों को, कुछ ऐसे रहस्य खुलेंगे जिनको मैं चाहता हूं, खुलें, इसलिए मैंने इसका स्वागत किया। यह शब्द लेकर बहुत बड़ा वितंडावाद खड़ा हुआ। उन्होंने जो कहा है वह आधारभूत था और सचमुच ही उन्होंने अपने प्रयत्नों द्वारा रहस्य खोला है और वह आप के सामने भी आ जायगा। इन्हीं रहस्यों को खोलने के लिए विशेषाधिकार समिति बनायी गयी। स्वयं उस विशेषाधिकार समिति ने तीन इश्यूज निकाले। पहला इश्यू तो यह है कि क्या ये प्रश्न ११, फरवरी, १९५८ को माननीय माल मन्त्री के पास भेजे गये? दूसरा यह है कि यदि यह सही है तो किसने विशेषाधिकार की अवहेलना की और तीसरा यह है कि यदि यह सही नहीं है तो क्या माननीय गेंदासिंह ने अपने कथन से किसी प्रकार की अवहेलना की है अर्थात् उस से सदन का अवमान हुआ है? अब आप देखें कि इन तीनों इश्यूज पर विशेषाधिकार समिति ने जो निर्णय किये हैं वे किस प्रकार हैं? पहले इश्यू में विशेषाधिकार समिति ने यह कहा कि "जो शहादतें हुई हैं उनसे समिति सर्वसम्मति से इस नतीजे पर पहुंची है कि ये प्रश्न पहली बार १७ फरवरी को माननीय माल मन्त्री के पास भेजे गये, न कि ११ फरवरी को जैसा कि माननीय गेंदासिंह ने कहा है और तनकीह, नम्बर १ के निर्णय के रूप में समिति का निर्णय भी यही है"। आगे चलकर उसमें यह कहा है कि---"इस निर्णय के पश्चात् तनकीह नम्बर २ पर किसी निर्णय की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। इस प्रकार समिति के सामने केवल यही प्रश्न रह जाता है कि क्या माननीय गेंदा सिंह जी ने अपने कथन से सदन का अवमान किया है"। तो मैं कहना चाहता हूं यह तनकीह नम्बर (२) सब से जरूरी चीज थी और इस पर ही सारे रहस्य का भंडाफोड़ आधारित है कि यदि यह सही है तो किसने विशेषाधिकार की अवहेलना की। मैं आप के ही शब्दों को दुहराना चाहता हूं। जब आपने यह प्रश्न विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द किया उस समय आप ने ये शब्द कहे थे--- यह पेज नम्बर ६ पर है---"यदि माननीय गेंदासिंह जी यह सिद्ध करने में समर्थ हो सकें कि इस में गड़बड़ हुई है और रहस्य खुल जाता है तो कमेटी निर्णय करेगी कि किसने विशेषाधिकार की अवहेलना की और दण्ड भी देने की बात वह बतायेगी। आपका तात्पर्य यह था कि आप चाहते थे कि विशेषाधिकार समिति जब बैठे तो वह दोनों तरफ की बातें देख ले और बतावे कि विशेषाधिकार की अवहेलना माननीय गेंदासिंह ने की या विपक्ष के लोगों ने की और उसी प्रकार से इश्यूज भी बनाये गये। लेकिन यह हमारी विशेषाधिकार समिति का सौभाग्य है कि वह इन बातों को बहुत ही आसानी से नजरअन्दाज कर गयी। तनकीह नम्बर २ पर कोई व्याख्या ही नहीं दी। एक शब्द भी उसके बारे में नहीं कहा। मालूम होता है कि विशेषाधिकार समिति ने जो आप ने प्रश्न उस के सुपुर्द किया जांच का बिलकुल उसकी अवहेलना कर दी है, उसकी जांच ही नहीं की और उस पर बिलकुल ध्यान ही नहीं दिया। या यों कहें कि उसका इवेजन किया है। अब मैं माननीय गेंदासिंह जी के इस स्टैन्ड की ओर आना चाहता हूं जिसको उन्होंने शुरू से लेकर आखिर तक मेन्टेन किया है और एक ही आधार पर वे आधरित रहे हैं, मैं अपनी निजी बात रखता हूं और अपनी निजी बात के साथ-साथ माननीय गेंदासिंह जी की बात को मिलाकर कहना चाहता हूं। मैं नहीं समझ पाता हूं कि मेरे अन्य साथी कितना उसका समर्थन कर पायेंगे, लेकिन

मैंने यह देखा कि अभी हमारे आचार्य जी ने बहुत लम्बे-लम्बे कोटेशन्स दिये कि उन्होंने जो आरोप किया वह साबित न हो सका, लेकिन उनके साबित न कर सकने कर बात तो माननीय पालीवाल जी ने समझा कर कही कि यह कानूनी चीजे तो कानूनी दृष्टि से देखी जा सकती है। उन्होंने कुछ प्रश्न उठाये।

डिफेंस की तरफ से पालीवाल जी ने कुछ शब्द कहे। लेकिन मैं तो उस कानून की बात को जानता भी नहीं हूं और उसके पक्ष-विपक्ष की बात भी नहीं रख सकता हूं, लेकिन यह कह सकता हूं कि उन्होंने जो स्टैन्ड लिया है उस में क्या भावना है। उसको देखते हुए मैं उनके अन्तिम शब्दों को ही कहूंगा। अभी हमारे सामने वादविवाद हुआ। माननीय माल मन्त्री जी ने यह कहा कि किसी भी रहस्य का वह उद्घाटन नहीं कर सके, किसी प्रकार से वह साबित नहीं कर सके कि ११ फरवरी और १४ फरवरी के बीच में, वह फाइल मेरे पास आयी। लेकिन जब बार-बार उनको क्रास किया गया तो क्रास करने पर उनको कहना पड़ा कि क्वेश्चनों के बारे में क्या प्रोसीजर है, उसकी जानकारी हमें नहीं है। लेकिन मैं माननीय माल मन्त्री जी के स्टैन्ड को ज्यादा स्पष्ट करने की जरूरत नहीं समझता। मैं माननीय गेंदासिंह जी के स्टैन्ड को स्पष्ट करना चाहता हूं। माननीय गेंदासिंह ने पेज ७४ पर स्पष्ट कहा है। उन से यह पूछा गया कि यह तो सन्देह से कुछ ऊपर था? उसका उन्होंने जवाब दिया—"ऊपर की चीज थी और उसको मैं आज भी इन्कार नहीं करता हूं। वह तो मैंने पहले निवेदन कर दिया कि वह शुबहा जो है अब और कन्फर्म हो गया है। बात यह है कि उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ। जिस दफ्तर में यह गया उस दफ्तर का यह कहना नहीं है कि ११ से १४ तक हमारे पास नहीं आया। डिस्पैच रजिस्टर आपने देखा। उस रजिस्टर में सीरियल नम्बर नहीं है और पेज नम्बर भी नहीं है। यह हमने माना कि कोई आदमी बिलकुल ईमानदारी का पुतला है, लेकिन मैं यह कहने का हकदार हूं कि इस तरह के कागजात पर रिलाई नहीं किया जा सकता। न आप ने रेफरेंस क्लर्क को एक्जामिन किया। उस को आपने देखा, गरीब आदमी, हाई स्कूल पास, उसको सारे कानून की, सारी चीजों की जानकारी वह समझते हैं कर लेता है और सारे रेफरेंस को समझकर सारी कार्यवाही की कम्प्लायन्स कर देता है। आप रेफरेंस क्लर्क, स्क्रुटिनी क्लर्क, डिस्पैच वाले साहब को, इन सब को देखने के बाद अगर यह समझते हैं कि मामला सैटिस्फैक्टरी है, सब चीजें ठीक हैं तो आप यह मान लें कि मेरी इत्तिला जो थी वह गलत थी। ये सारी चीजें शुबहे से खाली नहीं हैं और मैं समझता हूं कि उस बात को मान लेने में किसी को दिक्कत नहीं होगी।" लेकिन माननीय गेंदासिंह जी ने जो अन्त में स्टैन्ड लिया है उसमें वह कहते हैं कि "अन्त में सिर्फ इतना ही कह दूं कि ४३१ मेम्बरों में से कुछ मिनिस्टर्स हैं जो चाहते हैं कि सवालों का जवाब ठीक ढंग से न दिया जाय, लेकिन दूसरी तरफ ज्यादातर मेम्बरों का इन्टरेस्ट इसमें है, सारे प्रदेश के लोगों का इन्टरेस्ट इसमें है"। मैं चाहता हूं माननीय माल मन्त्री जी ध्यान से मेरी इस बात को सुन लें। मन्त्री जी ने अपनी फाइल को दिखाकर बतलाया कि आपका स्टैन्ड सही था और आपने जितना कहा वह ईमानदारी से कहा, लेकिन क्या यह माना जा सकता है कि जो उन्होंने फाइल पेश की या उनकी तरफ से जो मुलाजिम पेश हुए, हो सकता है उससे कोई फैक्ट न निकला हो और जो आरोप लगाये गये वह साबित न हो सके, लेकिन जो नीचे के मुलाजिम पेश किये गये क्या उनको यह खयाल नहीं था कि अगर वे इन चीजों को साबित करने में सहायक हुए तो क्या-क्या मुसीबत पैदा हो जायगी। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि इस में क्या-क्या कठिनाई थी।

मैं माननीय माल मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि अन्त में जो गेंदासिंह जी ने आरोप लगाये उनको भी वह ध्यान से सुनने की कृपा करें। उन्होंने अन्त में कह दिया कि "मैं सिर्फ इतना ही कह दूं कि ४३१ मेम्बरों में से कुछ मिनिस्टर्स हैं जो चाहते हैं कि सवालों का जवाब ठीक ढंग से न दिया जाय। लेकिन दूसरी तरफ ज्यादातर मेम्बरों का इन्टरेस्ट इसमें है, सारे प्रदेश का इन्टरेस्ट इसमें है कि प्रश्नों का उत्तर ठीक ढंग से दिया जाय ताकि उनके खिलाफ यदि

[श्री मोती लाल अवस्थी]

कोई रहस्य हो तो उसका उद्घाटन हो सके। ठीक तरह से उत्तर न मिलने की वजह से रहस्यों का उद्घाटन नहीं हो पाता है"। उस रहस्य के उद्घाटन का मतलब यह था कि आप के सारे मिनिस्टरों के खिलाफ और जो आप की मशीनरी है उसके खिलाफ रहस्य का उद्घाटन हो सके। लेकिन आगे जो उनका कहना है वह यही है कि इसमें सारे प्रदेश के लोगों का इन्टरेस्ट है कि प्रश्नों का उत्तर ठीक ढंग से दिया जाय। इस इन्टरेस्ट को देखते हुए जो कुछ गेंदा सिंह जी ने कहा और जो कुछ प्रिविलेज कमेटी ने कहा है उससे कुछ भला ही होगा। उनके ऊपर चाहे जो कुछ हो . . . .

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)---श्रीमन्, मेरा वैधानिक प्रश्न यह है कि अवस्थी जी ने जो कुछ अभी तक कहा है उसको समझने में हम लोग असमर्थ रहे हैं। इसको वह जरा और स्पष्ट करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष---यह आप का वैधानिक प्रश्न नहीं है। आप उनको सुनना चाहते हैं तो सुनिये। वे अब जरा धीरे-धीरे बोलेंगे जिससे आप लोग समझ सकें।

श्री मोतीलाल अवस्थी---श्री गेंदा सिंह जी का जो स्टैन्ड है उसको वह उसी आधार पर स्पष्ट करना चाहते हैं। उसको आप लोग समझने की कोशिश करें। उन्होंने अपने कर्त्तव्य की दृष्टि से इसका पालन किया है। उन्होंने अपने जवाब में दूसरे पैराग्राफ में यह कहा है कि "यह मामला जिस प्रकार उत्पन्न हुआ उसे तो दो वाक्यों में इस प्रकार कहा जा सकता है। एक ओर सर्वशक्ति सम्पन्न एक व्यक्ति जिसे जनता की ओर से शासन करने का अधिकार जनतान्त्रिक आधार पर मिला हुआ है, वह सारे प्रजातान्त्रिक तथा जनहित की भावनाओं का दमन करके जनता के उन न्यायोचित अधिकारों का अपहरण करता जा रहा है जिसकी रक्षा करना उसका कर्त्तव्य है। दूसरी ओर ऐसे लाखों व्यक्तियों के न्यायोचित तथा जिन्दा रखने के लिए कुछ मूलभूत अधिकारों की रक्षा के लिए नित्यप्रति एक जागरूक प्रहरी की भांति चीख पुकार करते रहना है"। उन्होंने अपने स्टैन्ड में जो अन्तिम निष्कर्ष निकाला उसके विषय में यह कहा कि "मैं समिति के सामने यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सदन तथा उसके सदस्यों के कर्त्तव्य पालन के लिए कुछ विशेषाधिकार भी उनको प्राप्त हैं। ऐसे ही अधिकारों में से प्रत्येक सदस्य को प्रति दिन तीन प्रश्न पूछने का साधारण अधिकार नियम के अनुसार प्राप्त है। मेरा कहना यह है कि प्रत्येक मन्त्री महोदय प्रश्न सम्बन्धी नियमों की अवहेलना जान बूझ कर करते चले आ रहे हैं। अनेक बार इस ओर ध्यान दिलाने के बाद भी सरकार सुधारने का मार्ग छोड़कर सदस्यों के इस अधिकार का दमन करने पर तुली हुई है। संसदीय प्रथा में यदि प्रश्नों का कोई स्थान है तो इन नियमों का पालन माननीय मन्त्रियों द्वारा होना चाहिए और माननीय अध्यक्ष को माननीय मन्त्रियों को नियम पालन के लिए बाध्य करना चाहिए जैसा कि सदन के सदस्यों के सम्बन्ध में किया जाता है"। इस के पहले जो मैंने पढ़ कर सुनाया उस से स्पष्ट है कि उन्होंने कहा है कि प्रत्येक मन्त्री नियमों का उल्लंघन जान बूझ कर करते हैं और वह गवर्नमेंट की सारी मशीनरी को कलेक्टिवली लेकर चलते हैं। आपके इश्यूज में भी यह निहित था कि किसने विशेषाधिकार की अवहेलना की। तो उसमें उस पक्ष की यानी, मिनिस्टिर्स और उन की सारी मशीनरी के रवैये की जांच होनी चाहिए थी। अगर उसकी जांच की जाती तो आज यह पता लगता कि क्या यह बात सही है कि मिनिस्टरों की ओर से प्रश्नों के जवाब देने में गलतबयानी की जाती है और अदला-बदली की जाती है या नहीं। लेकिन इसकी जांच करने के लिए नहीं कहा। उसकी क्यों आवश्यकता नहीं समझी गयी? सबसे बड़ा रहस्योद्घाटन इसी आधार पर हो सकता था और यही उसका आधार होना चाहिए था और यही आरोप लगाने का उनका खास मन्शा था।

तो मैं तो यह मानता हूं कि गेंदासिंह जी ने अपने कर्त्तव्य का पालन किया और सरकार के सामने यह चलेंज था कि प्रश्नों का सही उत्तर देने का उसमें साहस नहीं है और उसके

उत्तर केवल फाइलों और उनके मुलाजिमों के बयानों पर ही आधारित रहते हैं, लेकिन यह ग्रान्टेड है, यह स्वीकारोक्ति है कि प्रायः मिनिस्टर लोग प्रश्नों का उत्तर देने में असत्य का भी व्यवहार करते हैं---यह बड़ा रहस्योद्घाटन हुआ है। हम पालीवाल जी का सचमुच ही बड़ा आदर करते हैं, लेकिन उन्होंने जो आज गांधी जी के कुछ वाक्यों का उद्धरण दिया जिस के ऊपर मन्त्री जी को भी कुछ नाराजगी हुई, लेकिन मुझे अपने श्रद्धेय राष्ट्रपिता गांधी जी के और शब्द भी याद हैं। उन्होंने किसी समय, युद्ध के सम्बन्ध में सरकार को जन और सेना की सहायता देने का विरोध करते हुए कहा था कि 'यह हमारी कानशेंशस (conscientious) आबजेक्शन है' और वह केवल अपनी आत्मा के बल पर अपनी बात कहते थे चाहे सारे का सारा जनसमुदाय उनके विरुद्ध हो। अगर उन्होंने यह अपना एक लक्ष्य दिखाया कि जो आक्रमण-कारी हो उस के क्षमा न मांगने पर भी उसे क्षमा दे दें, वहां उन्होंने यह भी कहा कि हम कानशेंशस आबजेक्टर भी हैं और हम तब तक अन्याय के विरुद्ध लड़ेंगे जब तक हमारा यह विश्वास है, चाहे सारा जन समाज हमारा विरोध करे। तो अगर गेंदासिंह जी ने अपनी आत्मा की पुकार के अनुसार यह बात कही कि मन्त्रियों में टाल करने का एक तरीका है, तो कोई बेजा काम नहीं किया। उन्होंने अपने कर्त्तव्य को निभाया है। यह हो सकता है कि उस कर्त्तव्य के निभाने में उनके पास फैक्ट्स और फिगर्स की फाइलें न हों। लेकिन फाइलों की हालत उन्होंने बतायी कि उस में सीरियल नम्बर नहीं है, क्वेश्चन नम्बर नहीं है। फिर क्या यह सम्भव नहीं है कि म्युटिलेशन किया गया हो ? म्युटिलेशन हो सकता है और किया जा सकता है। तो जो उनकी भावनाएं थी, वह यह थीं कि वह चाहते थे कि इस सरकार के सामने इस बात को कह सकें कि हम सदस्य जो अकेले खड़े हैं और जनता के उन प्रश्नों के द्वारा उनकी समस्याओं को सामने रखने का प्रयास करते हैं उनको टालने के लिए मन्त्रियों के पास काफी साधन हैं और वह उनका उपयोग करते रहते हैं। आज इस इन्क्वायरी के द्वारा साबित हो गया कि उन्होंने उन साधनों का उपयोग किया। हो सकता है कि कानून की दृष्टि से गेंदासिंह जी को दोषी पावें लेकिन हम ऐसे दोषों का स्वागत करते हैं और यह हमारे लिए गर्व की बात है।

तो हम तो यही कहेंगे कि इस इन्क्वायरी के द्वारा बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन हुआ है और उसका हम स्वागत करते हैं। गेंदासिंह जी ने अपने कानशेंस के बल पर कहा था कि मन्त्री अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं। अब इसमें माननीय माल मन्त्री जी को बुरा नहीं लगना चाहिये। अगर कोई डेफिनिट प्रूफ नहीं मिल सका तो यह तो अक्सर हुआ ही करता है। कत्ल का मुकदमा भी अक्सर बेनिफिट आफ डाउट में छूट जाता है और अक्सर जो मर्डर नहीं करता उसको सजा हो जाया करती है। इसमें आपको नाखुश नहीं होना चाहिये और यह नहीं कहना चाहिये कि मेरे खिलाफ सबूत नहीं मिल सका बल्कि एक चीज जो है उसको मानना चाहिये।

एक बात और कहकर मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। माल मंत्री जी ने कहा कि आप बहुमत की बात को कहां तक टालेंगे, ठीक है उसको हम टाल नहीं सकते। आप बहुमत में बैठे हैं आप उसको कर सकते हैं, लेकिन आज प्रश्न यह है कि यह एक प्रकार से जस्टिस और न्याय का प्रश्न बन चुका है। आज विधान का प्रश्न नहीं है, कानून या ऐक्ट या बिल की बात नहीं है आपको इस पर अपने मस्तिष्क को निष्पक्ष बनाना पड़ेगा और फैसला करने के लिये न्याय के आधार पर सोचना पड़ेगा। लेकिन उनका मस्तिष्क आज बंधा पड़ा है जिसके कारण न्याय के आधार पर फैसला नही हो सकेगा। इसलिये पालीवाल जी ने जो कहा उसको सुनने के बाद उनको बुरा नहीं लगना चाहिये। आप जो चाहें तय करें, लेकिन हम इस बात को सुनना गवारा नहीं करेंगे कि जो हमने कहा उसमें कोई कमी रह गई या कोई बात असत्य के आधार पर कही। हो सकता है उसका प्रमाण नहीं मिल सका, फैक्ट्स और फीगर्स नहीं मिल सके, लेकिन वह बात तो स्टैण्ड करती है। उसको विदड्रा, वापस नहीं लेते, जिस जगह जो खड़ा है उस जगह से उसको हटना नहीं चाहिये। मंत्रियों का ऐसा रवैया है कि बहुत से प्रश्नों

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

को जबाब देने के लिये वे टाल भी सकते हैं, बदल भी सकते हैं, ऐसी बातें हैं। इसके लिये अलग से इन्वेस्टीगेशन होना चाहिये था और जो इश्यू नम्बर २ है उस पर होना चाहिये था और उसके बाद फैसला होना चाहिये था। विशेषाधिकार समिति ने इश्यू नम्बर १ और ३ पर फैसला किया और नम्बर २ को नेगलेक्ट कर दिया है जो कि बहुत ही आवश्यक था।

आज जो विषय हमारे सामने है उसपर कुछ संशोधन रखकर हमारे पालीवाल जी ने बात कही है। मैं अपनी तरफ से यह कहना चाहता हूं कि जो प्रस्ताव है उसके शुरू के इन शब्दों "श्री गेंदासिंह के २१ फरवरी १९५८ के अल्पसूचित प्रश्न संख्या २५ से २७ तक के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन" के बाद शब्द "पर विचार विमर्ष किया गया और इसे दाखिल दफ्तर किया गया" बढ़ा दिये जायं और उसके बाद आये हुए सब शब्द हटा दिये जायं। मैं चाहता हूं कि सदन इस संशोधन को मंजूर करे।

श्री मदनमोहन (जिला फैजाबाद)---मान्यवर, हमारे मित्र अवस्थी जी जब बोलते हैं तो उनके बोलने के बाद पता नहीं क्यों तबीयत नहीं मानती कि कुछ न कुछ बोलूं। बहुत सी बातें तो श्रीमन्, मेरी गल्ती है मेरी निर्बलता है कि मैं अवस्थी जी की समझ नहीं पाता और जो समझ भी पाता हूं वह ऐसा मालूम होता है कि वह असम्बद्ध हैं। जो बोलते हैं वह विचाराधीन विषय नहीं है। उन्होंने बहुत-सी ऐसी बातें कहीं जैसे मंत्री नालायक हैं, गवर्नमेंट खराब है और कांग्रेस बहुमत के बल से कुकार्य कर रही है। मालूम नहीं श्रीमन्, कि वे पालीवाल जी ने जो इस सदन में भाषण दिया उसका समर्थन कर रहे हैं या जो नेता विरोधी दल, श्री त्रिलोकी सिंह जी बोल हैं उनका समर्थन कर रहे हैं.... या हमारे मित्र अवधेश प्रताप जी ताल्लुकेदार खजुरहट का समर्थन कर रहे हैं। यह ठीक विदित नहीं हुआ। माननीय नेता विरोधी दल ने कहा है कि इस अवमान के संबंध में जो अन्वेषण हुआ है वह प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध और विधिवत् नहीं हुआ है, जो विधान है उसके विरुद्ध हुआ है, इसलिये जो समिति की रिपोर्ट है वह स्वीकार न की जाये। मान्यवर, उनका कहना यह है कि गेंदासिंह जी से यह प्रश्न नहीं करना चाहिये था कि तुम क्या साबित कर सकते हो और क्या नहीं साबित कर सकते हो। आधार उनका यह था, कि जो श्रीमान् ने आदेश दिया था, उसके विपरीत यह क्रम अंगीकार किया गया। समिति द्वारा जो रिपोर्ट छपी है और जो कार्यवाही हुई है उसमें आपका आदेश पृष्ठ १९ पर है। आपके समक्ष दो प्रश्न उपस्थित किये गये थे। एक तो माननीय चरणसिंह ने यह किया था कि गेंदा सिंह जी ने जो कुछ सदन में कहा वह अध्यक्ष के कैरेक्टर पर रिफलेक्शन करता है और चूंकि यह हुआ है इसलिये विशेषाधिकार की अवेहलना हुई और यह मामला एक कमेटी के सुपुर्द होना चाहिये। दूसरा जो उन्होंने आपके सामने प्रश्न रखा था, वह यह था कि क्या इस प्रकार की बातें जो यहां सदन में होती हैं उनसे सदन के सचिवालय को कार्य करने में बाधा पड़ सकती है या नहीं? इस बारे में उन्होंने कहा था कि अगर कोई विशेष माननीय सदस्य, ऐसा कोई कार्य या वक्तव्य इस सदन में देता है, जिससे हमारे अधिकारी वर्ग इस सदन के सचिवालय के अधिकारी वर्ग के कामों में बाधा पड़े, तो वह इस सदन के अधिकारों की अवहेलना का अपराधी होगा। आपने जब आदेश दिया तो आपने पहली बहस जो माननीय चरणसिंह जी की थी, उसे स्वीकार नहीं किया और आपने निश्चय रूप से यह कह दिया कि इससे अध्यक्ष के कैरेक्टर पर आरोप सिद्ध नहीं होता और न मैं इसे मानता हूं।

दूसरी बात, श्रीमन् के आदेश में यह है कि उस प्रश्न की वैधानिकता की बहस में जो बातें श्री गेंदासिंह जी ने कही हैं क्या उनसे ब्रीच आफ प्रिविलेज प्रतीत होता है या नहीं, यह प्रश्न उठा है। जैसी शंका श्री गेंदासिंह जी ने उठाई, यदि विधानसभा के सचिवालय के ऊपर इस तरह की शंका पैदा होती है तो अगर वह सत्य साबित होती है, और वाकई इस प्रकार की घटना हुई हो, तो उसके लिये दो प्रकार से दण्ड दिये जा सकते हैं। और फिर, श्रीमन्, आप कहते हैं कि वे दो दंड ये हैं। या तो आप स्वयं उसे दंडित करें या यह सदन यह निश्चित करे कि उनके संबंध में क्या कार्यवाही की जाय। अतः अन्त में आपने बिलकुल स्पष्ट यह आदेश

दिया है लेकिन बाकी दो बातें इसमें हैं जो प्राग्दर्शन में विशेषाधिकार की अवहेलना कही जा सकती हैं। एक तो यह कि इसको विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न कहा जा सकता है, एक तो हमारे असेम्बली के दफ्तर पर आक्षेप है और दूसरे माल मंत्री जी के दफ्तर पर भी थोड़े बहुत अंश में है। यही दो बातें विशेषाधिकार के संबंध में श्रीमन् ने उस कमेटी के अन्वेषणार्थ भेजीं। मैं माननीय त्रिलोकी सिंह जी का ध्यान आपके आदेश के एक विशेष अंश पर दिलाना चाहता हूं कि वे इस पर पुनः विचार करें। आपने अभी यह कहा कि गेंदासिंह जी को कुछ साबित करना नहीं था, वह कहां तक आपके इस आदेश के अनुरूप है जो कि इस प्रकार था' "यदि माननीय गेंदासिंह जी यह सिद्ध करने में समर्थ हो सकें कि इसमें गड़बड़ी हुई है और रहस्य खुल जाता है तो कमेटी निर्णय करेगी कि किसने विशेषाधिकार की अवहेलना की और दंड भी देने की बात वह बतायेगी, किन्तु यदि वह बात गलत पायी गयी तो माननीय गेंदा सिंह जी के बारे में वह लिखेगी कि उन्होंने जो यहां बार-बार कहा है कि उससे सदन का अवमान हुआ है या नहीं हुआ है और यदि हुआ है तो क्या दंड देना उचित होगा"।

श्रीमन्, आपके इस आदेश देने के उपरान्त या तो माननीय गेंदा सिंह जी समिति के सामने अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए इस बात की मांग करते कि मेरे ऊपर इसका बार सबूत न डाला जाय। उन्होंने यह नहीं किया। जो बयान तहरीरी दाखिल किया ह उसमें जितने भी पैराग्राफ हैं वह करीब-करीब सारे माननीय माल मंत्री जी या अन्य मंत्रियों से संबंधित शिकायतें ही कहा जा सकता है और वह यह कि माननीय मंत्रिगण प्रश्नों का उत्तर नियमानुसार नहीं देते हैं। माननीय माल मंत्री जी के विरुद्ध विशेष रूप से इस प्रकार का आरोप है। अन्त में उन्होंने जो शब्द लिखे हैं वह इस प्रकार से हैं :

"एक विशेष बात जिसे मैंने सदन में भी कहा था मैं फिर उसे दोहरा देना चाहता हूं। मुझे विश्वस्त सूत्र से यह मालूम था कि ११ फरवरी को हमारे प्रश्न राजस्व मंत्री जी के पास भेज दिये गये थे, जहां से वह १४ फरवरी को स्वीकृत हो कर वापिस हुए थे। फिर १७ फरवरी को उपाध्यक्ष महोदय ने २१ फरवरी को उत्तर देने के लिये तिथि निश्चित करके भेज दिया था। यही विवरण स्वाभाविक भी है, क्योंकि प्रक्रिया नियमावली के नियम २३ के तीसरे पैरा के अनुसार किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिये तिथि तब तक निश्चित नहीं की जायगी, जब तक कि सम्बद्ध मंत्री अल्पसूचना पर उत्तर देने की स्वीकृति नहीं दे दे। इस प्रश्न में एक असाधारण प्रक्रिया अपनायी गयी। समय का अनावश्क रूप से अधिक लगना तथा असाधारण प्रक्रिया इस प्रश्न में बरतना मुझे विवश करता है कि मैं उसी सूचना को सत्य मानूं जो मुझे पहले मिली थी। मुझसे यह पूछा जा सकता है कि सूचना के क्या जरिये हैं। मैं आज यह बतलाने से इनकार करने के लिये आप से क्षमा चाहता हूं। मैं २१ फरवरी के बाद और श्री पद्माकर लाल जी द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार के प्रश्न पर निर्णय होने के बीच क्या हुआ, उसे भी मैं कहने में असमर्थ हूं। यदि मैं अपनी सूचना का जरिया बतलाऊं तो वास्तविक अपराधी दंड न पा कर कुछ अन्य लोग दंड पायंगे।"

निश्चय ही इससे दो बातें सिद्ध होती हैं। एक तो यह है कि जिस दिन माननीय गेंदा सिंह जी इस बयान तहरीरी को दे रहे थे उस दिन भी उनका आरोप था कि सचिवालय के कर्मचारी और माननीय माल मंत्री जी के कर्मचारी कुछ गड़बड़ कर रहे हैं।

दूसरी बात वह स्वयं तसलीम करते हैं कि मेरे पास यद्यपि सबूत है किन्तु मैं उसे उपस्थित नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में इसका मतलब यह हुआ कि मैं सबूत देने में असमर्थ हूं। अब श्रीमन्, निश्चय किया जाय, इस सदन में मैं माननीय त्रिलोकीसिंह जी से सहमत हूं कि किसी भी माननीय सदस्य को एक विशेष पार्टी का होने के नाते इस पर पक्षपातपूर्ण अपने विचार प्रकट नहीं करने चाहिये। यह निश्चय है कि इस सदन के विशेषाधिकार का प्रश्न है, तो उसके बारे में निष्पक्ष होकर प्रत्येक व्यक्ति को विचार करना चाहिये। प्रश्न यह उठता है हमारे सामने कि कोई भी माननीय सदस्य इस सदन में खड़ा होकर यह कह सकता है कि ऐसी

[श्री मदनमोहन]

बात हुई और बार-बार उसे दोहरा सकता है, ताकि इस सदन के ऊपर और दुनिया में यह प्रभाव पड़े कि जो कुछ वह व्यक्ति कहता है वह सही है, लेकिन उसके सिद्ध करने में असमर्थ है। तो यह बात दो किस्म के व्यक्ति कह सकते हैं। एक तो जिसके पास सबूत हो और नहीं दे सके, और दूसरा वह, जिसके पास कोई सबूत ही न हो, और वह केवल कपोलकल्पित बात ही कहता रहे।

श्रीमन्, निश्चय ही माननीय गेंदा सिंह जी के लिये मेरे हृदय में आदर है। मैं उनकी बात को मान लेता, यदि आपके मिसल में या माननीय राजस्व मंत्री जी के मिसल में ऐसी बात निकलती जिससे शंका पैदा होती, जिससे यह कहा जा सकता कि ये तथ्य मिसल में मौजूद हैं, जिनकी वजह से शंका और शुबहा उत्पन्न होता है, तो श्रीमन्, कदाचित शंका के आधार पर मैं इस बात के लिये राजी हो जाता कि माननीय गेंदासिंह जी के खिलाफ कोई कार्यवाही न की जाय। । परन्तु जहां पर मिसल स्पष्ट है, और जहां श्रीमन् ने उनको आश्वासन दिया है, और जहां पर माननीय माल मंत्री ने अपनी मिसल पूरी विरोधी दल को दे दी जो बराबर एक दिन तक उनके पास रखी रही, उसके उपरान्त भी हमारे सामने कोई एक सबूत नहीं बताया जाता कि जिससे शंका उत्पन्न हो।

मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम इस बात को फिर मानने के लिये तैयार नहीं हो सकते कि उनको सूचना किसी ऐसे जरिये से मिली, जिसके ऊपर कोई समझदार आदमी भरोसा कर के जिम्मेदारी के साथ इस सदन में खड़ा हो कर एक विशेष व्यक्ति के विरुद्ध या सरकार के विरुद्ध आरोप लगाये। उसके पास कुछ आधार होने चाहिये अन्यथा श्रीमन् इस सदन की सारी कार्यवाही ऐसी हो जायगी जैसे कुंजड़ों का बाजार। मैं समझता हूं कि माननीय त्रिलोकी सिंह तथा इस सदन का कोई भी सदस्य इस बात को नहीं पसन्द करेगा कि हम इस सदन का गौरव और महत्व इतना नीचे गिरा दें जैसा कि कुंजड़ों के बाजार में होता है। अतः मैं समझता हूं कि श्रीमन् का आदेश था और समिति का यही तरीका सही था कि उनसे थोड़ा-सा समय देकर स्पष्टीकरण कराकर कहती कि इसको वह साबित करें।

एक बात, श्रीमन्, फ्रीडम आफ स्पीच के बारे में भी कही गयी। उसके ऊपर मैं इस समय अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। जिस वक्त माननीय चरणसिंह जी ने अपने विचार श्रीमन् के सामने रखे थे, पूर्व इसके कि आप आदेश देते कि विशेषाधिकार समिति के सामने यह मामला जाय या न जाय, उसी समय उन्होंने भिन्न पुस्तकों से सदन के सामने कुछ उद्धरण रखे कि जहां पर पार्लियामेंट में ऐसे संबंधों में विचार किया, और ऐसे अवसरों पर विशेषाधिकार की अवहेलना के संबंध में उन्होंने निश्चय किया कि इस तरह का क्रम, इस प्रकार का वक्तव्य, इस प्रकार की भाषा अशोभनीय है और विशेषाधिकार की अवहेलना के अन्तर्गत आती है। यह वाक् स्वातन्त्र का प्रश्न ही नहीं उठता कि जहां सदन में खड़े होकर, हम एक ऐसी बात कहें कि जिससे हमार सदन क कार्य में बाधा पड़ और जिससे हम विवश होकर तीन-तीन दिन ऐसे मामलों पर विचार करें। जिस बात को सुनकर हमारा कर्मचारी वर्ग, जो हमारे कार्य को संचालित करता है, जिसके द्वारा हम अपना काम चलाते हैं, उसके ऊपर हम आरोप लगा के उलझन में पड़ें और सिद्ध न होने पर कहें कि आरोप लगाने से बाधा नहीं पड़ती, यह फ्रीडम आफ स्पीच नहीं है, इसको लाइसेन्स कहना चाहिये। वह तो एक सभ्यता के बाहर निकल कर, जो समाज का एक तरीका है उससे बाहर निकल कर, जाना है। ऐसी बात सदन में स्वीकार नहीं की जा सकती और न बर्दाश्त ही की जा सकती है।

अन्त में, मैं माननीय पालीवाल जी, जिनकी सभी बातों का इस सदन में आदर होता है, उनके प्रस्ताव के संबंध में निवेदन करूं। वह यह कहते हैं कि हमें कोई ऐसा तरीका अख्तियार

करना चाहिये कि जिससे यह निश्चय न हो कि हम माननीय गेंदासिह की भर्त्सना करते हैं। अगर यह मामला हमारे और श्री गेंदा सिंह जी के बीच का होता, या सदन के और माननीय गेंदासिह जी के बीच का सवाल होता, तो मैं माननीय पालीवाल जी से कदाचित् सहमत होता, लेकिन मुझे दुख: इस बात का है कि अब इस सदन को अधिकार नहीं है कि वह किसी प्रकार से दंड के संबंध में यह विचार करे कि हम उनको छोड़ दें या उनकी भर्त्सना न की जाय, इसलिये कि आज का यह प्रश्न हमारे सचिवालय के कर्मचारियों और माननीय गेंदासिह के बीच का है। हम कौन होते हैं, मंत्री जी को क्या अधिकार है कि हम उन कर्मचारीवर्ग की तरफ से या उन कर्मचारियों को विवश करके यह कहें कि यद्यपि आरोप सिद्ध है, लेकिन भर्त्सना की आवश्यकता नहीं है? मेरा निवेदन है कि हम विवश हैं इस विषय में मैं समझता हूं, मैं केवल अपने बारे में कहता हूं, कि जो दंड भर्त्सना का समिति ने तजवीजा है उससे कम हम और क्या सोच सकते हैं? उनसे केवल इतना ही तो कहना है कि यह सदन आशा करता है कि वह या इस सदन के सदस्यगण जो कार्य भी करें वह इस प्रकार का न करें कि जिससे हमारे काम में बाधा पड़े। केवल एडमानिशन है और इससे कम सजा और क्या प्रोपोज की जा सकती थी? मैं अधिक न कहकर फिर माननीय अवस्थी जी को धन्यवाद देता हूं कि आखिर में वह फिर बोलें, जब वह मुझे सुनते हैं तो बोलना चाहते हैं।

*श्री सैयद जरगाम हैदर---श्रीमन्, जो सवाल कि इस वक्त ऐवान के सामने जेरबहस है उसकी बड़ी अहमियत है, इसलिये कि इस पर बहस करते वक्त जहां हमें यहां के हकूक का सवाल देखना है वहां हमें यह भी देखना है कि यहां के मेम्बरान के क्या अधिकार हैं और उनके हकूक की हिफाजत ठीक से हो रही है या नहीं। अपने हकूक की बिना पर मेम्बरान कुछ सवालात सदन में पूछते हैं और नियम के अनुसार जितने दिन में उनको जबाब मिलना चाहिये अगर वह नहीं मिलता है तो फिर वह क्या कर सकते हैं, इस रुख से भी इस मामले को देखना है। यहां इससे पहले इस बात की चर्चा की गई और आखीर में हमारे फैजाबाद के जो सदस्य हैं उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो सजा माननीय गेंदा सिंह जी को तजबीज की गयी है वह बहुत कम है।

मैं माननीय गेंदा सिंह जी की तरफ से और अपनी पार्टी की ओर से यह बात साफ तौर पर कह दना चाहता हूं कि गदासिंह जी इस बात को हरगिज़ नहीं चाहते हैं कि अगर यह सदन समझता है कि उन्होंने गलती की तो रहम किया जाय। यह न माननीय गेंदासिंह जी चाहते हैं और न पार्टी चाहती है। माननीय गेंदासिंह जी ने अगर यह सवाल सदन के सामने उठाया तो कोई वजह थी। बात यह थी कि आए दिन वह देखते थे कि मेम्बरों को जो इस बात का हक है कि शार्ट नोटिस क्वेश्चन दें और तीन दिन के अन्दर जवाब मिले, वह जवाब उन्हें नहीं मिलता है, चुनांचे उन्होंने इसी बिना पर मंत्री जी से यह बात कही कि क्या एक भी ऐसी मिसाल दे सकते हैं कि तीन दिन के अन्दर उन्होंने जबाब दिया हो? मंत्री जी ने इस बात का तजकिरा किया कि जितने सवाल पूछे गये उनमें से २९ का जवाब वक्त पर दे दिया। माननीय मंत्री जी अगर इन सवालों को देखें तो ज्यादातर सवालों के जबाब ऐसे होंगे कि जिस रोज सवाल पूछा है उसके तीन दिन के अन्दर जवाब नहीं मिला। आपके दफ्तर से कब पहुंचे, स्पीकर साहब के कार्यालय से कब पहुंचे, यह चीजें आम तौर से हर मेम्बर जान नहीं पाता है।

रूल्स के मुताबिक तीन दिन के अन्दर एक मेम्बर को शार्ट नोटिस क्वेश्चन का जवाब मिलना चाहिये। आम तौर पर हर मेम्बर खयाल करता है कि उसके जो हक हैं उन हकों की हिफाजत हर तरीके से सदन में की जाती है। मैं इस संबंध में श्रीमन् आपका ध्यान सेक्शन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सैयद जरगाम हैदर]

११४ एवीडेन्स ऐक्ट की ओर दिलाऊंगा जिस बिना पर कुछ प्रिजम्प्शन हुआ करते हैं। एक प्रिजम्प्शन यह भी है कि सरकार का जो काम है वह कानून के मुताबिक होता है और जो किसी कानून की तामील में किसी कानून पर अमल करने के लिये जो आम तरीका है उसी के ऊपर अमल होता है। नियम में लिखा हुआ है कि एक मेम्बर को इस बात का अधिकार है कि वह शार्ट नोटिस क्वेश्चन पूछ सकता है। मिनिस्टर को जरूर यह अधिकार है कि वह चाहे तो शार्ट नोटिस क्वेश्चन उसे ट्रीट करे चाहे शार्ट नोटिस क्वेश्चन न ट्रीट करे। इस मामले में हमारे मंत्री जी ने यह बात स्वीकार की कि इसका जवाब शार्ट नोटिस क्वेश्चन की तरह दिया जायगा। इसके मानी यह हुए कि यह सवाल माननीय मंत्री जी की नजर में भी इतनी अहमियत का था कि उसका जबाब शार्ट नोटिस पर दिया जाय। १० तारीख को माननीय गेंदा सिंह जी ने सवाल किया। उसका जवाब इस सदन में उन्होंने २१ तारीख को दिया। यकीनन वक्त की पाबन्दी नहीं की गई। उसमें यकीनन ८ दिन की देर हुई। अब सवाल है कि गलती किसकी है? किसी न किसी की तो है ही। माननीय सदस्यों को जो इस बात का अधिकार है कि शार्ट नोटिस क्वेश्चन का जवाब तीन दिन के अन्दर मिले, वह नहीं मिला। उनके राइट्स का एन्क्रोचमेंन्ट हुआ। उनके अधिकार का उल्लंघन हुआ। माननीय गेंदा सिंह जी ने तब यह प्रश्न उठाया जब कि उन्हें यह महसूस हुआ कि आए दिन यह होता है। मेम्बरों को, बिलखसूस विरोधी दल के मेम्बरों का, छः घंटों के प्रोग्राम में एक घंटे का ऐसा प्रोग्राम होता है जो हमारी तरफ से इनीशियेट होता है। उसमें भी हमको वक्त पर जवाब नहीं मिलता। इसलिये माननीय गेंदा सिंह जी ने इस मामले को इस सदन के सामने इस रूप में लाकर रख दिया। जो भी नतीजा होगा, गेंदा सिंह जी खुशी के साथ बर्दाश्त करेंगे। माननीय गेंदा सिंह जी इस तबियत के नहीं है कि कहें कुछ, अमल कुछ करें। यह तो आप ही लोगों को मुबारक है जो समझा करते है कि मंत्रिमंडल में हमारे लिये गुंजायश नहीं है, लेकिन फिर भी न मालूम कैसे वहां बैठे रहते हैं। दूसरी चीज जो आपको देखनी है वह यह कि माननीय गेंदा सिंह जी के खिलाफ जो चार्जेज लगाये गये हैं अगर उनको देखेंगे तो मुख्तसरन में यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि उनके खिलाफ एक चार्ज जो है वह तो यह है कि उन्होंने मंत्री जी से यह बात कही कि हमारे सवालों का उत्तर ठीक तरह से नहीं मिलता है। क्यों कहा उन्होंने? इस वक्त जो आपको देखना है और यह बात तो तस्लीम करनी ही पड़ेगी कि तीन दिन के अन्दर जवाब नहीं मिला माननीय गेंदा सिंह जी को। अब गलती कहां पर हुई? मंत्री जी की तरफ से यह कहा जाता है कि हमारे कार्यालय में यह सवाल १७ तारीख को आये। हम माने लेते हैं थोड़ी देर के लिये यह जबाब ठीक है। इसके बाद बावजूद इसके भी अगर आप गिनेंगे १७ तारीख को आपको सवाल मिल गया था तो इस सदन में १९ तारीख को जवाब मिल जाना चाहिये था। हम पूछना चाहते हैं कि आखिर २ दिन की देर मंत्री जी ने क्यों की? क्या मंत्री जी ने इस सदन का और माननीय गेंदा सिंह जी के अधिकार का उल्लंघन नहीं किया है? उनके पास १७ तारीख को जवाब पहुंचा और २१ को जवाब दिया।

श्री चरणसिंह—स्पीकर का आर्डर यह आया था कि २१ को जवाब दें।

श्री सैयद जरगाम हैदर—स्पीकर का आर्डर जो कुछ भी रहा हो, इस सब की कार्यवाही की नकल माननीय गेंदा सिंह जी को हर समय में नहीं मिलती थी।

अब दूसरा सवाल जो इस सिलसिले में उठता है वह यह है कि फ्रीडम आफ स्पीच के बारे में कहा गया। यकीनन, जैसा मैंने कहा कि अगर इस समय यह सदन निश्चय कर देता है जो माननीय गेंदा सिंह जी ने इल्जामात लगाये, जो एतराजात गवर्नमेंट की पालिसी पर किये, जो एतराजात मेम्बरों के सवालों के जवाब वक्त पर न मिलने के बारे में किये, अगर यह सदन इस निश्चय पर पहुंचता है कि इस किस्म के एतराजात करना ब्रीच आफ प्रिविलेज है तो इससे

मेम्बरों के जो राइट्स अण्डर आर्टिकिल १९४ आफ दी कांस्टीट्यूशन गारन्टीड हैं उनके ऊपर यकीनन असर पड़ता है। मैं इस सिलसिले में इस सदन का ध्यान कुछ और पुराने वाकयात की तरफ दिलाना चाहता हूं। जो आर्टिकिल १९४ कांस्टीट्यूशन की है इसी सदन के एक मसले के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंची और वह है ब्लिट्ज केस। जब उस अखबार के एडीटर श्री मिस्त्री को सदन द्वारा नोटिस दिया गया और उसके एडीटर को बम्बई में गिरफ्तार किया गया तो २४ घंटे में मैजिस्ट्रेट के सामने नहीं पेश करके उस समय सदन के सामने यही स्टैण्ड लिया गया, ऐडवोकेट जनरल की यही राय थी कि हाउस आफ कामन्स की यह प्रैक्टिस है जो ब्रीच आफ प्रिविलेज है उसमें आर्डिनरी ह्यूमेन राइट्स किसी तरीके से ऐप्लाई नहीं करते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सदन के सामने आ चुका है और उन्होंने यह कहा कि इंगलिश कांस्टीट्यूशन अनरिटेन कांस्टीट्यूशन है लेकिन हिन्दुस्तान के कांस्टीट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स का स्पेशल चैप्टर प्रोवाइड कर दिया गया है। इसलिये जो अधिकार फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में दिये गये हैं उन पर रूल्स आफ प्रोसीजर से किसी तरीके से कोई असर नहीं पड़ता है। अब आर्टिकिल १९४ यह अधिकार देता है कि इस सदन में जो कार्यवाही होगी, जो तकरीर की जायगी उसके ऊपर किसी जगह पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। इस सिलसिले में मैं आपकी तवज्जह इस बात की तरफ भी दिलाना चाहता हूं कि इस प्रकार का एक मसला भोपाल में मध्य प्रदेश के सामने आया। वहां पर मिनिस्टर का मामला था। मिनिस्टर के खिलाफ प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के एक सदस्य ने यह सवाल उठाया था कि उन्होंने ब्रीच आफ प्रिविलेज किया है। उनके जवाबात जो असेम्बली में थे उनसे मेम्बरान के ऊपर किसी किस्म का डर और दबाव पड़ता था। यह मसला जब वहां पेश हुआ तो एडवोकेट जनरल की इसके ऊपर राय ली गई और जो उन्होंने राय दी है वह भी अखबारों में शाया हुई है, वह पी० टी० आई० का मेसेज है।

श्री अध्यक्ष——अब आप कल भाषण जारी रखेंगे। अब सदन के उठने के पहले सचिव एक सूचना देंगे।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९५९

सचिव, विधान सभा——उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम १५५ के अन्तर्गत मैं सदन को यह सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९५९ जो विधान सभा द्वारा २१ मार्च, १९५९ को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के ३० मार्च, १९५९ को वापस प्राप्त हो गया है।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
३० मार्च, १९५९।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २७ का उत्तर पीछे पष्ठ ९१० पर)

खीरी उपनिवेश योजना के अन्तर्गत मार्च, १९५८ तक का खर्च

	रु०
१—आफिसर्स तथा कर्मचारियों का वेतन तथा अन्य भत्ते ..	५,२४,२८१
२—ट्रैक्टर्स से जमीन तोड़वाई	४,०९,८०९
३—ले आउट डिमार्केशन डौलबन्दी इत्यादि ..	१,३०,०००
४—अस्पताल की दवाइयां तथा औजार इत्यादि ..	४५,९१८
५—एन्टी मलेरिया की दवाई स्ट्रीय पम्प तथा अन्य सामान ..	३७,७६३
६—पुनर्वासितों को मकान के लिये अनुदान	३,१७,५००
७—ट्रक, जीप, फर्नीचर, आफिस इक्विपमेंट, ट्रैक्टर, पेट्रोल, इत्यादि	३,५९,८०५
८—पुनर्वासितों को बैल तथा कृषि यंत्र खरीदने के लिये ऋण ..	३,५३,०००
९—पुनर्वासितों को मकान के लिये ऋण	४,७६,२५०
१०—पलिया खजुरिया तथा सुमेरपुर ब्लाक फीडर रोड तथा कच्ची तथा पक्की सड़कों पर पुल और पुलियों के निर्माण पर ..	१७,८८,९०४
११—फेन्सिग पंचायत घर एवं प्राइमरी स्कूल एवं बीज भंडार कर्मचारियों के निवास स्थान, अस्पताल, पशु-अस्पताल, जूनियर हाई स्कूल तथा छात्रावास, ट्यूबवेल्स, गहरे पानी के नल, पुनर्वासितों के मकान, सिंचाई के प्रबन्ध इत्यादि कार्य के निर्माण में	१६,७७,५५६
योग ..	६१,२०,७८६

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६१७ पर)

सैतपुर तथा भरारी फार्मों पर १९५६-५७ तथा १९५७-५८ में होने वाले व्यय तथा आय की तालिका

फार्म का नाम	वर्ष	व्यय (रुपयों में)	आय (रुपयों में)
सैतपुर ..	१९५६-५७	२,४४,९८६	२,२४,८८०
सैतपुर ..	१९५७-५८	२,००,०६९	१,४५,३०३
भरारी ..	१९५६-५७	३,४८,४३७	२,६८,३४२
भरारी ..	१९५७-५८	२,९९,२८१	२,००,८४९

ऊपर दिये गये आंकड़ों में ह्रास और लागत पर व्याज के अंक भी सम्मिलित हैं, जो निम्न प्रकार हैं :

फार्म का नाम	वर्ष	ह्रास (रुपयों में) (Depreciation)	(लागत पर व्याज (रुपयों में)
सैतपुर	१९५६-५७	३०,९६९	३०,०२०
सैतपुर	१९५७-५८	२८,३८९	२२,७२४
भरारी	१९५६-५७	३२,५३०	३१,९७०
भरारी	१९५७-५८	३२,३०३	३१,०६१

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९२३ पर)

उन फसलों के नाम जिनकी बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में बोने के लिए सिफारिश की गई है

क्षेत्र का नाम	सिंचाई झीलों, तालाबों तथा कुओं इत्यादि द्वारा	ऐसी जगह जहां सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती. जैसे खादर में	सिंचाई नलकूपों तथा नहरों द्वारा
१	२	३	४
१—प्रदेश का पश्चिमी भाग—			
(अ) वर्षा के पहले।	शीघ्र पकने वाले धान, मक्का, लोबिया।	शीघ्र पकने वाली मक्का लोबिया, मूंग टी० १।	शीघ्र पकने वाली मक्का मूंग टी० १ उर्दी लोबिया शीघ्र पकने वाले धान।
(ब) वर्षा में	ढैंचा और जूट (तराई जगहों में) गन्ना, उदाहरणार्थ, सी० ओ० ४५३ सिंघाड़े की खेती को बढ़ाना, सिंघाड़े की खेती बढ़ने के निमित्त जलकुंभी का समूल विनाश किया जावे मरसीन स्पेशल ए जल कुंभी विनाश के लिए बहुत अच्छी दवा अनुभव में पाई गई है।		
(स) वर्षा के पश्चात्।	शीघ्र तैयार होने वाली मटर, आलू तथा शलजम व गाजर।	शीघ्र तैयार होने वाली मटर, आलू तथा शलजम व गाजर।	शीघ्र तैयार होने वाली मटर, जौ, जई, गाजर, शलजम, आलू व मसूर।
२—केन्द्रीय भाग—			
(अ) वर्षा के पहले।	चेना, सावां, शीघ्र तैयार होने वाले धान व मक्का।	शकरकन्द, चना, सावां, मूंग टी० १ और उर्दी। ऐसी जगहों में शकरकन्द फरवरी में बोई जाती है और मई में खोद ली जाती है।	शीघ्र तैयार होने वाले धान, मक्का, काकुन, धान, शीघ्र मई में बोया जाय।
(ब) वर्षा में	जैसे पश्चिमी क्षेत्र में	..	..
(स) वर्षा के पश्चात्।	जैसे पश्चिमी क्षेत्र में	..	..

क्षेत्र का नाम	सिवाई झीलों, तालाबों तथा कुंओं इत्यादि द्वारा	ऐसी जगह जहां सिवाई की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे खादर में	सिचाई नलकूपों तथा नहरों द्वारा
१	२	३	४
३—पूर्वी भाग—			
(अ) वर्षा के पहले।	चेना, सांवा, शीघ्र तैयार होने वाला धान, मक्का, मूंग टी० १	शकरकन्द शीघ्र तैयार होने वाली मक्का मूंग टी० १ तथा उर्दी।	तिपखिया मक्का, काकुन मूंग टी० १ लोबिया शीघ्र तैयार होने वाला धान। अगहनी धान व मक्का की मिली-जुली फसल, धान के लिये बहेड़ का एक मास के अन्तर से बोना ताकि यह बहेड़ यदि बाद में अगहनी फसल नष्ट हो जाय तो लगा दी जावे।
(ब) वर्षा में	जूट और ढैंचा, गन्ना सी० ओ० ४५३ गहरे पानी में उगने वाला धान अगहनी धान, उदाहरणार्थ टी० १०० तथा टी० १०० कोदों और सिंघाड़ा का बढ़ाना।		
(स) वर्षा के पश्चात्।	शीघ्र तैयार होने वाली मटर, आलू गाजर, शलजम और मूली।		

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९२५ पर)

लोहा तथा इस्पात का कोटा जो जिलों को १९५७-५८ में निर्धारित किया गया

क्रम-संख्या	जिले का नाम	पब्लिक कोटा (टनों में)
१	देहरादून	६६
२	सहारनपुर	१३२
३	मुजफ्फरनगर	८८
४	मेरठ	२२०
५	बुलन्दशहर	११०
६	मथुरा	८८
७	आगरा	२२०
८	बिजनौर	८८
९	मुरादाबाद	१५४
१०	रामपुर	६६
११	गढ़वाल	२२
१२	टेहरी-गढ़वाल	२२
१३	अलीगढ़	१३२
१४	मैनपुरी	४४
१५	एटा	६६
१६	बदायूं	८८
१७	नैनीताल	८८
१८	बरेली	११०
१९	पीलीभीत	४४
२०	अलमोड़ा	२२
२१	शाहजहांपुर	६६
२२	फर्रुखाबाद	६६
२३	इटावा	६६
२४	कानपुर	४४०
२५	फतेहपुर	४४
२६	इलाहाबाद	१९८
२७	बांदा	४४
२८	हमीरपुर	४४
२९	झांसी	८८
३०	जालौन	४४
३१	बनारस	२२०
३२	मिर्जापुर	६६
३३	जौनपुर	६६
३४	गाजीपुर	६६
३५	बलिया	६६

क्रम-संख्या	जिले का नाम					पब्लिक कोटा (टनों में)
३६	गोरखपुर	..	..	..	..	११०
३७	देवरिया	..	..	..	..	८८
३८	बस्ती	..	..	..	..	८८
३९	आजमगढ़	..	..	..	..	८८
४०	लखनऊ	..	..	..	..	२८२
४१	उन्नाव	..	..	..	..	४४
४२	रायबरेली	..	..	..	..	४४
४३	सीतापुर	..	..	..	..	६६
४४	हरदोई	..	..	..	..	६६
४५	खीरी	..	..	..	..	४४
४६	फैजाबाद	..	..	..	..	८८
४७	गोंडा	..	..	..	..	८८
४८	बहराइच	..	..	..	..	६६
४९	प्रतापगढ़	..	..	..	..	४४
५०	सुल्तानपुर	..	..	..	..	४४
५१	बाराबंकी	..	..	..	..	६६
				योग	..	४,७७०

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९२६ पर)

खीरी उपनिवेश योजना लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत सम्पूर्णानन्द नगर के निर्माण सम्बन्धी व्यय

	रु०
१—प्राइमरी स्कूल तथा पंचायत घर और बीज गोदाम सिंघई का निर्माण	१४,४२६
२—सिंचाई में सरकारी चिकित्सालय	४६,९०४
३—छूत घर, सिंघई	२,६९७
४—सिंघई के अस्पताल का मृत घर	१,०९२
५—सिंघई अस्पताल के मेडिकल अफसर के क्वार्टर	१०,२५२
६—सिंघई अस्पताल का एम्बुलेंस, गैराज तथा रसोईघर	७,०८१
७—शासकीय भवन, सिंघई	४४,०९७
८—सिंघई में दाई का क्वार्टर	६,०८१
९—शासकीय भवन सिंघई के लिये गैराज तथा बहिर्गृह	२,०६१
१०—सिंघई का पशुचिकित्सालय और डाक्टर का निवास स्थान ..	१२,४०६
११—एक कमरे वाले क्वार्टर, सिंघई	१२,९४३
१२—स्कल्पू अध्यापकों के लिये दो कमरे वाले क्वार्टर, सिंघई में ..	११,५४५
१३—कृषि कर्मचारीगण के लिये दो कमरे वाले क्वार्टर सिंघई ..	९,२७७
१४—कम्पाउन्डर के क्वार्टर, सिंघई	४,६०५
१५—जूनियर हाई स्कूल सिंघई का छात्रालय	९,७७८
१६—कृषि कर्मचारियों के लिये एक कमरे वाले क्वार्टर	११,४१०
१७—पशु चिकित्सालय सिंघई के लिये अस्तबल	१,६६१
१८—पशु-पियाऊ सिंघई	३,१६९
१९—दाइयों के छोटे क्वार्टर, सिंघई	६,४३०
२०—सिंघई के छोटे स्टाफ क्वार्टर	३,३९६
२१—पुलिस थाना सिंघई	९,९१२
२२—जूनियर हाई स्कूल सिंघई के छोटे क्वार्टर	३,६४७
२३—जल वितरण और सैनिटरी फिटिंग	२६,४७५
२४—सिंघई का आम शौचालय	८२७
२५—जूनियर हाई स्कूल सिंघई का एक कमरे वाला क्वार्टर	५९४
२६—चार जोड़ी दो सीट वाले शौचालय, सिंघई	२,५४३
२७—शासकीय भवन सिंघई के लिये दरी	५९६
२८—हाथी के लिये शेड	२,०७२
२९—सिंघई के लिये पाइप लाइन और सेप्टिक टैंक	१,१८६
३०—प्राइमरी स्कूल, पंचायत घर तथा बीज गोदाम सिंघई के लिये एक कमरे वाले क्वार्टर	२,६३६

				रु०
३१--जूनियर हाई स्कूल, सिंघई	..	..	..	३१,१२६
३२--सिंघई का छात्रावास	..	..	..	९,७०५
३३--शासकीय भवन की फेन्सिग	..	..	..	४,४७५
३४--सिंघई में फेन्सिग (अन्य)	..	..	..	३,३९०
३५--सिंघई में खुला कुआं	..	..	..	५१०
३६--सिंघई में खुला कुआं (एन० पी०)	..	..	..	३११
३७--सिंघई में ओवर हेड टैंक	..	..	..	१,४६७
३८--सिंघई का सेप्टिक टैंक	..	..	..	६,२६०
३९--शासकीय भवन के लिये फर्नीचर	..	..	..	२,५७९
४०--सिंघई में वृक्षारोपण	..	..	..	१,१२८
४१--सिंघई के ट्यूबवेल	..	..	..	५०,०००

सत्यमेव जयते

पी० एस० यू० पी०--ए० पी० २० एल० ए०--१९५९--८४५ ।